May 2022

IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

Baba's Monthly
CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

Gyanvapi
Mosque controversy

Monkey pox

Indo-Pacific Economic
Framework for Prosperity

Agriculture Exports

Surrogacy
Regulation Act, 2021

हिंदी

www.iasbaba.com support@iasbaba.com +919169191888

IAS BABA

baba's gurukul

The Guru-shishya Parampara Continues....

Under The Guidance Of Mohan Sir (Founder, IASbaba)

Mohan Sir
(Founder, IASbaba)

Gurukul Foundation

(For Freshers)
Above & Beyond Regular Coaching

Gurukul Advanced

A Rigorous & Intensive Test
& Mentorship based Program

PRELIMS

राजव्यवस्था और शासन

- डीम्ड वन (Deemed Forest)
- विधायकों और सांसदों की अयोग्यता (Disqualification of MLAs and MPs)
- लोकपाल (Lokpal)
- अनुच्छेद 161 (Article 161)
- परिसीमन पैनल (Delimitation Panel)
- न्यायिक नियुक्तियां (Judicial appointments)
- आधार (Aadhaar)
- शीर्ष न्यायालय की क्षेत्रीय शाखाएं (Regional Branches of Top Court)
- मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner)
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और शीर्ष स्तर के सैन्य सुधार (Chief of Defence Staff and top-level military reforms)
- दिल्ली के उपराज्यपाल
- अंतर राज्य परिषद (Inter State Council)

अर्थशास्त्र

- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF)
- ई - श्रम (e - shram)
- CRR और रेपो रेट
- बॉन्ड यील्ड (Bond Yields)
- विनिमय दर (Exchange Rate)
- मुद्रास्फीति
- गुड्स एंड सर्विस टैक्स
- आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर (RBI surplus transfer)
- ईंधन कर (Fuel tax)
- पीएम गति शक्ति (PM GatiShakti)
- चीनी निर्यात प्रतिबंध और उनका प्रभाव (Sugar export curbs and their impact)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- कॉमन डेवलपमेंट विजन (Common Development Vision)
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO)
- क्वाड समिट - इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA)
- 'सूचना संलयन केंद्र – हिंद महासागर क्षेत्र' (Information Fusion Centre for Indian Ocean Region: IFC-IOR)
- ब्रिक्स प्लस

इतिहास, कला तथा संस्कृति

- बसवा जयंती (Basava Jayanti)
- राखीगढ़ी (Rakhigarhi)
- पन्निरु तिरुमुरै (PanniruTirumurai)
- तमिलनाडु में लोहे के औजार (Iron tools in Tamil Nadu)
- राजा राम मोहन राय

भूगोल

- चकमा जनजाति (Chakma Tribes)

- अर्बन हीट आइलैंड्स (Urban Heat Islands)
- मारियुपोल
- आज़ोव सागर (Sea of Azov)
- पैंगोंग त्सो (Pangong Tso)
- डोनबास और लुहान्स्क (Donbas and Luhansk)
- वांचुवा उत्सव (Wanchuwa festival)
- कच्चातिवु द्वीप (Katchatheevu Island)
- गोल्ड रिजर्व (Gold reserve)

पर्यावरण

- पैंगोलिन
- आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल अनुसंधान के लिए मानदंडों में ढील (Norms eased for genetically modified crop research)
- सामुदायिक वन अधिकार (Community Forest Rights)

विज्ञान प्रौद्योगिकी

- एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टमम (Advanced Towed Artillery Gun System)
- मंकीपॉक्स (Monkeypox)
- ब्लैक होल (Black Hole)
- ब्रह्मोस का उन्नत संस्करण (Advance Version of BrahMos)
- गगनयान मिशन (Gaganyaan Mission)
- एमआरएनए वैक्सीन (mRNA Vaccine)
- RNA ग्रैन्यूल्स (RNA Granules)
- पॉलीमर पुलुलान (Pullulan polymer)
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स (Artificial Intelligence Chips)
- वेस्ट नील वायरस (West Nile Virus)

विविध

- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (World Press Freedom Index)
- थॉमस कप (Thomas Cup)
- वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट (World of work report)
- राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS)

मुख्य फोकस (MAINS)

भारतीय राजव्यवस्था और शासन

- अर्ध संघवाद (Quasi federalism)
- एनसीटी क्षेत्र की सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली-केंद्र सरकार का विवाद (Delhi-Centre Government dispute over control of services of NCT region)
- दिल्ली-केंद्र पावर टसल (Delhi-Centre Power Tussle)
- भारत में अल्पसंख्यक की स्थिति (Minority Status in India)

- फोर्टिफाइड चावलों का आदिवासियों पर दुष्प्रभाव (Fortified rice leading to side effects among Adivasis)
- आईपीसी की धारा 153ए और धारा 295ए (Section 153A and Section 295A of IPC)

- पुलिस सुधार (Police Reforms)
- राजद्रोह कानून (आईपीसी की धारा 124ए) Sedition Law (Section 124A of IPC)
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) (National Register of Citizens (NRC))
- आशा कार्यकर्ता (ASHA Workers)
- ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991
- (Gyanvapi Mosque controversy & Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991)
- सिंधु जल संधि, 1960 (Indus Waters Treaty, 1960)
- सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को पेशे के रूप में मान्यता दी (Supreme Court recognizes prostitution as profession)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी
- (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)
- सोलोमन द्वीप और चीन सुरक्षा समझौता (Solomon Islands and China Security Pact)
- फ़िनलैंड: न्यूट्रल से NATO तक (Finland: From Neutral to NATO)

अर्थशास्त्र

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं – 5 (Highlights of National Family Health Survey – 5)
- गरीबी (Poverty)
- बिजली की कमी का संकट (Power shortage crisis)

पर्यावरण

- भारत में वायु प्रदूषण (Air Pollution in India)
- सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित करना (Focusing on Public Health Engineering)
- पराली जलाना (Stubble Burning)
- इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी फायर (Electric Vehicles and Battery Fires)
- इथेनॉल सम्मिश्रण (Ethanol Blending)
- हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen)

सोसाइटी और सामाजिक मुद्दे

- मैरिटल रेप (Marital Rape)
- एलजीबीटीआईक्यू+ (LGBTIQ+)
- भारत की भाषा संबंधी बहस (The Language debate of India)
- सरोगेसी विनियमन अधिनियम, 2021 (Surrogacy Regulation Act, 2021)

सुरक्षा संबंधित मुद्दे

- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 (Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA), 1958)
- सिख अलगाववाद (Sikh Separatism)

प्रैक्टिस MCQ'S

MCQS (उत्तर कुंजी)

PRELIMS

राजव्यवस्था और शासन
(POLITY AND GOVERNANCE)

डीम्ड वन (Deemed Forest)	**सुर्ख़ियों में क्यों :** हाल ही में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 6.5 लाख हेक्टेयर को डीम्ड वन वर्गीकरण से मुक्त करने के कैबिनेट के फैसले पर हस्ताक्षर किए हैं। ● यह उपाय कर्नाटक में लगभग 67 प्रतिशत भूमि को अनिवार्य रूप से अवर्गीकृत कर देगा जिसे अन्यथा वनों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ● भारत में वनों को लेकर कोई व्यापक परिभाषा नहीं है। ● गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन के लिए वन के शब्दकोश अर्थ के समान भूमि के किसी भी टुकड़े को शामिल करने के लिए "जंगल" को परिभाषित किया। ● इस मामले में "डीम्ड वन" की अवधारणा भी है। ● डीम्ड वनों की कल्पना ऐसे क्षेत्रों के रूप में की गई थी जिन्हें कानून के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वनों के रूप में दर्ज किया गया है। ● ये वे भूमि हैं जिनमें वनों की विशेषताएं हैं, चाहे उनका स्वामित्व कुछ भी हो। ● एक बार वनों को "मानित" कर दिया जाता है, तो उन्हें केंद्र की पूर्व स्वीकृति के बिना गैर-वन उद्देश्यों के लिए आरक्षित या उपयोग नहीं किया जा सकता है। ● डीम्ड वन, जिसमें भारत की वन भूमि का लगभग 1% शामिल है। ● गोदावर्मन मामले में न्यायालय ने प्रत्येक राज्य में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए डीम्ड वनों की पहचान करने हेतु विशेषज्ञ समितियों के गठन का आदेश दिया। ● इस निर्णय ने भारत में वन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरंतर निगरानी रखने का मार्ग प्रशस्त किया है। राज्य सरकारों को डीम्ड वनों के रूप में वर्गीकृत भूमि में परिवर्तन को लागू करने के लिए मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है।
विधायकों और सांसदों की अयोग्यता (Disqualification of MLAs and MPs)	**सुर्ख़ियों में क्यों:** चुनाव आयोग (Election Commission-EC) ने झारखंड के मुख्यमंत्री को खनन पट्टे के आवंटन के लिए उनके खिलाफ लाभ के पद के आरोप में नोटिस भेजा है। ● जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9ए किसी सरकारी अनुबंध के लिए किसी सांसद या विधायक को अयोग्य करार देने से संबद्ध है। **आरपीए के प्रमुख प्रावधान, 1951** ● यह चुनावों और उपचुनावों के वास्तविक संचालन को नियंत्रित करता है। ● यह चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र प्रदान करता है। ● यह राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है। ● यह सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता को निर्दिष्ट करता है।

	• यह भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों को रोकने के लिए प्रावधान प्रदान करता है। • यह चुनावों से उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों को निपटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। **अयोग्यताएं (Disqualifications)** • कुछ चुनावी अपराधों और चुनाव में भ्रष्टाचार के लिये दोषी ठहराए जाने के कारण अयोग्यता। • किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके परिणामस्वरूप दो या अधिक वर्षों के लिए कारावास होता है। • समय के भीतर अपने चुनाव खर्च का लेखा-जोखा दर्ज करने में विफल रहा। • सरकारी अनुबंधों, कार्यों या सेवाओं में कोई रुचि रखता है। • एक निदेशक या प्रबंध एजेंट है या एक निगम में लाभ का पद रखता है जिसमें सरकार का कम से कम 25% हिस्सा है। • भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति वफादारी के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो। • विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने या रिश्वतखोरी के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। • छुआछूत, दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराधों के प्रचार और अभ्यास के लिए दंडित किया गया है।
लोकपाल (Lokpal)	**सुर्ख़ियों में क्यों :** लोकपाल को दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक शानदार स्थायी कार्यालय मिलेगा। • लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान है। • लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, जिसे 2013 में कुछ प्रकार के सार्वजनिक कर्मचारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए पारित किया गया था, पांच साल बाद बनाया गया था। • लोकपाल एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। • लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिये, जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग, कानून व प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव हो। • लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। • सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। **लोकपाल क्षेत्राधिकार और शक्तियां** • लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए, बी, सी और डी अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। • इसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति भी शामिल है जो ऐसे किसी निकाय/समिति का प्रभारी (निदेशक/प्रबंधक/सचिव) है या रहा है जो केंद्रीय कानून द्वारा स्थापित हो या किसी अन्य संस्था का जो केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित/नियंत्रित हो और कोई अन्य व्यक्ति जिसने घूस देने या लेने में सहयोग दिया हो।

	• इसके पास CBI की जाँच करने तथा उसे निर्देश देने का अधिकार है। • लोकपाल की जाँच इकाई को एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ दी गई हैं। • लोकपाल को ऐसे लोकसेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। • लोकपाल को प्राथमिक जाँच के दौरान रिकार्ड को नष्ट करने से रोकने का निर्देश देने का अधिकार है। विशेष परिस्थितियों में लोकपाल को उन परिसंपत्तियों, आमदनी, प्राप्तियों और लाभों को जब्त करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के साधनों से पैदा या प्राप्त की गई हैं।
अनुच्छेद 161 (Article 161)	**सुर्ख़ियों में क्यों : तमिलनाडु के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को अनुच्छेद 161 के तहत एक संदर्भ (दया याचिका) दिया है।** • अनुच्छेद 161 में यह प्रावधान है कि किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा को माफ करने, राहत देने, राहत या छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक है जो निम्नलिखित दो तरीकों से भिन्न है: **"राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने या छूट देने या सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी-** • कोर्ट मार्शल: कोर्ट मार्शल के तहत राष्ट्रपति सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ़ कर सकता है परंतु अनुच्छेद 161 राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। • **मौत की सजा:** राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जहाँ दी गई सजा मौत की सजा है लेकिन राज्यपाल की क्षमादान शक्ति मौत की सजा के मामलों तक विस्तारित नहीं होती है। **सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि** • राष्ट्रपति को दया याचिका का निर्णय करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। • अनुच्छेद 161 के तहत कैदी को क्षमा करने की राज्यपाल (Governor) की संप्रभु शक्ति (sovereign power) का प्रयोग वास्तव में राज्य सरकार (State government) द्वारा किया जाता है, न कि राज्यपाल (Governor) अपने दम पर। o सरकार की सलाह राज्य के उपराज्यपाल के लिये बाध्यकारी होती है।
परिसीमन पैनल (Delimitation Panel)	**सुखियों में क्यों :** जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग ने अपना अंतिम आदेश जारी किया। राज्य में परिसीमन की कवायद जून, 2021 में शुरू हुई थी। **अन्य संबंधित तथ्य** • परिसीमन पैनल ने सात अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्रों की सिफारिश की – जम्मू के लिए छह और कश्मीर के लिए एक – यूटी में सीटों की कुल संख्या को 83 से 90 तक ले जाना। • इसने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को इस प्रकार पुनर्गठित किया है कि अब पांच लोकसभा सीटों में से प्रत्येक में ठीक 18 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिससे कुल संख्या 90 हो गई है।

	• इसने अनुसूचित जनजातियों के लिए नौ विधानसभा सीटें आरक्षित की हैं - जम्मू में छह और कश्मीर में तीन। • आयोग ने पीरपंजाल पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित जम्मू संभाग के राजौरी-पुंछ और कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम को जोड़ अनंतनाग-राजौरी लोकसभा क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किया है। **परिसीमन क्या है?** निर्वाचन आयोग के अनुसार, किसी देश या एक विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (विधानसभा या लोकसभा सीट) की सीमाओं को तय करने या फिर से परिभाषित करने का कार्य परिसीमन है। **संवैधानिक प्रावधान** • प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद-82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। • अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। • एक बार अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है। **1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियमों के आधार पर चार बार 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है।** o परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है।
न्यायिक नियुक्तियां (Judicial appointments)	**सुर्खियों में क्यों :** कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए दो नामों की सिफारिश की। **न्यायाधीशों की नियुक्ति** **संवैधानिक प्रावधान** • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की इतनी संख्या से परामर्श करने के बाद की जाती है, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे। • संविधान का अनुच्छेद 217: यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। o मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। • सुप्रीम कोर्ट ने "परामर्श" वाक्यांश के विविध अर्थों की पेशकश की है। **कॉलेजियम सिस्टम** • यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों (न कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा) के माध्यम से विकसित हुई है। **प्रथम न्यायाधीश मामले (First Judges Case) (1981):** • सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है और इसका मतलब केवल विचारों का आदान-प्रदान है। **द्वितीय न्यायाधीश मामले (Second Judges Case) (1993):**

	• सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की, यह मानते हुए कि "परामर्श" का अर्थ वास्तव में "सहमति" है। • इसमें कहा गया है कि यह सीजेआई की व्यक्तिगत राय नहीं थी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से गठित एक संस्थागत राय थी। **तीसरे न्यायाधीश मामले (Third Judges Case) (1998):** • न्यायालय का मत था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए 'बहुसंख्यक न्यायाधीशों का परामर्श' की आवश्यकता है। • इस परामर्श में मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श शामिल होंगे। **उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही होती है** • यदि किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाना है तो सरकार की भूमिका इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) द्वारा जांच कराने तक सीमित है।
आधार (Aadhaar)	**सुर्खियों में क्यों :** भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका का विरोध किया है जिसमें उच्च न्यायालय से निर्देश मांगा गया है कि हत्या के मामले में जांचकर्ताओं को आरोपी आधार डेटाबेस के साथ अपराध स्थल से एक संदिग्ध की तस्वीर और मौके के निशान (अव्यक्त उंगलियों के निशान) का मिलान करने की अनुमति दी जाए ताकि उसकी पहचान करने में मदद मिल सके। • UIDAI, जो भारत के निवासियों को अद्वितीय आधार संख्या जारी करता है, कानून द्वारा पुलिस के साथ किसी भी मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को साझा करने से प्रतिबंधित है। **क्या हुआ? (What Happened?)** • दिल्ली पुलिस ने आधार अधिनियम की धारा 33(1) के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके अनुसार उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कुछ मामलों में पहचान के बारे में जानकारी के प्रकटीकरण का आदेश दे सकता है। **क्या कहता है यूआईडीएआई?** • यूआइडीएआइ के अनुसार, दिल्ली पुलिस की प्रार्थना अधिनियम की धारा 29 के विपरीत है, जो इसे किसी भी एजेंसी के साथ किसी भी कारण से बायोमेट्रिक जानकारी (फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या ऐसी किसी भी जैविक विशेषता) को साझा करने से रोकती है। • यूआइडीएआइ ने यह भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा आधार के निवासी या धारक की सहमति के बिना कोई भी आधार डाटा साझा नहीं किया जा सकता है। • धारा 33, जिस प्रावधान के तहत दिल्ली पुलिस ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, वह केवल फोटोग्राफ या प्रमाणीकरण रिकॉर्ड सहित पहचान की जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति देता है, लेकिन कोई मूल बायोमेट्रिक जानकारी नहीं है। **तकनीकी बाधा (Tech impediment)** • UIDAI ने कोर्ट को बताया था कि डेटा का कोई भी "1:N" शेयरिंग संभव नहीं था, इसे 1:1 के आधार पर ही किया जाना था। • "आधार तकनीक केवल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की अनुमति देती है जो 1:1 के आधार पर किया जाता है जिसके लिए किसी व्यक्ति का आधार नंबर होना आवश्यक है।

	• UIDAI ने यह भी कहा है कि वह फोरेंसिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों, मानकों या प्रक्रियाओं के आधार पर बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र नहीं करता है। • UIDAI के अनुसार, आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए, "लाइव बायोमेट्रिक्स (live biometrics) " और आधार दोनों का होना आवश्यक था। • प्राधिकरण केवल आधार संख्या के माध्यम से किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित कर सकता है - यदि यह संभव नहीं है, तो अज्ञात आरोपी की तस्वीर भी प्रदान करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण** • UIDAI 12 जुलाई, 2016 को आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए 'इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय'के अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। • UIDAI को भारत के सभी निवासियों को एक 12-अंकीय विशिष्ट पहचान (UID) संख्या (आधार) प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।
शीर्ष न्यायालय की क्षेत्रीय शाखाएं (Regional Branches of Top Court)	**सुर्ख़ियों में क्यों :** तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने शीर्ष अदालत की क्षेत्रीय शाखाओं की आवश्यकता पर प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और तमिल को मद्रास उच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा बनाने का आग्रह किया है। **संवैधानिक प्रावधान** • संविधान में दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की सीट घोषित किया गया है। • यह मुख्य न्यायाधीश को अन्य किसी स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। • वह इस संबंध में राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही निर्णय ले सकता है। यह प्रावधान केवल वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी अदालत राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय को किसी अन्य स्थान पर नियुक्त करने के लिये कोई निर्देश नहीं दे सकती है। **उच्च न्यायपालिका की भाषाएँ** • अनुच्छेद 348 (1) (A) कहता है कि जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करती है, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी। • अनुच्छेद 348 (2) यह भी प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 348 (1) के प्रावधानों के बावजूद किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिये इस्तेमाल की जाने वाली किसी अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है। • उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों ने पहले ही अपने-अपने उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही में हिंदी के उपयोग को अधिकृत कर दिया है। • इसलिये संविधान इस चेतावनी के साथ अंग्रेज़ी को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की प्राथमिक भाषा के रूप में मान्यता देता है कि भले ही उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में किसी अन्य भाषा का उपयोग किया जाए लेकिन उच्च न्यायालयों के निर्णय अंग्रेज़ी में दिये जाने चाहये।

	राजभाषा अधिनियम 1963: ● यह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी राज्य के राज्यपाल को अधिकार देता है; उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के अलावा हिंदी/राज्य की राजभाषा के उपयोग को अधिकृत करना। ● यह प्रावधान करता है कि जहाँ कोई निर्णय/आदेश ऐसी किसी भी भाषा में पारित किया जाता है, तो उसके साथ उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद होना चाहिये।
मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner)	**सुर्ख़ियों में क्यों:** वर्तमान चुनाव आयुक्त, राजीव कुमार अगले मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के रूप में कार्यभार संभालेंगे। **चुनाव आयोग** ● भारतीय संविधान का भाग XV चुनावों से संबंधित है, और इन मामलों के लिए यह एक आयोग की स्थापना करता है। ● संविधान के अनुसार चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ● संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 आयोग और सदस्य की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। **आयोग की संरचना** ● चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद , इसे बहु-सदस्यीय निकाय बनाया गया है। ● आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। ● राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। **कार्यकाल -** इनका निश्चित कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है। ● वे समान स्थिति का आनंद लेते हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। **निष्कासन -** मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। ● वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्हें हटाया भी जा सकता है। **कार्य** ● यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्य सभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन करता है। ● संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों के प्रादेशिक क्षेत्रों का निर्धारण करना। ● मतदाता सूची तैयार करना और समय-समय पर संशोधित करना तथा सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना। ● राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। ● चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करके, चुनाव मैदान में राजनीतिक दलों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करता है। ● आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों की चुनाव के बाद की अयोग्यता के मामले में सलाहकार क्षेत्राधिकार है। ● ऐसे सभी मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति या राज्यपाल पर, जैसा भी मामला हो, बाध्यकारी होती है, जिसे ऐसी राय दी जाती है o आयोग के पास ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है जो समय के अंदर और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपने चुनाव खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में

	विफल रहा है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और शीर्ष स्तर के सैन्य सुधार (Chief of Defence Staff and top-level military reforms)	**संदर्भ:** भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद, सरकार ने अभी तक देश के शीर्ष सैन्य पद के उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की है। **देरी का कारण:** सरकार पद की अवधारणा के साथ-साथ सैन्य मामलों के विभाग (Department of Military Affairs-DMA) का पुनर्मूल्यांकन कर रही है और सेटअप को सुव्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है। **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका** ● त्रि-सेवा तालमेल और एकीकरण लाने के लिए ● **सीडीएस का व्यापक जनादेश:** पहले सीडीएस के पदभार ग्रहण करने के तीन वर्षों के अंदर "तीनों सेवाओं के संचालन, रसद (logistics), परिवहन, प्रशिक्षण, समर्थन सेवाओं, संचार, मरम्मत और रखरखाव में संयुक्तता (jointness) लाना शामिल है।" ● संयुक्त/थिएटर कमांडों की स्थापना सहित संचालन में संयुक्तता लाकर संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए तालमेल लाना और खरीद, प्रशिक्षण और रसद का अनुकूलन करना तथा सैन्य कमानों के पुनर्गठन की सुविधा प्रदान करना। ● "क्षेत्र से बाहर आकस्मिकताओं" के साथ-साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) जैसी अन्य आकस्मिकताओं के लिए योजनाओं का मूल्यांकनकरना । ● विशेष त्रि-सेवा प्रभाग - विशेष अभियान, रक्षा साइबर और रक्षा क्षेत्र को भी सीडीएस के दायरे में लाया गया। **पुनर्विचार क्यों?** ● सीडीएस द्वारा पहनी जाने वाली कई टोपियों के साथ भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में भी द्वंद्व है और डीएमए तथा डीओडी के बीच जिम्मेदारियों में ओवरलैप भी है। ● अधिकारियों ने यह भी कहा कि थिएटर कमांड के निर्माण के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी समय पर पुनर्विचार भी है। और आदेशों की संख्या और उनका परिकल्पित प्रारूप भी। **आगे की राह** ● संचालनात्मक शक्तियों के साथ एक सीडीएस रखने के लिए, जो उचित विधायी परिवर्तनों के बाद थिएटर कमांडरों को रिपोर्ट करेगा, जबकि सेवा प्रमुख संबंधित सेवाओं के उत्थान, प्रशिक्षण और कार्यों को देखेंगे। • इस दिशा में, यह देखा जा रहा है कि क्या चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ से लेकर चेयरमैन, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (CISC) सीडीएस को सीधे रिपोर्ट करने वाले डीएमए सचिव के रूप में कार्य कर सकते हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल	**सुर्ख़ियों में क्यों :** विनई कुमार सक्सेना को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। उपराज्यपाल और एनसीटी दिल्ली: **संवैधानिक प्रावधान:** ● भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक हैं। वह प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करता है।

	• हालांकि, संविधान (69 संशोधन) अधिनियम, 1991 ने अनुच्छेद 239AA पेश किया जिसने एक निर्वाचित विधान सभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक मुख्यमंत्री सहित एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया। • दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) को एनसीटी दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया था। **उपराज्यपाल की शक्तियां:** • एक उपराज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने, विधानसभा का विघटन और स्थगन करना की जिम्मेदारी निभाता है। • उपराज्यपाल किसी भी मुद्दे पर या लंबित विधेयक पर राज्य विधान सभा को सन्देश भेजने का अधिकार रखता है। इस सन्देश पर हुई कार्यवाही की रिपोर्ट राज्य विधानसभा को उपराज्यपाल को देनी होती है। • जब कोई ऐसा निर्णय राष्ट्रपति के पास लंबित हो, तो यह एलजी के लिए किसी भी परिदृश्य में त्वरित कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगा जहां मामला (उनकी राय में) अत्यावश्यक हो। • अनुच्छेद 239AB के मुताबिक, राष्ट्रपति अनुच्छेद 239AA के किसी भी प्रावधान या इसके अनुसरण में बनाए गए किसी भी कानून के किसी भी प्रावधान के संचालन को निलंबित कर सकता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) जैसा है।
अंतर राज्य परिषद (Inter State Council)	**सुर्खियों में क्यों :** केंद्र ने अंतर-राज्य परिषद का पुनर्गठन किया है। • देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और मदद करने के लिए अंतर-राज्य परिषद का पुनर्गठन किया गया है। इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और छह केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। • इसमें 10 केंद्रीय मंत्री भी स्थायी रूप से आमंत्रित होंगे। • सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री के अध्यक्ष के रूप में परिषद की स्थायी समिति का भी पुनर्गठन किया है। **संवैधानिक प्रावधान** • अनुच्छेद 263: संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की गई थी, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ऐसी संस्था का गठन कर सकते हैं यदि इसकी आवश्यकता महसूस हो। • यह गृह मंत्रालय के तहत सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहली बार राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से 1990 में स्थापित किया गया था। **अंतर-राज्य परिषद संरचना** • प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। • संघ में कैबिनेट रैंक के केंद्रीय मंत्री; प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्रिपरिषद। • सदस्यों में विधानसभाओं वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। • केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जिनके पास विधान सभा नहीं है; राष्ट्रपति शासन के तहत प्रशासित हो रहे राज्यों के राज्यपाल सदस्य। **अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य** • अंतर-राज्य परिषद एक सिफारिशी निकाय है जिसका कर्तव्य संघ और राज्य (राज्यों) या राज्यों के

	बीच सामान्य हित के विषयों की जांच और चर्चा करना, विशेष रूप से इन विषयों पर नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना और इस पर विचार करना शामिल है। राज्यों के सामान्य हित के अन्य मामले जिन्हें इसके अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

अर्थव्यवस्था (ECONOMY)

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF)	**आँकड़े: R&D पर भारत की फंडिंग** ● यह स्थिर बना हुआ है और एक दशक में सकल घरेलू उत्पाद के 0.6 से 0.8% के बीच रहता है। ● जबकि भारत का वैश्विक अनुसंधान एवं विकास व्यय वैश्विक कुल के 1-3% पर स्थिर बना हुआ है, यू.एस. और चीन क्रमशः 25% और 23% के लिए जिम्मेदार हैं। ● विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2017 में भारत में प्रति मिलियन लोगों पर 255 शोधकर्ता थे। ● इसके विपरीत, इजराइल में 8,342 प्रति मिलियन, स्वीडन में 7,597 और दक्षिण कोरिया में 7,498 हैं। अमेरिका में 111 और चीन में 423 की तुलना में, भारत में प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर केवल 15 शोधकर्ता हैं। **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) से संबंधित तथ्य** ● वर्ष 2021-22 के बजट ने एक नई फंडिंग एजेंसी NRF के लिए अगले पांच वर्षों में, वर्ष 2021 से शुरू होकर हर साल 10,000 करोड़ ($1.37 बिलियन) की पेशकश की। ● यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप था। ● एनआरएफ एक ऐसी संरचना के रूप में कार्य करेगा जो उद्योग, शिक्षा जगत और देश के अनुसंधान एवं विकास को साथ लाएगी। • NRF उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन और मान्यता के माध्यम से देश में अनुसंधान की संस्कृति को विकसित करने में मदद करने के लिए योग्यता-आधारित लेकिन समान सहकर्मी की समीक्षा अनुसंधान निधि का एक विश्वसनीय आधार प्रदान करेगा।
ई - श्रम (e - shram)	**चर्चा में क्यों :** केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों द्वारा दुर्घटना बीमा दावों को संसाधित करने के लिए एक तंत्र (a mechanism) पर काम कर रहा है। **ई-श्रम पोर्टल में** ● यह असंगठित श्रमिकों (NDUW) का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से पोर्टल शुरू किया गया था। ● श्रम और रोजगार मंत्रालय इस कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। ● ई-श्रम कार्ड: श्रमिकों को एक ई-श्रम कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसमें 12 अंकों का विशिष्ट नंबर होगा। ● सिंगल विंडो: यह अनौपचारिक क्षेत्र में कामगारों तक पहुंचने और उन्हें ट्रैक करने में अधिकारियों की मदद करने तथा संकट के समय में कल्याण की पेशकश करने के लिए एकल-बिंदु संदर्भ होगा।

	● इस डेटाबेस में निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, कृषि श्रमिक, प्रवासी श्रमिक और असंगठित श्रमिकों के इसी तरह के अन्य उप-समूह शामिल होंगे। ● स्व नामांकन (Self enrolment): यह सार्वजनिक रूप से खुली पहुंच के लिए उपलब्ध होगा जहां कार्यकर्ता आधार और मोबाइल नंबरों के माध्यम से स्व-नामांकन कर सकते हैं। ● महत्वपूर्ण प्रावधान (Important Provision): दुर्घटना बीमा - पंजीकरण के बाद, उसे 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। o यह योजना श्रमिकों को ई-श्रम यूनिक आईडी नंबर के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्राप्त करने की अनुमति देगी।
CRR और रेपो रेट	**चर्चा में क्यों : मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए आरबीआई ने प्रमुख नीतिगत दरें बढ़ाईं** ● RBI ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट और CRR में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की **मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति उपकरण** **मौद्रिक नीति उपाय** ● मौद्रिक नीति का तात्पर्य मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों के प्रबंधन के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में केंद्रीय बैंक की नीति से है। ● वर्ष 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के कार्यान्वयन के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था। ● संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत, केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का गठन करने का अधिकार है। **संरचना: MPC में 6 सदस्य होंगे:** ● आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में, ● मौद्रिक नीति के प्रभारी उप राज्यपाल, ● केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी, ● केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन व्यक्ति

उपकरण	सुविधाएँ
नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)	औसत दैनिक बैलेंस जो एक बैंक को रिज़र्व बैंक के पास अपनी नेट डिमांड और सावधि देनदारियों (एनडीटीएल) के ऐसे प्रतिशत के हिस्से के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है जिसे रिज़र्व बैंक समय-समय पर सूचित कर सकता है।
वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)	NDTL का हिस्सा जो एक बैंक को सुरक्षित और तरल संपत्तियों, जैसे सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी और सोने में बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

	रेपो दर	निर्धारित ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत बैंकों को सरकार के संपार्श्विक के विरुद्ध और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध ओवरनाईट चलनिधि प्रदान करता है।
	रिवर्स रेपो दर	निर्धारित ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत बैंकों से पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध, ओवरनाइट आधार पर, चलनिधि को अवशोषित करता है।
	सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)	यह वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से अल्पकालिक निधि उधार ले सकते हैं। एमएसएफ के तहत, बैंक एसएलआर की सीमा के भीतर सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर आरबीआई से धन उधार ले सकते हैं।
	खुला बाज़ार परिचालन (OMOs)	इनमें टिकाऊ तरलता के इंजेक्शन और अवशोषण के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद और बिक्री दोनों शामिल हैं।
	बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS)	बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) एक मौद्रिक नीति उपकरण है जो आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ष 2002-2004 के दौरान बाजार स्थिरीकरण योजना शुरू की गई थी, भारत में भारी पूंजी प्रवाह हुआ था।

नोट: आरबीआई की मौद्रिक नीति में नीति गलियारा रिवर्स रेपो दर और एमएसएफ दर के बीच के क्षेत्र को संदर्भित करता है

- MSF पॉलिसी कॉरिडोर का ऊपरी बैंड है (निचला बैंड रिवर्स रेपो दर है)। इस प्रकार एमएसएफ का मूल्य रेपो रेट के मूल्य के साथ जुड़ा हुआ है। आमतौर पर आरबीआई रेपो रेट में बदलाव करता है और एमएसएफ अपने आप बदल जाता है।

इस मात्रात्मक उपकरणों के साथ आरबीआई मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए मार्जिन की आवश्यकता, नैतिक स्वीकृति और चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण जैसे गुणात्मक उपकरणों का भी उपयोग करता है।

बॉन्ड यील्ड (Bond Yields)

चर्चा में क्यों : सरकार ने कहा कि रिजर्व बैंक से बॉन्ड यील्ड को कम करने में मदद करने का आग्रह करें।

बॉन्ड

- एक बांड एक ऋण निवेश है।
- कॉरपोरेट या सरकारें बैंक से ऋण प्राप्त करने के बजाय सीधे निवेशकों को बांड जारी करती हैं।
- यह धन जुटाने और विभिन्न परियोजनाओं तथा गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए है।

बॉन्ड यील्ड

- यील्ड - सरल शब्दों में, यील्ड वह राशि है जो एक निवेशक को बांड पर प्राप्त होगी।
- यदि निवेशक परिपक्वता तक बांड रखता है, तो उसे मूल राशि और ब्याज वापस मिलने की गारंटी दी जाएगी।
- लेकिन निवेशकों द्वारा बांड को परिपक्वता तक रखने की आवश्यकता नहीं है।
- इसके बजाय, निवेशक उन्हें अन्य निवेशकों को अधिक या कम कीमत पर बेच सकते हैं।

	• बांड की कीमतें और यील्ड आम तौर पर विपरीत दिशाओं में चलते हैं। • ऐसा इसलिए है, क्योंकि जैसे-जैसे बांड की कीमत बढ़ती है, परिपक्वता तक इसकी यील्ड कम होती जाती है। वर्तमान स्थिति: वर्ष 2019 के बाद से यील्ड अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि मुद्रास्फीति के खतरे विदेशी निवेशकों को बांड बेचने के लिए प्रेरित करते हैं **आरबीआई बॉन्ड यील्ड को कैसे नियंत्रित करता है?** • आरबीआई का लक्ष्य यील्ड को कम रखना है क्योंकि इससे सरकार के लिए उधार लेने की लागत कम हो जाती है जबकि बाजार में उधार दरों में किसी भी तरह की वृद्धि को रोका जा सकता है। • RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति की स्थिति को समायोजित करने के लिये खुले बाज़ार का संचालन किया जाता है।
विनिमय दर (Exchange Rate)	**चर्चा में क्यों :** रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिर गया और वर्तमान में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 77.20 पर है। **विनिमय दर क्या दर्शाती है?** • किसी विशेष मुद्रा की तुलना में रुपये की विनिमय दर हमें बताती है कि उस विशेष मुद्रा को खरीदने के लिए कितने रुपये की आवश्यकता है। • अगर रुपये की विनिमय दर "गिरती है", तो इसका मतलब है कि अमेरिकी सामान खरीदना महंगा हो जाएगा। • साथ ही, भारतीय निर्यातकों को लाभ हो सकता है क्योंकि उनका सामान अब अमेरिकी ग्राहकों के लिए अधिक आकर्षक (सस्ता) है। **विनिमय दर कैसे निर्धारित की जाती है?** • एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में, विनिमय दर रुपये और डॉलर की आपूर्ति और मांग से तय होती है। • हालांकि, भारत में, विनिमय दर पूरी तरह से बाजार द्वारा निर्धारित नहीं होती है • समय-समय पर, आरबीआई यह सुनिश्चित करने के लिए विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) बाजार में हस्तक्षेप करता है कि रुपये की "कीमत" में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव न हो या यह एक ही बार में बहुत अधिक न बढ़े या न गिरे। **अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपये की मांग और आपूर्ति क्या निर्धारित करती है?** • भुगतान संतुलन अनिवार्य रूप से इस बात का समग्र खाता है कि शेष विश्व द्वारा कितने रुपये की मांग की गई थी और भारतीयों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा (अर्थात सभी देशों की मुद्राएं) की मांग की गई थी। **भुगतान संतुलन (बीओपी)** • देश के भुगतान संतुलन (BoP) को एक देश के सभी आर्थिक लेन-देन के व्यवस्थित विवरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक विशिष्ट अवधि के दौरान दुनिया के बाकी हिस्सों में आम तौर पर एक वर्ष के लिए होता है। • यह इंगित करता है कि देश में अधिशेष है या व्यापार में घाटा। • जब निर्यात आयात से अधिक होता है, तो व्यापार अधिशेष होता है और जब आयात निर्यात से

	अधिक होता है तो व्यापार घाटा होता है। ● BoP का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जा सकता है कि देश का मुद्रा मूल्य बढ़ रहा है या मूल्यह्रास हो रहा है। **रुपये की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव कैसे होता है?** ● निर्यात और आयात विनिमय दर को प्रभावित करते हैं क्योंकि निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जित करता है जबकि आयात के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान की आवश्यकता होती है। ● ब्याज दर - सरकारी प्रतिभूतियों और बांडों, कॉर्पोरेट प्रतिभूतियों आदि पर विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह और अंतर्वाह को प्रभावित करते हैं; अमेरिकी केंद्रीय बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ाता है और भविष्य में उन्हें और बढ़ाने के लिए तैयार है। ● भारतीय रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप ● मुद्रास्फीति (कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि) **इसमें आरबीआई की क्या भूमिका है?** ● रुपये की गिरावट को सॉफ्ट करने के लिए, आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार में कुछ डॉलर बाजार में बेचेगा। ● यह बाजार से बहुत सारे रुपये को निकल लेगा, इस प्रकार रुपये और डॉलर के बीच मांग-आपूर्ति के अंतर को कम करेगा। ● गिरावट का अंतिम प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, गिरावट भारत के निर्यातकों को तब तक मदद कर सकती है जब तक कि वे कच्चे सामान का आयात नहीं करते, जो महंगा हो जाएगा।
मुद्रास्फीति	**संदर्भ:** RBI के मुद्रास्फीति-लक्षित शासन की शुरुआत के बाद से, अधिकांश ध्यान उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति पर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मुद्रास्फीति दर है जिसे RBI 4% के निशान पर लक्षित करना चाहता है। लेकिन पिछले एक साल में थोक कीमतों में मुद्रास्फीति अभूतपूर्व तरीके से बढ़ रही है। ● WPI मुद्रास्फीति पिछले साल अप्रैल से लगातार 14वें महीने दो अंक में यानी 10 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है और तीन महीनों से लगातार बढ़ रही है। ● लेकिन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2022 में WPI मुद्रास्फीति 15% से अधिक हो गई। हेडलाइन मुद्रास्फीति के इतने उच्च स्तर के साथ, यह स्पष्ट है कि WPI के अधिकांश घटकों में उच्च मुद्रास्फीति देखी जा रही है। **WPI मुद्रास्फीति को क्या बढ़ावा दे रहा है?** ● जबकि उच्चतम मुद्रास्फीति ईंधन की कीमतों में रही है, यह समग्र सूचकांक (यूक्रेनी संकट से बहुत पहले) में सबसे छोटा योगदानकर्ता है। ● जबकि विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति सबसे कम है, भार के कारण समग्र मुद्रास्फीति पर इसका लगभग छह गुना प्रभाव पड़ने की संभावना है। ● गर्मी की लहर के कारण फलों, सब्जियों और दूध जैसे खराब होने वाले सामानों की कीमतों में

	तेजी आई, जिससे चाय की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ प्राथमिक खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिला। ● मुद्रास्फीति की अधिकांश वृद्धि रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप देखी जा रही है, खुदरा मुद्रास्फीति में योगदान सूचकांक के तीन-चौथाई पर देखा जा रहा है। **आगे क्या?** ● WPI-खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि से उपभोक्ताओं के लिए भी उच्च खाद्य कीमतें होती हैं। WPI मुद्रास्फीति दो अंकों में रहने के साथ, जून की मौद्रिक नीति में रेपो वृद्धि की संभावना और बढ़ गई है। ● थोक बाजार में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण खुदरा खाद्य कीमतों में और वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। ● खाद्य वस्तुओं का उच्च खुदरा कीमतें बदले में थोक खाद्य कीमतों में वृद्धि करती हैं। दूसरे शब्दों में, यदि मुद्रास्फीति पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो व्यक्ति एक दुष्चक्र (a vicious) में पड़ सकता है। ● उच्च ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतों के रूप में आयातित मुद्रास्फीति जीवन का एक तथ्य है, और यह आरबीआई को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना जारी रखेगा। उच्च डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ाने और तत्काल ऐसा करने के लिए सहमत करेगी। **आरबीआई के लिए सख्त कानून:** ● हालांकि, ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि करने का दूसरा पहलू यह है कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को ऐसे समय में कम कर देंगे जब समग्र उपभोक्ता मांग अभी भी नई (fledgling) है। ● इस प्रकार, आरबीआई के पास प्रदर्शन करने के लिए एक कठिन संतुलन अधिनियम है: घरेलू आर्थिक सुधार को प्रभावित न करना सुनिश्चित करते हुए मुद्रास्फीति (विशेषकर उन स्रोतों से जिन पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे कि उच्च ईंधन की कीमतें) शामिल हैं। **मुद्रास्फीति के कुछ संभावित प्रभाव:** ● लोगों की क्रय शक्ति को कम करना ● समग्र मांग को कम करना ● बचतकर्ताओं को नुकसान पहुँचाना और कर्जदारों की मदद करना ● सरकार को ऋण दायित्वों को पूरा करने में मदद करना ● कॉर्पोरेट लाभप्रदता के लिए मिश्रित परिणाम ● विनिमय दर बिगड़ना • उच्च मुद्रास्फीति की उम्मीदों की ओर ले जाना
गुड्स एंड सर्विस टैक्स	**चर्चा में क्यों :** सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्र और राज्यों के पास GST से संबंधित कानून बनाने की समान शक्तियाँ हैं। ● गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करने वाले एक फैसले में,सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय आयातकों के समुद्री माल पर एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) नहीं लगा सकती है। ● सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतंत्र की भलाई के लिए "सहकारी संघवाद" के महत्व का समर्थन करते

हुए एक निर्णय में कहा कि संघ और राज्य विधानसभाओं के पास वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पर कानून बनाने के लिए "समान, एक साथ और अद्वितीय शक्तियां" हैं। जीएसटी परिषद की सिफारिशें उन पर बाध्यकारी नहीं हैं।

- SC की बेंच ने कहा हैं कि GST परिषद की सिफारिशें संघ और राज्यों के साथ हुई बातचीत का परिणाम हैं,और ये प्रकृति में केवल अनुशंसात्मक हैं और इन्हें बाध्यकारी बनाने से यह राजकोषीय संघवाद के खिलाफ होगा क्योंकि केंद्र और राज्यों दोनों के पास GST पर कानून बनाने की समान शक्ति है।

कारण

- जीएसटी परिषद की सिफारिशें संघ और राज्यों को शामिल करते हुए एक सहयोगी संवाद का उत्पाद हैं।
- वे प्रकृति में अनुशंसात्मक हैं।
- अनुशंसाओं का केवल एक प्रेरक महत्व होता है। उन्हें बाध्यकारी मानने से राजकोषीय संघवाद बाधित होगा जब केंद्र और राज्यों दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की समान शक्ति प्रदान की जाएगी।

पृष्ठभूमि

महासागर भाड़ा क्या है? (What is ocean freight?)

- ओशन फ्रेट परिवहन का एक तरीका है जिसके द्वारा जहाजों द्वारा शिपिंग लाइनों के माध्यम से माल और कार्गो का परिवहन किया जाता है। विश्व का अधिकांश व्यापार समुद्र के द्वारा होता है।

समुद्री माल ढुलाई को नियंत्रित करने वाले जीएसटी कानूनों के कौन से खंड हैं?

- सीजीएसटी अधिनियम में आयातकों को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत समुद्री माल पर 5% आईजीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता है।
- **IGST अधिनियम की धारा 5(3): यह खंड उन आपूर्तियों को सूचित करता है जो रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत GST के लिए कर योग्य हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत, सामान / सेवा प्राप्त करने वाला आपूर्तिकर्ता के बजाय जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।**
- अधिसूचना एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के तहत सरकार ने प्राप्तकर्ता श्रेणी के तहत आयातक शब्द को शामिल किया है।

गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले की व्याख्या

	मोहित मिनरल्स बनाम भारत संघ (UOI) ● आयातक समुद्री माल ढुलाई सेवा के तहत 5% पर IGST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। यहां, आयातक और आपूर्तिकर्ता दोनों गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित हैं। ● आयातक को समुद्री भाड़े पर IGST का भुगतान करना पड़ता था जिससे दोहरा कराधान होता है। **अनुमान** ● अधिसूचना जीएसटी अधिनियम के अधीन है। ● रिवर्स चार्ज के तहत करदाता को IGST के लिए उत्तरदायी बनाने वाली ऐसी सूचनाएं IGST अधिनियम के विपरीत हैं। • उच्च न्यायालय ने माना कि यह असंवैधानिक है क्योंकि इस तरह के कर लगाने और संग्रह करने के लिए कोई वैधानिक मंजूरी नहीं है।
आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर (RBI surplus transfer)	**चर्चा में क्यों :** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सरकार को अधिशेष के रूप में 30,307 करोड़ रुपये हस्तांतरित करेगा, जो मार्च 2021 में, 99,126 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, इस तरह 69% की गिरावट आई। इस साल के बजट में 74000 करोड़ रुपये ट्रांसफर की उम्मीद थी। ● गिरावट का कारण (Reasons for shortfall)- आरबीआई को बढ़े हुए ब्याज का भुगतान उन बैंकों को करना पड़ा जिन्होंने अपनी अधिशेष तरलता को रिवर्स रेपो विंडो में रखा था। **पृष्ठभूमि** **आरबीआई की कमाई:** ● इसकी विदेशी मुद्रा आस्तियों, अन्य केंद्रीय बैंकों के बांड और ट्रेजरी बिलों या शीर्ष-रेटेड प्रतिभूतियों, और अन्य केंद्रीय बैंकों के पास जमा पर अर्जित रिटर्न। ● स्थानीय रुपया-मूल्यवर्ग के सरकारी बांड या प्रतिभूतियों की अपनी होल्डिंग्स पर ब्याज, और बैंकों को बहुत कम अवधि के लिए उधार देते समय, जैसे कि रातोंरात। ● राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की उधारी को संभालने पर प्रबंधन आयोग। **आरबीआई का खर्च:** करेंसी नोटों और कर्मचारियों पर छपाई, कमीशन के अलावा, यह बैंकों को देश भर में सरकार की ओर से लेनदेन करने के लिए और बैंकों सहित प्राथमिक डीलरों को इनमें से कुछ उधारों को अंडरराइट करने के लिए देता है। ● आरबीआई की सरप्लस वितरण नीति को अंतिम रूप दिया गया था, जो आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करने के लिए सरकार के परामर्श से आरबीआई द्वारा गठित बिमल जालान समिति की सिफारिशों के अनुरूप है। ● अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में आरबीआई के कार्य को देखते हुए, वित्तीय स्थिरता संकट के किसी भी जोखिम के खिलाफ अर्थव्यवस्था का बीमा करने के लिए इसे कुछ आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) बनाए रखने की आवश्यकता है। • जालान समिति ने सिफारिश की थी कि सीआरबी को आरबीआई की बैलेंस शीट के 5.5% से 6.5% की सीमा में बनाए रखने की आवश्यकता है। • सरप्लस ट्रांसफर पॉलिसी अब सूत्र आधारित है और इस प्रकार पारदर्शी है, जो अतीत से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है।

ईंधन कर (Fuel tax)	**चर्चा में क्यों :** केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में क्रमशः 8 रुपये प्रति लीटर और 6 रुपये प्रति लीटर की कमी की घोषणा की। ● सरकार ने प्लास्टिक उत्पादों और लोहा एवं इस्पात के लिए कच्चे माल और बिचौलियों (intermediaries) पर सीमा शुल्क भी कम कर दिया। **कमी का कारण** ● ये निर्णय मुद्रास्फीति में वृद्धि को शांत करने की इच्छा से प्रेरित हैं - हाल के आंकड़ों से पता चला है कि खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में आठ साल के उच्च स्तर 7.9 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, जबकि थोक मुद्रास्फीति लगातार 13 महीनों से दोहरे अंकों में रही है। ● हाल के दिनों में यह दूसरी बार है जब केंद्र ने ईंधन करों में कटौती की है। केंद्र ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये की कमी की थी। **टैक्स में कटौती का पूरा बोझ केंद्र उठाएगा** ● घोषित पेट्रोल और डीजल में पूरी शुल्क कटौती पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए करों के सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) घटक से की गई है, इसलिए कर कटौती का पूरा बोझ केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा। ● इस चिंता को दूर करते हुए कि शुल्क में कटौती से राज्यों को करों का हस्तांतरण कम होगा, वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रो उत्पादों पर मूल उत्पाद शुल्क, जो राज्यों के साथ साझा करने योग्य है, को स्पर्श नहीं गया है। **पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स** ● पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए कुल करों में ‘‘मूल उत्पाद शुल्क (बीईडी), विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी), सड़क एवं अवसंरचना उपकर (आरआईसी) और कृषि एवं अवसंरचना विकास कर (एआईडीसी) को मिलाकर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क होता है। मूल उत्पाद शुल्क राज्यों के साथ साझा किया जाता है। • घोषित दो कटौती (नवंबर और वर्तमान एक) पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए करों के सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) घटक से हैं।
पीएम गति शक्ति (PM GatiShakti)	**चर्चा में क्यों :** उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने कहा कि सभी रसद और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जिसमें 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा, पीएम गतिशक्ति पहल के तहत गठित नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) के माध्यम से होगी। ● इस कदम से लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावी और कुशल योजना को बढ़ावा मिलेगा। **परियोजनाओं के आधार पर योजना के चरण में डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) बनाने से पहले सभी विभाग अनुमोदन के लिए पहले एनपीजी से संपर्क करेंगे, एनपीजी की मंजूरी के बाद, परियोजना वित्त मंत्रालय और कैबिनेट द्वारा अनुमोदन की सामान्य प्रक्रिया का पालन करेगी।** **पीएम गतिशक्ति पहल** ● भारत सरकार ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए समन्वित योजना और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन के उद्देश्य से बहु-मोडल कनेक्टिविटी योजना के लिए महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया है।

- गति शक्ति योजना, वर्ष 2019 में लॉन्च की गयी 110 लाख करोड़ रुपये की 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline– NIP) योजना को समाहित कर लेगी।
- लॉजिस्टिक लागत में कटौती के अलावा, इस योजना का उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाहों पर टर्नअराउंड समय को कम करना है।
- इसका लक्ष्य 11 औद्योगिक गलियारे और दो नए रक्षा गलियारों – एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में का निर्माण करना हैं।
- एकीकृत दृष्टिकोण: इस उद्देश्य बुनियादी ढांचे से संबंधित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने का है।

- कार्यान्वयन ढांचे में आवश्यक तकनीकी दक्षताओं के साथ सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस), नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) और तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) शामिल हैं।
- एनपीजी में संबंधित बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के नेटवर्क प्लानिंग विंग के प्रमुख होते हैं और यह सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) की सहायता करेगा, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं।
- ईजीओएस में सदस्य के रूप में 18 मंत्रालयों के सचिव और सदस्य संयोजक के रूप में डीपीआईआईटी के तहत लॉजिस्टिक्स डिवीजन के प्रमुख होते हैं।
- किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास के साथ-साथ सूक्ष्म योजना विवरण के माध्यम से रसद लागत को कम करने हरतु कार्यों के दोहराव से बचने के लिए अनुकूलन बढ़ाने के लिए, तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) को मंजूरी दी गई है।
- पीएम गतिशक्ति योजना की घोषणा पिछले साल विभागीय साइलो को तोड़ने और मल्टी-मोडल और लास्ट-मील कनेक्टिविटी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अधिक समग्र और एकीकृत योजना और परियोजनाओं के निष्पादन के उद्देश्य से की गई थी। इससे रसद लागत को कम करने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावी और कुशल योजना को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- इससे उपभोक्ताओं, किसानों, युवाओं के साथ-साथ व्यवसायों में लगे लोगों को भारी आर्थिक लाभ होगा।

चीनी निर्यात प्रतिबंध और

चर्चा में क्यों : हाल ही में, भारत सरकार ने अधिसूचित किया है कि चीनी निर्यात को प्रतिबंधित किया

उनका प्रभाव (Sugar export curbs and their impact)	जाएगा, या केवल अनुज्ञा के साथ ही अनुमति दी जाएगी। ● सरकार ने 1 जून से प्रभावी चीनी के निर्यात को "प्रतिबंधित" करने का निर्णय लिया। **नवीनतम प्रतिबंध क्या हैं?** ● सरकार ने चीनी के निर्यात को 'मुक्त श्रेणी' से, 'प्रतिबंधित' श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है, जिसके लिए किसी सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ● इसका मतलब है कि चीनी के निर्यात की अनुमति केवल चीनी निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिसटीब्यूशन/DFPD), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से विशिष्ट अनुमति के साथ है। **अब प्रतिबंध क्यों?** ● चीनी निर्यात प्रतिबंध, "चीनी की घरेलू उपलब्धता तथा मूल्य स्थिरता" को बनाए रखने का आदेश दिया गया है। ● अक्टूबर और नवंबर के त्योहार की अवधि के दौरान, चीनी की मांग बढ़ जाती है और इसलिए, केंद्र कम अवधि के लिए चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ● साथ ही वैश्विक स्थिति चीनी की कमी को दर्शाती है, खासकर ब्राजील में कम उत्पादन के कारण। ● यह विश्व स्तर पर मांग को गति प्रदान कर सकता है। **निर्यात** **निर्यात में वृद्धि** ● निर्यात में वृद्धि इस तथ्य के कारण है कि ब्राजील ने ईंधन की कीमतों में असाधारण वृद्धि को देखते हुए चीनी की तुलना में अधिक इथेनॉल का उत्पादन किया। ● यह थाईलैंड जैसे अन्य बड़े चीनी उत्पादकों के सूखे की मार ने भारत को उन देशों में उद्यम करने में मदद की जो अन्यथा ब्राजील की चीनी पर निर्भर थे। ● ब्राजील के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। हालांकि, निर्यात के मामले में ब्राजील हमेशा आगे रहा है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

कॉमन डेवलपमेंट विजन (Common Development Vision)	**चर्चा में क्यों : चीन चाहता है कि 10 प्रशांत देश व्यापक समझौते का समर्थन करें** चीन के इस कदम के बीच चीनी विदेश मंत्री वांग यी और 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह संबंधित क्षेत्र का दौरा कर रहा है। **इसके बारें में** ● यह एक मसौदा समझौता है। ● चीन चाहता है कि 10 छोटे प्रशांत देश सुरक्षा से लेकर मत्स्य पालन तक के क्षेत्र में एक व्यापक समझौते का समर्थन करें। ● इस मसौदे समझौता से पता चलता है कि चीन प्रशांत पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना

चाहता है और "पारंपरिक तथा गैर-पारंपरिक सुरक्षा" पर संबंधित देशों से जुड़ना चाहता है तथा कानून प्रवर्तन सहयोग का विस्तार करना चाहता है।

- चीन संयुक्त रूप से मत्स्य पालन के लिए एक समुद्री योजना भी विकसित करना चाहता है।
- चीन ने प्रशांत देशों के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने की संभावना का भी उल्लेख किया है।
- यह समझौता राष्ट्रों को "सरकारों, विधायिकाओं और राजनीतिक दलों के बीच आदान-प्रदान का विस्तार" भी देखेगा।
- समझौते में कहा गया है कि चीन और प्रशांत देश संयुक्त रूप से "समुद्री अर्थव्यवस्था के लेआउट को अनुकूलित करने के लिए, और समुद्री संसाधनों का तर्कसंगत रूप से विकास एवं उपयोग करने के लिए एक समुद्री स्थानिक योजना तैयार करेंगे, ताकि नीली अर्थव्यवस्था के सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।"
- मसौदा समझौता यह भी निर्धारित करता है कि प्रशांत देश एक-चीन सिद्धांत का "दृढ़ता से पालन" करते हैं, जिसके तहत ताइवान, एक स्व-शासित द्वीप लोकतंत्र, को बीजिंग चीन का हिस्सा मानता है।
- जिन देशों को चीन की उम्मीद है वे "कॉमन डेवलपमेंट विजन" का समर्थन करेंगे - सोलोमन द्वीप, किरिबाती, समोआ, फिजी, टोंगा, वानुअतु, पापुआ न्यू गिनी, कुक आइलैंड्स, नीयू और माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य राज्यों के साथ आभासी बैठकें कीं।

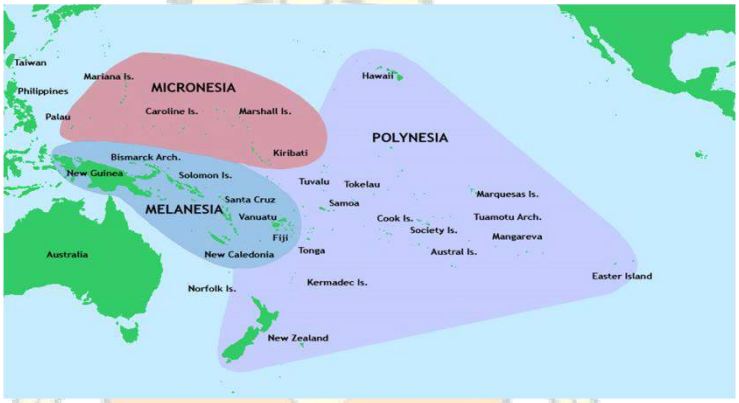

माइक्रोनेशिया ने इस समझौते का यह हवाला देते हुए विरोध किया है कि यह प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक गेम बदलने वाला प्रस्तावित समझौता है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

SCO क्या है?

- SCO एक स्थायी अंतरसरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है।
- इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था।
- SCO चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था और यह वर्ष 2003 में लागू हुआ।

उत्पत्ति

- वर्ष 2001 में SCO के गठन से पहले कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई फाइव (Shanghai Five) के सदस्य थे।
- शंघाई फाइव (1996) का उद्भव सीमा के सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ता की एक शृंखला के

	रूप में हुआ, जिसे चार पूर्व सोवियत गणराज्यों द्वारा चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु आयोजित किया गया था। ● वर्ष 2001 में संगठन में उज़्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई फाइव का नाम बदलकर SCO कर दिया गया। ● वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। **शंघाई सहयोग संगठन की संरचना** ● **राष्ट्र प्रमुखों की परिषद :** यह SCO का सर्वोच्च निकाय है जो अन्य राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपनी आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से बातचीत कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करती है। ● **शासन प्रमुखों की परिषद:** SCO के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर वार्ता कर निर्णय लेती है तथा संगठन के बजट को मंज़ूरी देती है। ● **विदेश मंत्रियों की परिषद :** यह दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। ● **क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (RATS)** : आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए स्थापित है। ● **शंघाई सहयोग संगठन का सचिवालय:** यह सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा संगठनात्मक सहायता प्रदान करने हेतु बीजिंग में अवस्थित है।
क्वाड समिट - इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA)	**चर्चा में क्यों :** चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित किया गया था। यूरोप में युद्ध (यूक्रेन संकट) पर ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के नेताओं के बीच मतभेद थे, लेकिन चीन के जुझारूपन के जवाब में एकमत थे क्योंकि उन्होंने "किसी भी जबरदस्ती का कड़ा विरोध किया था। उत्तेजक या एकतरफा कार्रवाइयां जो भारत-प्रशांत में यथास्थिति को बदलने की कोशिश करती हैं"। ● यूक्रेन संकट के अलावा, नेताओं ने म्यांमार में तख्तापलट के बाद की कार्रवाई पर भी ध्यान दिया, "विदेशियों सहित सभी राजनीतिक बंदियों" की रिहाई और "लोकतंत्र की त्वरित बहाली" का आह्वान किया। ● यह शिखर सम्मेलन "स्पष्ट रूप से आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों" और 26/11 मुंबई एवं वर्ष 2016 पठानकोट हमलों की निंदा की। **इस कार्यक्रम में कई पहलों का शुभारंभ हुआ** **इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA) के बारें में** ● आईपीएमडीए भागीदारों के जल क्षेत्र में निकट-वास्तविक समय की गतिविधियों की एक तेज, व्यापक और अधिक सटीक समुद्री तस्वीर तैयार करेगा। ● IPMDA एक उपग्रह आधारित समुद्री सुरक्षा प्रणाली होगी जिसका लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में "शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मूलभूत आवश्यकता" है। ● यह पहल प्रशांत द्वीप समूह के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों – दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र को एकीकृत करेगी – और "डार्क शिपिंग (dark shipping)" और अन्य "सामरिक गतिविधियों" पर नज़र रखने की अनुमति देगी। ● "डार्क शिप"अपनी स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) के साथ जहाज हैं – एक ट्रांसपोंडर

	सिस्टम – बंद कर दिया ताकि पता लगाने योग्य न हो। ● यह इन देशों को अवैध मछली पकड़ने की निगरानी करने में सक्षम करेगा, भले ही नावों ने ट्रांसपोंडर को बंद कर दिया हो, जो आमतौर पर जहाजों को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ● समुद्री प्रणाली जलवायु और मानवीय घटनाओं का जवाब देने और उनकी मत्स्य पालन की रक्षा करने के लिए भागीदारों की क्षमता में भी सुधार करेगी - कई इंडो-पैसिफिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। **क्वाड जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन पैकेज (Q-CHAMP)** ● सदस्यों ने इसके दो स्तंभों के रूप में "न्यूनीकरण" और "अनुकूलन" के साथ "क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज (क्यू-चैम्प)" भी लॉन्च किया। ● इस पहल से हरित समुद्री परिवहन में मदद मिलेगी और "ग्रीन कॉरिडोर" के विचार को बढ़ावा मिलेगा। **मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) पर क्वाड पार्टनरशिप** इस क्षेत्र में मानवीय पदचिह्न बढ़ाने की योजना के हिस्से के रूप में, नेताओं ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) पर क्वाड पार्टनरशिप की स्थापना की घोषणा की। ● इस समूह ने "क्वाड सैटेलाइट डेटा पोर्टल" के हिस्से के रूप में डेटा के साझाकरण को बढ़ाने का निर्णय लिया, जो सदस्य देशों के उपग्रहों के बीच सहयोग को बढ़ाएगा। टोक्यो शिखर सम्मेलन में क्वाड फेलोशिप का शुभारंभ हुआ जो लोगों से लोगों के संपर्क को तेज करेगा और अकादमिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा।
'सूचना संलयन केंद्र – हिंद महासागर क्षेत्र' (Information Fusion Centre for Indian Ocean Region: IFC-IOR)	● IFC-IOR दिसंबर 2018 में गुरुग्राम में स्थापित भारत सरकार द्वारा समर्थित भारतीय नौसेना की एक पहल है। ● यह सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र के साथ सह-स्थित (co-located) है। ● सूचना संलयन केंद्र सभी भागीदार देशों के बीच समुद्री जानकारी के संयोजन, संलयन और प्रसार के कार्यों को करने के लिए एक समर्पित केंद्र है। ● केंद्र स्थितिजन्य जागरूकता और कानून प्रवर्तन के दोहरे उद्देश्यों को संबोधित करता है। ● IFC-IOR का मुख्य उद्देश्य समुद्री मुद्दों पर क्षेत्रीय देशों के साथ समन्वय करना और समुद्री डेटा के क्षेत्रीय भंडार के रूप में कार्य करना है। ● यह 7500 किमी भारतीय तटरेखा और कुछ पड़ोसी देशों के साथ सभी तटीय श्रृंखला रडार नेटवर्क को जोड़ने वाला एकल-बिंदु केंद्र है। ● यह भागीदार देशों के साथ सहयोगात्मक ढांचे के तहत इस क्षेत्र में शिपिंग यातायात के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण विकास पर नज़र रखता है। ● यह देश की विशाल तटरेखा की एक सहज वास्तविक समय की तस्वीर तैयार करता है। ● भारत के साथ व्हाइट शिपिंग सूचना विनिमय समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देश IFC भागीदार हैं। वर्तमान में, IFC-IOR , विश्व भर में 21 भागीदार देशों और 22 बहु-राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संबंध स्थापित कर चुका है।

ब्रिक्स प्लस	• ब्रिक्स प्लस' को पहली बार मार्च 2017 में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने ब्रिक्स के "मित्रों के सर्कल" को लम्बा करने के उद्देश्य से रखा था जो विकासशील देशों के बीच एकता ला सकता है और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ा सकता है। • इस पहल का उद्देश्य ब्रिक्स देशों की आउटरीच गतिविधियों को ग्लोबल साउथ के साथ बढ़ाना और उभरते बाजारों एवं विकासशील देशों के साथ व्यापक साझेदारी का निर्माण करना है। • विकासशील देशों के स्थायी समूह को ब्रिक्स प्लस श्रेणी के रूप में प्राप्त करने पर समूह के अंदर कोई सहमति नहीं है। • चूंकि इस तरह का कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाना होता है, इसलिए चीन का 'ब्रिक्स प्लस' का विचार अन्य सदस्य देशों के अनुमोदन के बिना साकार नहीं हो सकता है। **ब्रिक्स** • ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं, जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। • ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। **संरचना** • ब्रिक्स संगठन के रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन यह पांच देशों के सर्वोच्च नेताओं के बीच एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। • इसका संक्षिप्त नाम B-R-I-C-S के अनुसार, फोरम की अध्यक्षता सदस्यों के बीच वार्षिक रूप से की जाती है। **मुख्य विशेषताएं** • कुल मिलाकर, ब्रिक्स दुनिया की आबादी का लगभग 40% और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% है, जो इसे एक महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन (economic engine) बनाता है। • यह एक उभरता हुआ निवेश बाजार और वैश्विक शक्ति ब्लॉक है। **टाइम्लाइन** • पहला BRIC शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को BRIC में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया और इसे BRICS कहा जाने लगा।

इतिहास, कला और संस्कृति

बसवा जयंती (Basava Jayanti)	**चर्चा में क्यों :** बसवा जयंती 12वीं शताब्दी के एक हिंदू कन्नड़ कवि बसवन्ना के

	जन्मदिन पर मनाई गई। ● बसवेश्वर का जन्म 1131 ई. में बागेवाड़ी (कर्नाटक का अविभाजित बीजापुर ज़िला) में हुआ था। ● वह 12वीं सदी के एक महान भारतीय दार्शनिक, राजनेता और समाज सुधारक थे। ● वह शिव-केंद्रित भक्ति आंदोलन में 'लिंगायत संत' और कल्याणी चालुक्य/कलचुरी वंश के शासनकाल के दौरान हिंदू शैव समाज सुधारक थे। ● कल्याण में कलचुर्य राजा बिज्जल (1157-1167 ई.) ने अपने दरबार में बसवेश्वर को प्रारंभिक चरण में एक कर्णिका (लेखाकार) के रूप में और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। **योगदान** ● बसवन्ना ने अपनी कविता के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई, जिसे वचनास के नाम से जाना जाता है। ● उन्होंने लैंगिक या सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास और रीति-रिवाजों को खारिज कर दिया। ● उन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना की, जिसने जीवन के आध्यात्मिक और सांसारिक प्रश्नों पर खुले तौर पर चर्चा करने के लिए सभी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के पुरुषों और महिलाओं का स्वागत किया। ● इस प्रकार यह भारत की पहली और सबसे महत्त्वपूर्ण संसद थी, जहां शरणों (कल्याणकारी समाज के नागरिक) के साथ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के समाजवादी सिद्धांतों पर चर्चा की। ● उन्होंने वीरशैव, या "शिव के उत्साही, वीर उपासक" नामक एक नए भक्ति आंदोलन को विकसित और प्रेरित किया। ● बसवन्ना ने भक्ति पूजा का समर्थन किया जिसने ब्राह्मणों के नेतृत्व में मंदिर की पूजा और अनुष्ठानों को खारिज कर दिया और इसे व्यक्तिगत रूप से पहने हुए चिह्नों जैसे प्रथाओं के माध्यम से शिव की व्यक्तिगत प्रत्यक्ष पूजा के साथ बदल दिया। ● इस प्रकार लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक संत बने। **शरण आंदोलन (Sharana movement)** उन्होंने जिस शरण आंदोलन की अध्यक्षता की, उसने सभी जातियों के लोगों को आकर्षित किया, और भक्ति आंदोलन के अधिकांश पहलुओं की तरह, साहित्य का एक संग्रह तैयार किया, उनके वचनों ने वीरशैव संतों के आध्यात्मिक ब्रह्मांड का अनावरण किया।
राखीगढ़ी (Rakhigarhi)	**चर्चा में क्यों :** हाल ही में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा हड़प्पा सभ्यता के राखीगढ़ी स्थल की खुदाई। **राखीगढ़ी** ● यह हरियाणा के हिसार जिले में एक हड़प्पा स्थल है।

- राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है।
- यह स्थल सरस्वती नदी के मैदान में स्थित है, जो मौसमी घग्गर नदी से लगभग 27 किमी दूर है।
- राखीगढ़ी में इस सभ्यता की शुरुआत का पता लगाने और 6000 ईसा पूर्व (पूर्व-हड़प्पा चरण) से 2500 ईसा पूर्व तक इसके क्रमिक विकास का अध्ययन करने के लिये खुदाई की जा रही है।

चल रहे उत्खनन निष्कर्ष:

- उत्खनन से कुछ घरों, गलियों और जल निकासी व्यवस्था की संरचना का पता चला है, और संभवतः एक आभूषण बनाने वाली इकाई क्या हो सकती है।
- एएसआई ने खुदाई में हजारों मिट्टी के बर्तनों और मुहरों के अलावा तांबे और सोने के आभूषण, टेराकोटा के खिलौने के टुकड़े भी बरामद किए हैं।
- दोनों टीलों (1 और 3) पर पाई जाने वाली उल्लेखनीय पुरातनता में स्टीटाइट सील, हाथियों की उभड़ी हुई नक्काशी के साथ टेराकोटा अनबेक्ड सीलिंग और हड़प्पा लिपि शामिल हैं।

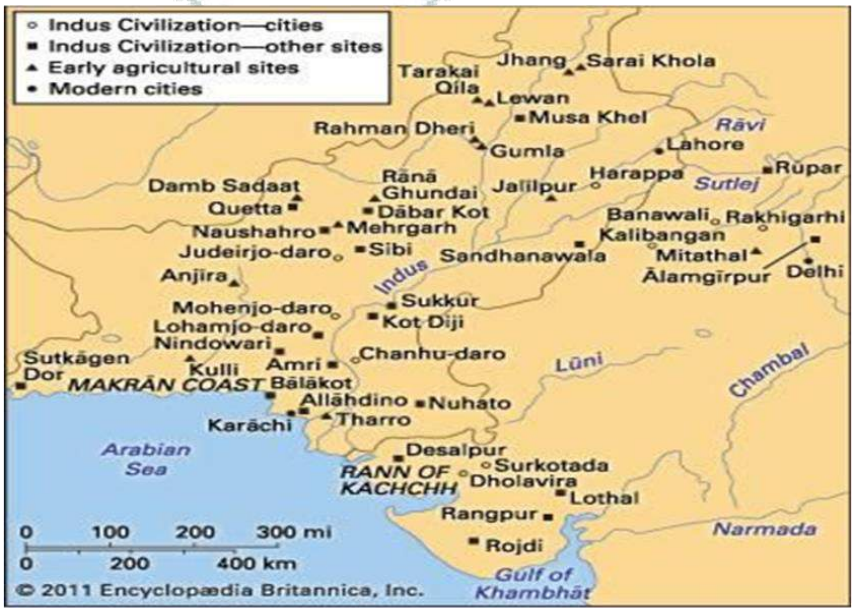

पिछला उत्खनन - प्रमुख निष्कर्ष

- एक बेलनाकार मुहर, जिसके एक ओर पाँच हड़प्पा वर्ण आकृतियां ँ तथा दूसरी ओर घड़ियाल का चित्र बना हुआ है।
- पुरातात्त्विक उत्खनन में मिट्टी के फर्श पर मिट्टी-ईंट तथा त्रिकोणीय एवं गोलाकार अग्नि-वेदियों के

	साथ पशु बलि हेतु खोदे हुए गड्ढों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निष्कर्षों में ब्लेड, टेराकोटा और खोल की चूड़ियाँ, अर्द्ध-कीमती पत्थरों के मनके, तांबे की वस्तुएं, जानवरों की मूर्तियाँ, खिलौना गाड़ी का फ्रेम और टेराकोटा का पहिया, खुदा हुआ स्टीटाइट सील तथा सीलिंग शामिल थे।
पन्निरु तिरुमुरै (PanniruTirumurai)	**इसके बारे में** ● पन्निरु तिरुमुरै जैसा कि नाम से पता चलता है, एक 12-भाग संकलन है। ● यह 600 से अधिक वर्षों से प्रगति पर था क्योंकि यह थेवरम के साथ शुरू होता है - सांबंदर, अप्पार और सुंदरार के भजन (63 तमिल शैव संतों में सबसे प्रमुख सामूहिक रूप से नयनमार या अरुपथुमूवर के रूप में जाना जाता है) ● इन्हें 11वीं शताब्दी में विद्वान नंबियांदर नंबी ने संकलित किया था। ● संगम के काम करने के बाद, यह शायद अगला बड़ा कोष होगा। इसमें शामिल 18,000 श्लोक न केवल कई शैव संतों के रचनात्मक उत्पादन का बल्कि उनके द्वारा देखे गए विभिन्न मंदिरों, उनके जीवन के अवलोकन और हमारी भाषा के विकास का एक मूल्यवान संग्रह है।
तमिलनाडु में लोहे के औजार (Iron tools in Tamil Nadu)	**चर्चा में क्यों :** हाल ही में तमिलनाडु में हुए उत्खनन कार्य की कार्बन डेटिंग से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि भारत में लोहे का प्रयोग 4,200 साल पहले हुआ था। ● इससे पहले देश में लोहे के प्रयोग का प्रमाण 1900-2000 ईसा पूर्व और तमिलनाडु के लिये 1500 ईसा पूर्व माना जाता था। ● तमिलनाडु में लोहे के प्रयोग के नवीनतम साक्ष्य 2172 ईसा पूर्व के हैं। ● यह उत्खनन तमिलनाडु में कृष्णागिरी के निकट मयिलाडुम्पराई में हुआ, जो बेंगलुरु से लगभग 100 किमी दक्षिण में है। ● मयिलादुम्पराई माइक्रोलिथिक (30,000 ईसा पूर्व) और प्रारंभिक ऐतिहासिक (600 ईसा पूर्व) युग के बीच की सांस्कृतिक सामग्री के साथ एक महत्त्वपूर्ण स्थल है। ● यह स्थल कई पुरातात्विक स्थलों जैसे तोगरापल्ली, गंगावरम, संदूर, वेदारथट्टक्कल, गुट्टूर, गिदलुर, सप्पामुटलू और कप्पलावाड़ आदि के बीच में स्थित है। ये सभी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल 10 किमी के भीतर स्थित हैं।
राजा राम मोहन राय	**चर्चा में क्यों : राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाई गई।** **राजा राम मोहन राय के बारे में** ● राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता और एक अथक समाज सुधारक थे,

जिन्होंने भारत में प्रबोधन और उदार सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग का उद्घाटन किया।

उनका जीवन

- उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
- उनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषाओं में पटना में हुई।
- बनारस में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और वेद तथा उपनिषद पढ़े।
- सोलह वर्ष की आयु में अपने गाँव लौटकर उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर एक तर्कसंगत आलोचना लिखी।
- वर्ष 1803 से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिये वुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में काम किया।
- वर्ष 1814 में, उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए कलकत्ता चले गए।
- नवंबर 1830 में वे सती प्रथा संबंधी अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न संभावित अशांति का प्रतिकार करने के उद्देश्य से इंग्लैंड चले गए।
- उन्हें दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर II की पेंशन से संबंधित शिकायतों हेतु इंग्लैंड गए तभी अकबर II द्वारा उन्हें 'राजा' की उपाधि दी गई।

विचारधारा

- वे पश्चिमी आधुनिक विचारों से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने तर्कवाद और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया।
- उनका मानना था कि धार्मिक रूढ़िवादिता समाज की स्थिति को सुधारने के बजाय सामाजिक जीवन के लिए हानिकारक और लोगों के लिए परेशानी और घबराहट का कारण बन गई है।
- रॉय ने निष्कर्ष निकाला कि धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों है।
- वे इस्लामिक एकेश्वरवाद के प्रति आकर्षित थे। उन्होंने कहा कि एकेश्वरवाद भी वेदांत का मूल संदेश है।
- एकेश्वरवाद को वे हिंदू धर्म के बहुदेववाद और ईसाई धर्मवाद के प्रति एक सुधारात्मक कदम मानते थे।
- उनका मानना था कि एकेश्वरवाद ने मानवता के लिये एक सार्वभौमिक मॉडल का समर्थन किया है।
- वे सभी मनुष्यों की सामाजिक समानता में विश्वास करते थे और इस प्रकार जाति व्यवस्था के प्रबल

विरोधी थे।

ब्रह्म समाज

- रॉय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया।
- इसका मुख्य उद्देश्य शाश्वत भगवान की पूजा करना था। यह पुरोहिती, अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ था।
- यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। इससे भारत में तर्कवाद और प्रबोधन का उदय हुआ जिसने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान दिया।
- यह आधुनिक भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का अग्रदूत था।

योगदान

समाज सुधार:

- उन्होंने वर्ष 1814 में आत्मीय सभा, वर्ष 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा (जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया) की स्थापना की।
- उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध अभियान चलाया।
- वह महिलाओं की स्वतंत्रता और विशेष रूप से सती एवं विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन पर अपने अग्रणी विचार और कार्रवाई के लिये जाने जाते थे।
- उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की निरक्षरता और विधवाओं की खराब स्थिति का विरोध किया तथा महिलाओं के लिये विरासत तथा संपत्ति के अधिकार की मांग की।
- ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समकालीनों के साथ उनकी अथक वकालत के कारण अंततः वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक के गवर्नर जनरल के तहत सती का उन्मूलन हुआ।

शैक्षिक सुधार:

- उन्होंने वर्ष 1817 में हिंदू कॉलेज खोजने के लिये डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि राय के अंग्रेज़ी स्कूल में मैकेनिक्स और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया जाता था।
- उन्होंने वर्ष 1822 में एंग्लो-हिंदू स्कूल के साथ इसका पालन किया और वर्ष 1830 में, अलेक्जेंडर डफ को महासभा की संस्था स्थापित करने में सहायता की, जो बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज बन गया।
- वर्ष 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की जहाँ भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता था।

राजा राम मोहन राय की साहित्यिक कृतियाँ

- तुहफत-उल-मुवाहिदीन (1804); वेदांत गाथा (1815); वेदांत सार के संक्षिप्तीकरण का अनुवाद (1816); केनोपनिषद (1816); ईशोपनिषद (1816); कठोपनिषद (1817); मुंडक उपनिषद (1819); हिंदू धर्म की रक्षा (1820); द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस- द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस (1820); बंगाली व्याकरण (1826); द यूनिवर्सल रिलीजन (1829); भारतीय दर्शन का इतिहास (1829); गौड़ीय व्याकरण (1833)

धार्मिक सुधार:

- वर्ष 1803 में प्रकाशित रॉय की पहली कृति तुहफत-उल-मुवाहहिद्दीन (देवताओं के लिए एक उपहार) ने रहस्योद्घाटन, भविष्यवक्ताओं, चमत्कारों आदि में विश्वास के रूप में हिंदुओं की तर्कहीन

	धार्मिक मान्यताओं और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया था। ● वर्ष 1814 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के लिये कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। ● प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस (1820) में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की। **राजनीतिक और आर्थिक सुधार** ● अपने लेखन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने भारत में स्वतंत्र प्रेस के लिये आंदोलन का समर्थन किया। ● राम मोहन राय ने तीन पत्रिकाओं- ब्राह्मणवादी पत्रिका (वर्ष 1821); बंगाली साप्ताहिक- संवाद कौमुदी (वर्ष1821) और फारसी साप्ताहिक- मिरात-उल-अकबर का प्रकाशन किया। ● प्रशासनिक सुधार: उन्होंने बेहतर सेवाओं के भारतीयकरण और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की मांग की। उन्होंने भारतीयों और यूरोपीय लोगों के बीच समानता की मांग की। ● राय ने बंगाली ज़मींदारों की दमनकारी प्रथाओं की निंदा की और भूमि के लिये न्यूनतम किराए के निर्धारण की मांग की। ● उन्होंने विदेशों में भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क को कम करने का आह्वान किया।

भूगोल

चकमा जनजाति (Chakma Tribes)	**चर्चा में क्यों :** चकमा समुदाय के एक जोड़े की हिरासत में मौत - प्रथागत आदिवासी कानूनों और नियमित दंड प्रावधानों के बीच प्रशासन का ओवरलैप। ● चकमा त्रिपुरा की प्रमुख जनजातियों में से एक है। ● त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत प्रशासित किया जाता है। **छठी अनुसूची** ● छठी अनुसूची के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत प्रदान किए गए हैं। ● असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ● छठी अनुसूची के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक यह है कि जनजाति क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में प्रशासित किया जाना है। ● राज्य के राज्यपाल को स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों की प्रशासनिक इकाइयों के रूप में क्षेत्र या क्षेत्रों को निर्धारित करने का अधिकार है। ● यदि एक स्वायत्त जिले में विभिन्न जनजातियाँ हैं, तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। ● प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होगी जिसमें तीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से चार राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जबकि शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।

	• निर्वाचित सदस्य पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं और मनोनीत सदस्य राज्यपाल की खुशी के दौरान पद धारण करते हैं। • स्वायत्त जिला परिषदें और क्षेत्रीय परिषदें कुछ विधायी, कार्यकारी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियों से संपन्न होती हैं। **न्यायिक शक्तियां** • जिला और क्षेत्रीय परिषदों को उन मुकदमों और मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम तथा जिला परिषद न्यायालयों का गठन करने का भी अधिकार है जहां विवाद के सभी पक्ष जिले के अंदर अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। • और उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर किसी अन्य न्यायालय का ऐसे वादों या परिषद न्यायालयों के मामलों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है। • जिस क्षेत्र में यह घटना हुई वह त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के अंतर्गत आता है। **क्या हुआ?** • चकमा कानून के तहत, तीन बार भाग चुके जोड़े को विवाहित माना जाता है। एहतियात के तौर पर, समुदाय के बुजुर्गों ने इस मामले में पुलिस की भागीदारी की मांग की, इस प्रकार आदिवासी प्रथागत कानूनों और नियमित दंड प्रावधानों के बीच ग्रे ज़ोन प्रशासन की ओर अग्रसर है।
अर्बन हीट आइलैंड्स (Urban Heat Islands)	**संदर्भ:** देश के कई हिस्से गर्मी की लहर की स्थिति से जूझ रहे हैं। विशेष रूप से शहर, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक गर्म हैं। यह "शहरी गर्मी द्वीप" नामक एक घटना के कारण है। सूर्य की गर्मी और प्रकाश शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही तरह से पहुंचते हैं लेकिन तापमान में अंतर मुख्य रूप से वातावरण में सतहों के कारण होता है और वे गर्मी को कैसे अवशोषित और धारण करते हैं। **अर्बन हीट आइलैंड (UHI) क्या है?** • एक स्थानीय और अस्थायी घटना का अनुभव तब होता है जब किसी शहर के कुछ हिस्सों में उसी दिन आसपास या पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्मी भार का अनुभव होता हैं। • भिन्नताएं मुख्य रूप से कंक्रीट के जंगलों के समान स्थानों के भीतर फंसी हुई गर्मी के कारण होती हैं। • यह तापमान भिन्नता 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकती है। **शहर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म क्यों हैं?** शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण, खेत, जंगलों और पेड़ों के रूप में अपेक्षाकृत बड़ा हरा आवरण है। • यह हरित आवरण अपने परिवेश में गर्मी को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

- वाष्पोत्सर्जन ऊष्मा नियमन का एक प्राकृतिक तरीका है। यह जड़ों की मिट्टी से पानी को अवशोषित करने, इसे पौधों की पत्तियों और तनों में संग्रहीत करने, इसे संसाधित करने तथा जल वाष्प के रूप में छोड़ने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है।

इसके विपरीत, शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त हरित आवरण या उद्यान का अभाव है और अक्सर सार्वजनिक परिवहन के लिए ऊंची इमारतों, सड़कों, पार्किंग स्थलों, फुटपाथों और पारगमन मार्गों के साथ विकसित होते हैं।

- नतीजतन, गर्मी विनियमन या तो पूरी तरह से अनुपस्थित है या मानव निर्मित है।
- काला या कोई भी गहरे रंग की वस्तु प्रकाश की सभी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करती है और उन्हें गर्मी में परिवर्तित करती है, जबकि सफेद इसे परावर्तित करता है।
- शहरों में आमतौर पर कांच, ईंटों, सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित इमारतें होती हैं – ये सभी गहरे रंग की सामग्री हैं, जिसका अर्थ है कि वे उच्च गर्मी सामग्री को आकर्षित और अवशोषित करते हैं।
- पानी उनके माध्यम से आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकता।
- बहते और वाष्पित होने वाले पानी के चक्र के बिना, इन सतहों के पास उन्हें ठंडा करने के लिए कुछ भी नहीं होता है।
- गर्मी कई मानवीय गतिविधियों से भी निकलती है इनमें वाहन, कारखाने, घरेलू उपकरण, पर्यावरण में गर्मी छोड़ते हैं और तापमान में वृद्धि का कारण बनते हैं।

इस प्रकार शहरों के भीतर अस्थायी द्वीप बन जाते हैं जहां गर्मी फंसी रहती है। ये जल निकायों के आसपास के विशिष्ट द्वीप नहीं हैं, बल्कि शहरी ऊष्मा द्वीप हैं जो अन्य इलाकों की तुलना में अधिक दिन के तापमान को रिकॉर्ड करते हैं।

यूएचआई के प्रभाव

- बिजली/ऊर्जा लागत: ऊर्जा लागत (जैसे, एयर कंडीशनिंग के लिए), वायु प्रदूषण के स्तर, और गर्मी से संबंधित बीमारी और मृत्यु दर को बढ़ाता है।
- खराब पानी और हवा की गुणवत्ता: चूंकि ये अधिक प्रदूषक होते हैं, इसलिए वे शहरी परिदृश्य से बिखरने और कम विषैले होने से अवरुद्ध हो जाते हैं। यूएचआई का गर्म पानी उन देशी प्रजातियों पर बल देता है जो ठंडे जलीय वातावरण में जीवन के लिए अनुकूलित हो गई हैं।
- गर्मी को पसंद करने वाली प्रजातियों द्वारा औपनिवेशीकरण (Colonization by heat-loving species): यूएचआई उन प्रजातियों के उपनिवेशण को बढ़ाता है जो गर्म तापमान पसंद करती हैं, जैसे कि छिपकली और जेकॉस। चीटियों जैसे कीट ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में यहाँ अधिक प्रचुर मात्रा में हैं; इन्हें एक्टोथर्म के रूप में जाना जाता है।
- हीटवेव्स: यह मनुष्य और पशु स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिससे थकावट, निर्जलीकरण और मृत्यु दर में वृद्धि होती है।

शहरी ताप द्वीपों को कैसे कम किया जा सकता है?

- शहरी क्षेत्रों में गर्मी के भार को कम करने का मुख्य तरीका हरित आवरण को बढ़ाना है; खुले स्थानों को पेड़-पौधों से भरना।
- निर्माण सामग्री का उचित विकल्प
- छत और किचन गार्डन को बढ़ावा देना

और जहां भी संभव हो, गर्मी को प्रतिबिंबित करने के लिए छतों पर सफेद या हल्के रंगों को चित्रित करना

	शामिल है।
मारियुपोल	• यह रूस के साथ यूक्रेन के युद्ध में सबसे भारी बमबारी और क्षतिग्रस्त शहर बन गया है। • मारियुपोल डोनेट्स्क ओब्लास्ट के दक्षिण में, आज़ोव सागर के तट पर और कलमियस नदी के मुहाने पर स्थित है। • वर्ष 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान, इस शहर को घेर लिया गया और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया जिसमें इसे यूक्रेन के हीरो सिटी का खिताब मिला। • इस बंदरगाह शहर पर कब्जा करना रूस के लिए एक रणनीतिक जीत होगी - और यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका। • एक्सपर्ट्स का कहना है कि मारियुपोल पर कब्जा होने से यूक्रेन की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस शहर पर कब्जा होने से रूस के पास ब्लैक सी से सटे यूक्रेन के 80% तटीय क्षेत्र होंगे। साथ ही यूक्रेन दुनिया से कट जाएगा जो उसके लिए बड़ी हार होगी। मारियुपोल यूक्रेन के स्टील, कोयला और मकई के लिए एक प्रमुख निर्यात केंद्र है जो मध्य पूर्व और उससे आगे के ग्राहकों के लिए जा रहा है।
आज़ोव सागर (Sea of Azov)	• यह सागर पूर्वी यूरोप में स्थित है। • यह इसके दक्षिण में स्थित लगभग 4 किलोमीटर संकरे कर्च जलडमरूमध्य से काला सागर से जुड़ा हुआ है। • इसीलिए इसे कभी-कभी काला सागर का उत्तरमुखी विस्तार भी कहा जाता है। • यह सागर दक्षिण-पूर्व में रूस और उत्तर-पश्चिम में यूक्रेन से घिरा है।
पैंगोंग त्सो (Pangong Tso)	**चर्चा में क्यों :** विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि पैंगोंग क्षेत्र में चीन द्वारा बनाए गए दो पुल उन क्षेत्र में हैं जो 1960 के दशक से चीन के अवैध कब्जे में हैं। • यह उस बिंदु से 20 किमी से अधिक पूर्व में है जिसे भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के रूप में चिह्नित करता है। • यह पुल झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 8 से लगभग 20 किमी पूर्व में स्थित है, जिसे भारत कहता है कि वह बिंदु है जो एलएसी को चिह्नित करता है। • यह क्षेत्र वर्ष 1958 से चीनी नियंत्रण में है, हालांकि यह भारत की दावा रेखा के ठीक पश्चिम में है, जो भारत के अनुसार इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। • यह खुर्नक किले (Khurnak Fort) नामक खंडहर के ठीक पूर्व में है, जहां चीन के पास प्रमुख सीमांत रक्षा ठिकाने हैं। इस क्षेत्र को चीन द्वारा रूटोंग काउंटी कहा जाता है।

- खुर्नक किले में चीन की एक सीमांत रक्षा कंपनी है, और बनमोझांग में आगे पूर्व में एक जल स्क्वाड्रन है।

पृष्ठभूमि (Background)

- मई 2020 में सैन्य गतिरोध शुरू होने के बाद से, भारत और चीन ने न केवल मौजूदा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम किया है, बल्कि पूरे सीमा पर कई नई सड़कों, पुलों, लैंडिंग स्ट्रिप्स का भी निर्माण किया है।

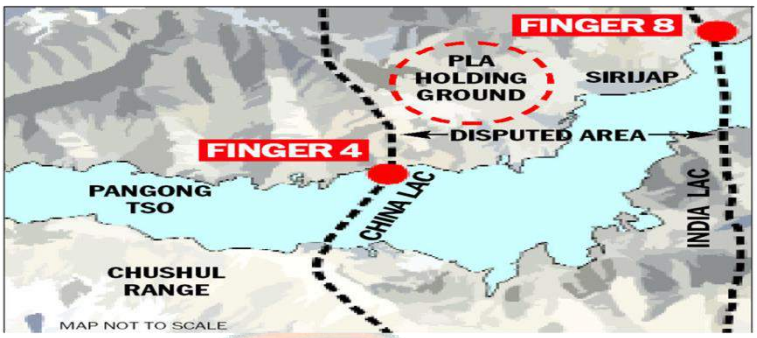

- दोनों देश झील के उत्तरी किनारे से पीछे हटने और पैंगोंग त्सो के दक्षिण में चुशुल उप-क्षेत्र में कैलाश रेंज पर स्थिति पर सहमत हुए।
- पहला पुल झील के उत्तरी तट पर फिंगर 8 से 20 किमी पूर्व में बनाया गया था - भारत का कहना है कि फिंगर 8 एलएसी को दर्शाता है।
- इस झील को फिंगर एरिया से देखा जाता है - सिरिजाप रेंज (झील के उत्तरी किनारे पर) से बाहर आठ चट्टानों का एक समूह है।

पैंगोंग त्सो

- पैंगोंग झील एक लंबी बुमेरांग के आकार (boomerang-shaped) की एंडोरहिक (endorheic) जल निकाय है।
- यह समुद्र तल से लगभग 4,200 मीटर (13,800 फीट) से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है।
- यह पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में फैली एक सीमा पार झील है, जिसकी लंबाई 135 किमी से अधिक है।
- यह झील अपने सबसे चौड़े बिंदु पर 5 किमी चौड़ी है।
- कुल झील की लंबाई का 50% तिब्बत (चीन) में स्थित है जबकि 40% लद्दाख भारत में। झील का 10% हिस्सा विवादित है और इसे भारत और चीन के बीच वास्तविक बफर जोन माना जाता है।
- व्यावहारिक रूप से चीन कुल लंबाई का 2/3 भाग नियंत्रित करता है जबकि शेष भारत द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

पूर्वी भाग:

- झील का सबसे पूर्वी भाग मीठे पानी का है।
- यह गर्मियों के दौरान कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र है।

पश्चिमी भाग:

- झील का सबसे पश्चिमी भाग अत्यधिक खारा है।
- झील में या उसके आस-पास कोई मछलियाँ या वनस्पतियाँ नहीं देखी जाती हैं, हालाँकि, पानी में

	कुछ क्रस्टेशियंस (crustaceans) देखे जा सकते हैं। अतीत में भूगर्भीय कारकों के कारण झील आकार में सिकुड़ गई है। a. झील के अंदर कई द्वीप हैं, पैंगोंग त्सो झील के सबसे प्रसिद्ध द्वीपों में से एक बर्ड आइल है।
डोनबास और लुहान्स्क (Donbas and Luhansk)	**चर्चा में क्यों : यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा - लगातार बमबारी ने यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र को नरक (hell) में बदल दिया है।** **डोनबास और लुहान्स्क के बारे में** ● डोनबास क्षेत्र, जिसमें यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहान्स्क ओब्लास्ट शामिल हैं, यह मार्च 2014 से संघर्ष केंद्र में रहा, जब रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया था।
वांचुवा उत्सव (Wanchuwa festival)	**चर्चा में क्यों : हाल ही में, तिवा जनजातियों ने असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 'वांचुवा उत्सव' मनाया गया।** **वांचुवा उत्सव के बारे में:** ● वांचुवा, पहाड़ियों में रहने वाले तिवा जनजातीय समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ● इस उत्सव का संबंध कृषि से है, जो उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। ● हर फसल के साथ, इस त्योहार पर समुदाय के लोग अपना पारम्परिक परिधान धारण करते है और नृत्य, गान और अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। ● हाथ में बाँस की छड़ें लेकर, लोग चावल के लेप को ताल से पीटते हैं, और कभी-कभी एक घेरा बनाकर चारों तरफ़ घूमते हैं। **तिवा जनजाति** ● तिवा जनजाति एक ऐसा समुदाय है जो कृषि के पारंपरिक रूप के इर्द-गिर्द केंद्रित है। ● इसे 'लालुंग' के रूप में भी जाना जाता है, इस स्वदेशी समुदाय को असम राज्य के अंदर एक अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

	● इसके साथ-साथ ये अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी निवास करते हैं। ● यह जनजाति झूम कृषि करती है।
कच्चातिवु द्वीप (Katchatheevu Island)	**चर्चा में क्यों : हाल ही में, प्रधानमंत्री की तमिलनाडु यात्रा के दौरान, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने श्रीलंका से कच्चातिवु द्वीप को वापस लेने को कहा है।** **कच्चातिवु द्वीप** ● यह पाक जलडमरूमध्य में एक निर्जन अपतटीय द्वीप है जो मूल रूप से रामनाड (वर्तमान रामनाथपुरम, तमिलनाडु) के राजा के स्वामित्व में था। ● इस द्वीप का उपयोग मछुआरे अपने जाल सुखाने के लिए करते हैं। ● ब्रिटिश शासन के दौरान, इसे भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित किया गया था। ● 20वीं सदी की शुरुआत में, श्रीलंका ने इस टापू पर क्षेत्रीय स्वामित्व का दावा किया, इसलिए 1974 में भारत ने एक संयुक्त समझौते के माध्यम से इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। ● दो साल बाद एक और समझौते के माध्यम से, भारत ने इस क्षेत्र में अपने मछली पकड़ने के अधिकार को छोड़ दिया। ● शुरुआत में वर्ष 1974 के सीमा समझौते ने सीमा के दोनों ओर मछली पकड़ने के मछुआरों के हितों को प्रभावित नहीं किया। ● वर्ष 1976 में दोनों देशों के मध्य हुए दस्तावेज़ों के आदान-प्रदान द्वारा भारत और श्रीलंका एक-दूसरे के जल क्षेत्र में मछली न पकड़ने पर सहमत हुए। ● वर्ष 1974 और वर्ष 1976 में दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (International Maritime Boundary Line- IMB) का सीमांकन करने हेतु संधियों पर हस्ताक्षर किये गए थे। ● हालाँकि समझौता मछुआरों को इस क्षेत्र में मछली पकड़ने से नहीं रोक सका, क्योंकि मछुआरों को कोई सीमा नहीं पता है। ● समुद्री सीमा समझौतों पर हस्ताक्षर के बावजूद वर्ष 1983 में ईलम युद्ध (Eelam war) शुरू होने तक दोनों देशों के मछुआरा समुदायों ने शांतिपूर्वक पाक खाड़ी क्षेत्र में मछली पकड़ना जारी रखा। ● बहरहाल वर्ष 2009 में युद्ध की समाप्ति के बाद से श्रीलंकाई मछुआरे भारतीय मछुआरों के उन्ही के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने पर आपत्ति जताते रहे हैं। ● कच्चातीवु द्वीप का उपयोग मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियों को छाँटने और अपना जाल सुखाने के लिये किया जाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के दूसरी तरफ स्थित है। मछुआरे अक्सर अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं और खाली हाथ लौटने के बजाय आईएमबीएल को पार

	कर जाते हैं, लेकिन श्रीलंकाई नौसेना सतर्क है, और उन्होंने मछली पकड़ने के जाल और उन लोगों के जहाजों को या तो गिरफ्तार या नष्ट कर दिया है जो सीमा पार कर चुके होते हैं।
गोल्ड रिजर्व (Gold reserve)	**चर्चा में क्यों :** बिहार सरकार ने जमुई जिले में "देश के सबसे बड़े" सोने के भंडार की खोज के लिए अनुमति देने का फैसला किया है। ● भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के सर्वेक्षण के अनुसार, जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। ● जीएसआई के निष्कर्षों का विश्लेषण करने के बाद परामर्श प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें जमुई जिले में करमाटिया, झाझा और सोनो जैसे क्षेत्रों में सोने की उपस्थिति का संकेत दिया गया था।" **भारत में स्वर्ण भंडार** ● स्वर्ण अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार बिहार (44 प्रतिशत) में स्थित है, इसके बाद राजस्थान (25 प्रतिशत), कर्नाटक (21 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (3 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (3 प्रतिशत), झारखंड (2 प्रतिशत) का स्थान है। ● बाकी 2 प्रतिशत भंडार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हैं। **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण** ● भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India) भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संगठन है। ● इसकी स्थापना वर्ष 1851 में हुई थी। इसका कार्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करना है। ये इस तरह के दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है। ● यह सरकार, उद्योग और आम जनता के लिए बुनियादी पृथ्वी विज्ञान की जानकारी का प्रमुख प्रदाता है। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक सूचना के निर्माण और अद्यतन एवं खनिज संसाधन मूल्यांकन से संबंधित है।

पर्यावरण

पैंगोलिन	**चर्चा में क्यों :** रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक पैंगोलिन को बचाया गया। **इसके बारे में** ● पैंगोलिन की आठ प्रजातियों में से भारतीय पैंगोलिन (Manis crassicaudata) और चीनी पैंगोलिन (Manis pentadactyla) भारत में पाए जाते हैं। ● पैंगोलिन टेढ़े-मेढ़े एंटीटर स्तनधारी होते हैं और इनकी त्वचा को ढकने के लिये बड़े सुरक्षात्मक केराटिन स्केल्स होते हैं। ● कीटभक्षी-पैंगोलिन रात्रिचर होते हैं और इनका आहार मुख्य रूप से चीटियाँ तथा दीमक होते हैं। **पर्यावास** **भारतीय पैंगोलिन -** भारतीय पैंगोलिन व्यापक रूप से शुष्क क्षेत्रों, उच्च हिमालय एवं पूर्वोत्तर को छोड़कर शेष भारत में पाया जाता है। **चीनी पैंगोलिन -** चीनी पैंगोलिन पूर्वी नेपाल में हिमालय की तलहटी क्षेत्र में, भूटान, उत्तरी भारत, उत्तर-पूर्वी

	बांग्लादेश और दक्षिणी चीन में पाया जाता है। **भारतीय और चीनी पैंगोलिन के बीच अंतर** ● भारतीय पैंगोलिन की पीठ पर शल्कनुमा संरचना की 11-13 तक पंक्तियाँ होती हैं। ● भारतीय पैंगोलिन की पूँछ के निचले हिस्से पर एक टर्मिनल स्केल भी मौज़ूद होता है, जो चीनी पैंगोलिन में अनुपस्थित होता है। 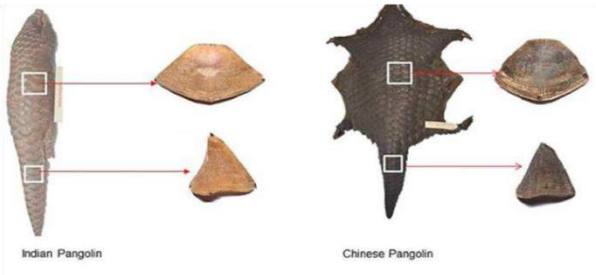 **स्थिति** ● वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I ● IUCN लाल सूची: भारतीय पैंगोलिन - संकटग्रस्त (Endangered); चीनी पैंगोलिन - गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) ● CITES: पारीशिष्ट-1।
आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल अनुसंधान के लिए मानदंडों में ढील (Norms eased for genetically modified crop research)	**चर्चा में क्यों :** जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों में अनुसंधान के लिए मानदंडों को आसान बनाने और फसलों की रूपरेखा (प्रोफाइल) को बदलने के लिए विदेशी जीन का उपयोग करने संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। **जीनोम संपादित पौधों के सुरक्षा आकलन के लिए दिशानिर्देश, 2022** ● यह उन शोधकर्ताओं को छूट देता है जो पौधे के जीनोम को संशोधित करने के लिए 'जीन-संशोधन तकनीक' (Gene-Editing Technology) का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं को 'जेनेटिक इंजीनियरिंग आंकलन समिति' (Genetic Engineering Appraisal Committee- GEAC) से अनुमोदन प्राप्त करने से छूट दी गई है। ● हालांकि अंतिम निर्णय पर्यावरण मंत्री के साथ-साथ उन राज्यों द्वारा लिया जाता है, जहां ऐसे पादप/फसलों की खेती की जाती है। ● दिशानिर्देश भारत में जीनोम एडिटिंग प्रौद्योगिकियों के विकास और सतत उपयोग के लिए एक रोड मैप है, जिसमें जैव सुरक्षा और/या पर्यावरण सुरक्षा चिंताओं को निर्दिष्ट किया गया है, और पौधों के जीनोम संपादन के दौरान अपनाए जाने वाले नियामक मार्गों का वर्णन किया गया है। ● दिशानिर्देशों में कहा गया है कि ट्रांसजेनिक बीजों को विकसित करने के लिए शोधकर्ताओं को जिन सभी आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए, वे जीन-संपादित बीजों पर लागू होंगी, सिवाय उन खंडों को छोड़कर जिन्हें जीईएसी से अनुमति की आवश्यकता होती है। **विपरीत नतीजे** ● पर्यावरणवादी समूहों ने जीन-संपादित फसलों के लिए इस अपवाद का विरोध करते हुए तर्क दिया कि जीन एडिटिंग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में शामिल है। इसलिए विशेष प्रकार के जीनोम संपादित पौधों को नियामक दायरे से छूट देने का कोई सवाल ही नहीं है। **जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)**

	• जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित 'खतरनाक सूक्ष्मजीवों / आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग / आयात / निर्यात और भंडारण के लिए नियम, 1989' के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। • जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) में कार्य करती है। • यह निकाय भारत में खतरनाक सूक्ष्मजीवों या आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों और कोशिकाओं के उपयोग, निर्माण, भंडारण, आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है। **जीईएसी कार्य** • यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान एवं औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के मूल्यांकन के लिये ज़िम्मेदार है। • समिति प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों और उत्पादों के निर्गमन से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिये भी ज़िम्मेदार है। • रिकॉम्बिनेंट फार्मा उत्पादों के आयात/निर्माण में जोखिम श्रेणी III और उससे ऊपर के जीवित संशोधित जीवों के उपयोग के प्रस्तावों पर विचार करता है, या जहां पुनः संयोजक फार्मा उत्पाद का अंतिम उत्पाद एक संशोधित जीवित जीव है। समिति के पास पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत लोगों/निकायों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्ति है।
सामुदायिक वन अधिकार (Community Forest Rights)	**चर्चा में क्यों :** छत्तीसगढ़ सरकार एक राष्ट्रीय उद्यान (कांगेरघाटी) के अंदर एक गांव के सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकारों को मान्यता देने के लिए देश में (ओडिशा में सिमलीपाल के बाद) दूसरा राज्य बन गया है। **सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र:** • यह सामान्य वन भूमि है जिसे किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग के लिये पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। • समुदाय इसका उपयोग गाँव की पारंपरिक और प्रथागत सीमा के भीतर उपलब्ध संसाधनों तक पहुँचने के लिए करता है; और ग्रामीण समुदायों के मामले में परिदृश्य के मौसमी उपयोग के लिए किया जाता है। • प्रत्येक CRF क्षेत्र में समुदाय और उसके पड़ोसी गांवों द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों की एक प्रथागत सीमा होती है। • इसमें किसी भी श्रेणी के वन शामिल हो सकते हैं - राजस्व वन, वर्गीकृत और अवर्गीकृत वन, डीम्ड वन, ज़िला समिति भूमि (DLC), आरक्षित वन, संरक्षित वन, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान आदि।. **सामुदायिक वन संसाधन अधिकार:** *सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सामुदायिक वन संसाधनों को "संरक्षण, पुन: उत्पन्न या संरक्षित या प्रबंधित" करने के अधिकार की मान्यता प्रदान करते हैं।* • ये अधिकार समुदाय को वनों के उपयोग के लिये स्वयं और दूसरों के लिये नियम बनाने की अनुमति देते हैं तथा इस तरह FRA की धारा 5 के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।

	• इसमें निस्तार अधिकार और गैर-लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार शामिल हैं, समुदाय की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करते हैं। • ये अधिकार ग्राम सभा को सामुदायिक वन संसाधन सीमा के भीतर वन संरक्षण और प्रबंधन की स्थानीय पारंपरिक प्रथाओं को अपनाने का अधिकार देते हैं। **महत्व** वन-आश्रित समुदायों के साथ वनों पर उनके प्रथागत अधिकारों में कटौती के कारण "ऐतिहासिक अन्याय" को पूर्ववत करने के उद्देश्य से, एफआरए 2008 में लागू हुआ। • यह वन संसाधनों के उपयोग, प्रबंधन और संरक्षण के समुदाय के अधिकार को मान्यता देता है। • इन समुदायों द्वारा खेती और निवास के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि को कानूनी रूप से धारण करने के अधिकार को मान्यता देता है। • यह वनों की स्थिरता और जैवविविधता के संरक्षण में वनवासियों की अभिन्न भूमिका को भी रेखांकित करता है। • तब पारंपरिक निवासी अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके संरक्षित वनों के प्रबंधन का हिस्सा बन जाते हैं। **चुनौती:** विभिन्न गांवों के बीच उनकी पारंपरिक सीमाओं के बारे में आम सहमति बनाना।

विज्ञान-प्रौद्योगिकी

एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टमम (Advanced Towed Artillery Gun System)	**चर्चा में क्यों :** स्वदेशी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टमम (एटीएजीएस) ने सेना के विनिर्देशों को पूरा करने की दिशा में सत्यापन परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया। **एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टमम के बारे में** • ATAGS भारत फोर्ज और टाटा समूह की साझेदारी में DRDO की पुणे स्थित प्रयोगशाला, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टाब्लिशमेंट (ARDE) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 155 मिमी, 52-कैलिबर हैवी आर्टिलरी गन है। • ATAGS ने 45 किमी से अधिक की रेंज का प्रदर्शन किया है। • यह दुनिया की सबसे सुसंगत और सटीक बंदूक है। • यह स्वायत्त मोड फायरिंग क्षमता और वायरलेस संचार के अलावा उच्च कोण पर सबसे छोटी न्यूनतम सीमा और रेगिस्तान तथा पहाड़ी इलाकों में तेज गतिशीलता का दावा करता है। इसे सभी इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव के साथ पूरी तरह से स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग सिस्टम के साथ सभी सेवाकालीन गोला बारूद को आग लगाने के लिए डिजाइन किया गया है।
मंकीपॉक्स	**चर्चा में क्यों :** यूनाइटेड किंगडम में एक मामले का पता चला।

(Monkeypox)	● ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी यूकेएचएसए ने पिछले हफ्ते ही दक्षिणी इंग्लैंड के एक घर में संक्रमण के मामले सामने आने की पुष्टि की थी। जो लोग संक्रमित मिले उन्होंने हाल में नाइजीरिया की यात्रा की थी। **मंकीपॉक्स के बारे में** ● यह मानव चेचक के समान एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है ● मंकीपॉक्स एक जूनोसिस (zoonosis) है। यानी एक ऐसी बीमारी, जो संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। **मंकीपॉक्स वायरस** ● मंकीपॉक्स वायरस पोक्सविरिडे परिवार में ऑर्थोपॉक्सवायरस जीनस से संबंधित है। ऑर्थोपॉक्सवायरस जीनस में वेरियोला वायरस (जो चेचक का कारण बनता है), वैक्सीनिया वायरस (चेचक के टीके में प्रयुक्त) और काउपॉक्स वायरस भी शामिल है। ● मध्य और पश्चिम अफ्रीका के कई देशों में मंकीपॉक्स का प्रकोप जारी है। ● विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, दो अलग-अलग क्लैड की पहचान की गई है: वेस्ट अफ्रीकन क्लैड और कांगो बेसिन क्लैड, जिसे सेंट्रल अफ्रीकन क्लैड के रूप में भी जाना जाता है। **ट्रांसमिशन (Transmission)** ● मंकीपॉक्स एक जूनोसिस है। ● गिलहरी, गैम्बियन शिकार चूहों, डॉर्मिस और बंदरों की कुछ प्रजातियों में मंकीपॉक्स वायरस के संक्रमण का पता चला है। ● अभी तक की जांच में पता चला है कि, मानव-से-मानव के बीच इस वायरस के फैलने की संभावना सीमित है। ● मंकीपॉक्स किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क के माध्यम से या वायरस से दूषित सामग्री के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। ● ऐसा माना जाता है कि यह चूहों, चूहियों और गिलहरियों जैसे जानवरों से फैलता है. यह रोग घावों, शरीर के तरल पदार्थ, श्वसन बूंदों और दूषित सामग्री जैसे बिस्तर के माध्यम से फैलता है। ● यह वायरस चेचक की तुलना में कम संक्रामक है और कम गंभीर बीमारी का कारण बनता है। **लक्षण** ● WHO के मुताबिक, मंकीवायरस संक्रमण होने के बाद लक्षण दिखने में 6 से 13 दिन लग सकते हैं। ● संक्रमितों को बुखार, तेज सिरदर्द, पीठ और मांसपेशियों में दर्द के साथ गंभीर कमजोरी महसूस हो सकती है। ● लिम्फ नोड्स (लिम्फाडेनोपैथी) की सूजन इसका सबसे आम लक्षण माना जाता है। बीमार शख्स के चेहरे और हाथ-पांव पर बड़े-बड़े दाने हो सकते हैं। अगर संक्रमण गंभीर हो तो ये दाने आंखों के कॉर्निया को भी प्रभावित कर सकते हैं। **इलाज** ● WHO के अनुसार, वर्तमान में मंकीपॉक्स का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।

	● चेचक के टीकों (वैक्सीनिया वायरस से बने) को मंकीपॉक्स के खिलाफ सुरक्षात्मक माना जाता है। ● ऐसे में इसका बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। ● विशेषज्ञों का कहना है कि लोग अपने घरों में गंदगी न फैलने दें। खासकर चूहों और बंदरों के मल और उनकी पहुंच से दूर रहें। **नोट :** ● यह पहली बार 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था। ● मंकीपॉक्स से संक्रमण का पहला मामला 1970 में दर्ज किया गया था। ● यह रोग मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में होता है।
ब्लैक होल (Black Hole)	**चर्चा में क्यों :** इवेंट होराइजन टेलीस्कोप (EHT) सुविधा से वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी (Milky Way) के केंद्र के पास स्थिति ब्लैक होल की तस्वीर का खुलासा किया। ● खगोलविदों का मानना है कि हमारी आकाशगंगा सहित लगभग सभी आकाशगंगाओं के केंद्र में ये विशालकाय ब्लैक होल हैं। ● मिल्की वे ब्लैक होल को धनु A यानी Sagittarius A (asterisk) कहा जाता है, जो Sagittarius और Scorpius नक्षत्रों की सीमा के पास है। ● यह हमारे सूर्य से 4 मिलियन गुना ज्यादा बड़ा है। ● धनु A* (SgrA*) के रूप में संदर्भित ब्लैक होल की इस छवि ने इस विचार को और समर्थन दिया कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित कॉम्पैक्ट वस्तु वास्तव में एक ब्लैक होल है। यह आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को मजबूत करता है। 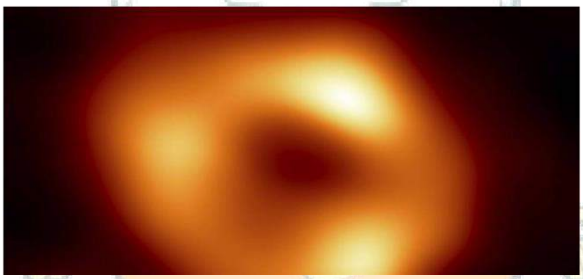 **ब्लैक होल क्या है?** ● ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक बिंदु को संदर्भित करता है जहां पदार्थ इतना संकुचित होता है कि एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है जिससे प्रकाश भी नहीं बच सकता। ● खगोलविदों का मानना है कि हमारी अपनी आकाशगंगाओं सहित लगभग सभी आकाशगंगाओं के अपने उपरिकेंद्र और भीड़भाड़ वाले केंद्र में ये विशाल ब्लैक होल हैं, जहाँ प्रकाश और पदार्थ बच नहीं सकते हैं और उनकी छवियों को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। प्रकाश गुरुत्वाकर्षण द्वारा झुकता और घूमता है क्योंकि यह अत्यधिक गरम गैस और धूल के साथ रसातल में समा जाता है। ● इस अवधारणा का सिद्धांत वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। ● ब्लैक होल के दो भाग होते हैं: ★ इसके मूल में एक विलक्षणता होती है – एक ऐसा बिंदु जो असीम रूप से घना होता है, क्योंकि तारे के सभी अवशेष द्रव्यमान इस बिंदु में संकुचित होते हैं। ★ घटना क्षितिज - ब्लैक होल से परे अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है जिसे घटना क्षितिज कहा जाता है। यह

	एक "बिना वापसी का बिंदु" है, जिसके आगे ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बचना असंभव है। **इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना** ● EHT विश्व के विभिन्न भागों में स्थित 8 रेडियो दूरबीनों का एक समूह है। वर्ष 2006 में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खगोलविदों के नेतृत्व में 200 से अधिक शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने एक 'ब्लैक होल' का स्पष्ट चित्र लेने के एकमात्र उद्देश्य से 'इवेंट हराइज़न टेलीस्कोप (EHT) परियोजना शुरू की थी।
ब्रह्मोस का उन्नत संस्करण (Advance Version of BrahMos)	**चर्चा में क्यों :** नौसेना के जहाज से विस्तारित दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण करने के दो महीने बाद, मिसाइल को Su-30 MKI विमान से हवा में लॉन्च किया गया था। **ब्रह्मोस के बारे में:** ● ब्रह्मोस एक स्वदेश निर्मित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ● इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ● **ब्रह्मोस मिसाइल में चरण:** यह दो चरणों वाली (पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट) मिसाइल है। ● यह एक मल्टीप्लेटफॉर्म मिसाइल है अर्थात इसे ज़मीन, हवा और समुद्र तथा बहु क्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जो किसी भी मौसम में दिन और रात में काम करती है। ● **फायर एंड फॉरगेट्स सिद्धांत:** यह "फायर एंड फॉरगेट्स" सिद्धांत पर काम करता है यानी लॉन्च के बाद इसे और मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। ● **रेंज:** ब्रह्मोस की रेंज पहले लगभग 290 किमी थी, जो नए संस्करण के साथ लगभग 350 किमी तक पहुंच गई है। ● **गति:** ब्रह्मोस सबसे तेज क्रूज मिसाइल में से एक है, जो वर्तमान में मैक 2.8 की गति के साथ कार्य करती है, जो कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है।
गगनयान मिशन (Gaganyaan Mission)	**चर्चा में क्यों :** इसरो ने गगनयान के लिए बूस्टर का परीक्षण किया। ● भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गगनयान मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर (HS200) का सफल परीक्षण किया. इस बूस्टर को गगनयान मिशन को अंजाम देने वाले जीएसएलवी-मार्क3 रॉकेट में उपयोग किए जाने की संभावना है। ● यह परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में आयोजित किया गया था।

- विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) द्वारा डिजाइन और विकसित, HS200 बूस्टर, S200 रॉकेट बूस्टर का 'मानव-रेटेड' संस्करण है जिसका उपयोग भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान एमके-III (GSLV Mk-III) पर किया जाता है, जिसे LVM3 भी कहा जाता है।
- दो HS200 बूस्टर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MkIII (GSLV Mk III) के पहले चरण का हिस्सा होंगे, जिसका उपयोग गगनयान मिशन के लिए किया जाएगा। HS200 बूस्टर लिफ्ट-ऑफ के लिए थ्रस्ट की आपूर्ति करेंगे।
- HS200 3.2 मीटर के व्यास के साथ 20 मीटर लंबा बूस्टर है एवं ठोस प्रणोदक का उपयोग करने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन बूस्टर है।
- इस परीक्षण का सफल समापन इसरो के प्रतिष्ठित मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, गगनयान के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है, क्योंकि प्रक्षेपण यान के पहले चरण की पूरी अवधि के लिए इसके प्रदर्शन के लिए परीक्षण किया जाता है।
- HS200 बूस्टर में प्रयुक्त नियंत्रण प्रणाली दुनिया के सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्ट्यूएटर्स में से एक एक का इस्तेमाल किया गया है।

गगनयान मिशन

- गगनयान इसरो द्वारा पांच से सात दिनों की अवधि के लिए तीन सदस्यीय दल को अंतरिक्ष में भेजने का एक मिशन है।

- **लॉन्च व्हीकल (Launch Vehicle) :** इसरो का जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mk III
- **अवयव (Components) :** यह एक सर्विस मॉड्यूल और एक क्रू मॉड्यूल से मिलकर बनता है, जिसे सामूहिक रूप से ऑर्बिटल मॉड्यूल के रूप में जाना जाता है।
- इसे धरती की सतह से 300-400 किलोमीटर की दूरी वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
- **व्योम मित्र (Vyom Mitra) :** इसरो मानव अंतरिक्ष यान से पहले मानव रहित गगनयान अंतरिक्ष यान में ह्यूमनॉइड व्योममित्र को भेजेगा।

जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी एमके III

- GSLV MkIII, इसरो द्वारा विकसित तीन चरणों वाला भारी लिफ्ट लांच वाहन है।
- यान में दो सॉलिड स्ट्रैप-ऑन, एक कोर लिक्विड बूस्टर और एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज है।

GSLV Mk III को 4 टन वर्ग के उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) या लगभग 10 टन लो

	अर्थ ऑर्बिट (LEO) में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो GSLV Mk II की क्षमता से लगभग दोगुना है।
एमआरएनए वैक्सीन (mRNA Vaccine)	**चर्चा में क्यों :** सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (The Centre for Cellular & Molecular Biology-CCMB) ने पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन तकनीक के "सिद्धांत का प्रमाण" (अवधारणा का प्रमाण) की सफलता की घोषणा की है। ● यह प्रतिकृति मॉडर्न मॉडल पर आधारित है, लेकिन इसे खुले में उपलब्ध जानकारी और हमारी अपनी तकनीक और सामग्री के साथ बनाया गया है। ● जबकि टीके रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों की पहचान करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करके काम करते हैं और जब वे उनका सामना करते हैं तो उन्हें जल्दी से खत्म कर देते हैं, एमआरएनए तकनीक में, मेजबान सेल की प्रतिरक्षा प्रणाली को वास्तविक संक्रमण से बचने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ● यह मेजबान में चिंता के सूक्ष्म जीव के एमआरएनए को पेश करके किया जाता है। ● घरेलू एमआरएनए वैक्सीन प्लेटफॉर्म अन्य संक्रामक रोगों जैसे टीबी, डेंगू, मलेरिया चिकनगुनिया, दुर्लभ आनुवंशिक रोगों और अन्य से निपटने का वादा करता है। **mRNA टीके क्या हैं?** ● mRNA टीके शरीर को कुछ वायरल प्रोटीनों का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ● ये mRNA या मैसेंजर आरएनए का उपयोग करके काम करते हैं, जो अणु हैं और डीएनए निर्देशों को क्रियाशील बनाते हैं। ● एक सेल के अंदर mRNA का उपयोग प्रोटीन बनाने के लिये नमूना के रूप में किया जाता है। **यह कैसे काम करता है?** ● mRNA वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए, वैज्ञानिक एमआरएनए का एक सिंथेटिक संस्करण तैयार करते हैं जिसका उपयोग एक वायरस अपने संक्रामक प्रोटीन के निर्माण के लिए करता है। ● यह mRNA मानव शरीर में पहुँचाया जाता है, जिसकी कोशिकाएँ इसे उस वायरल प्रोटीन के निर्माण के निर्देश के रूप में रीड करती हैं, और इसलिए स्वयं वायरस के कुछ अणु बनाती हैं। ● ये प्रोटीन अकेले होते हैं, इसलिए ये वायरस बनाने के लिए इकट्ठे नहीं होते हैं। ● तब प्रतिरक्षा प्रणाली इन वायरल प्रोटीनों का पता लगा लेती है और उनके प्रति रक्षात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करना शुरू कर देती है। **सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी** ● सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (CCMB) एक प्रमुख शोध संगठन है जो आधुनिक जीव विज्ञान के सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी अनुसंधान और प्रशिक्षण आयोजित करता है, और जीव विज्ञान के अंत:विषय क्षेत्रों में नई तथा आधुनिक तकनीकों के लिए केंद्रीकृत राष्ट्रीय सुविधाओं को बढ़ावा देता है। ● यह 1 अप्रैल, 1977 को तत्कालीन क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद के जैव रसायन विभाग के साथ एक अर्ध-स्वायत्त केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। ● यह हैदराबाद में स्थित है और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तत्वावधान में संचालित होता है।

	इसे ग्लोबल मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी नेटवर्क, यूनेस्को द्वारा "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" के रूप में नामित किया गया है।
RNA ग्रैन्यूल्स (RNA Granules)	**चर्चा में क्यों :** खमीर कोशिकाओं में, एक प्रोटीन (sbp1) RNA कणिकाओं के विघटन को बढ़ावा देता है, अध्ययन में पाया गया कि Sbp1 प्रोटीन न्यूरोडीजेनेरेटिव विकारों में शामिल मानव प्रोटीन के समुच्चय को कम करने में मदद करता है। **आरएनए ग्रेन्युल क्या है?** ● किसी भी कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंदर मैसेंजर RNA (mRNA) और प्रोटीन से बनी संरचनाएं होती हैं जिन्हें RNA कणिकाओं के रूप में जाना जाता है। ● कोशिका में अन्य संरचनाओं (जैसे माइटोकॉन्ड्रिया) के विपरीत, आरएनए कणिकाओं को एक झिल्ली द्वारा कवर और सीमित नहीं किया जाता है।

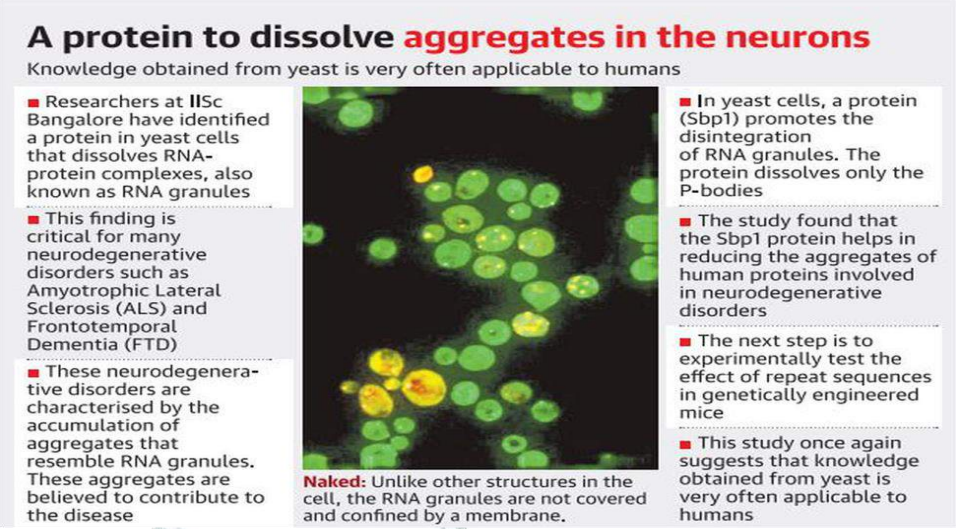

	● यह उन्हें प्रकृति में अत्यधिक गतिशील बनाता है, जिससे वे अपने आसपास के घटकों के साथ लगातार आदान-प्रदान कर सकते हैं। ● आरएनए कणिकाएं सामान्य परिस्थितियों में साइटोप्लाज्म में कम संख्या में मौजूद होती हैं लेकिन बीमारियों सहित तनावपूर्ण परिस्थितियों में संख्या और आकार में वृद्धि होती है। ● एक परिभाषित विशेषता जो आरएनए ग्रेन्युल प्रोटीन घटकों के एक जीव से दूसरे (संरक्षित) में नहीं बदलती है, वह कुछ अमीनो एसिड के दोहराव वाले हिस्सों की उपस्थिति है। ● ऐसे हिस्सों को कम जटिलता वाले क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। आर्गिनिन (आर), ग्लाइसिन (जी) और ग्लाइसिन (जी) के दोहराव - आरजीजी के रूप में जाना जाता है - कम जटिलता अनुक्रम का एक उदाहरण है। **प्रोटीन संश्लेषण (Protein Synthesis)** ● मैसेंजर आरएनए अनुवाद की प्रक्रिया द्वारा प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं। ● आरएनए ग्रैन्यूल्स यह तय करके मैसेंजर आरएनए (एमआरएनए) भाग्य का निर्धारण करते हैं कि एमआरएनए से कब और कितना प्रोटीन का उत्पादन किया जाएगा। ● प्रोटीन संश्लेषण एक बहु-चरणीय और ऊर्जा-महंगी प्रक्रिया है। ● इसलिए, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर कोशिकाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली एक

	सामान्य रणनीति प्रोटीन उत्पादन को बंद करना और तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए ऊर्जा का संरक्षण करना है। ● आरएनए ग्रैन्यूल्स प्रोटीन उत्पादन को बंद करने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। ● कुछ आरएनए ग्रेन्युल प्रकार (जैसे प्रसंस्करण निकायों या पी-बॉडी) न केवल प्रोटीन उत्पादन को नियंत्रित करते हैं बल्कि एमआरएनए के क्षरण और उन्मूलन को भी पूरा करते हैं, जो बदले में प्रोटीन उत्पादन को कम करने में मदद करता है। **रोग का उपचार** ● हाल के वर्षों में, आरएनए ग्रैन्यूल्स और न्यूरोडीजेनेरेटिव विकारों जैसे कि एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (एएलएस) और फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया (एफटीडी) के बीच एक मजबूत लिंक उभरा है। ● इन रोगों में निहित प्रोटीन आरएनए बाध्यकारी प्रोटीन हैं जो आरएनए ग्रैन्यूल्स में रह सकते हैं। ● इन प्रोटीनों में कम जटिलता वाले क्रम (अमीनो एसिड के दोहराव) भी होते हैं जो आरएनए ग्रैन्यूल्स में उनके संचलन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ● वास्तव में, ये प्रोटीन ALS और FTD रोगियों के न्यूरॉन्स में अघुलनशील कणिकाओं के रूप में जमा होते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये इन रोगों के पैथोफिज़ियोलॉजी में योगदान करते हैं। ● इन समुच्चय को घोलने के तरीके खोजने से इन बीमारियों के इलाज में सफलता मिल सकती है। **अध्ययन के निष्कर्ष** ● हाल ही के अध्ययन ने एक प्रोटीन (Sbp1) को एक ऐसे कारक के रूप में पहचाना है जो RNA ग्रेन्यूल्स (P-बॉडीज) को डिसॉल्व (dissolves) करता है। ● शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि कम जटिलता अनुक्रम जो आम तौर पर ग्रेन्युल गठन को बढ़ावा देते हैं, इस मामले में खमीर कोशिकाओं में आरएनए कणिकाओं के विघटन को बढ़ावा देते हैं। ● उन्होंने देखा कि पहचाना गया प्रोटीन Sbp1 P-निकायों को भंग करने के लिए विशिष्ट है न कि स्ट्रेस ग्रेन्यूल्स के लिए जो संबंधित RNA ग्रेन्युल प्रकार हैं जो साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होते हैं। इस खोज का उपयोग न्यूरोडीजेनेरेटिव विकारों जैसे एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (एएलएस) और फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया (एफटीडी) के इलाज के लिए किया जाता है।
पॉलीमर पुलुलान (Pullulan polymer)	**चर्चा में क्यों :** कवक के अर्क से बायोमटेरियल घावों को भरने में मदद करता है। **पॉलीमर पुलुलान के बारे में** ● बायोमटेरियल पॉलीमर पुलुलन से प्राप्त होता है जो फंगस ऑरियोबैसिडियम पुलुलन द्वारा स्रावित होता है। ● यह एक एक्सोपॉलीसेकेराइड है, यानी यह बहुलक कवक द्वारा ही उस माध्यम में स्रावित होता है जिस पर यह बढ़ रहा है। ● पुलुलान एक बायोमटेरियल के रूप में पहले से ही सफल है और व्यापक रूप से व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है। ● इसके गैर-विषैले, गैर-म्यूटाजेनिक और गैर-इम्यूनोजेनिक गुणों के कारण भोजन, सौंदर्य प्रसाधन और दवा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ● बायोमेडिसिन क्षेत्र में, इसका उपयोग दवा और जीन वितरण के लिए किया गया है।

	● घावों को कीटाणुरहित करना और उपचार की प्रक्रिया को तेज करना पुलुलान और चतुर्धातुक अमोनियम समूहों का उपयोग करके उत्पादित जेल (gel) का उपयोग घावों को कीटाणुरहित करने और उपचार प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जा सकता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स (Artificial Intelligence Chips)	**चर्चा में क्यों :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप अपनाने के मामले में वृद्धि हुई है, चिप निर्माताओं ने AI अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न प्रकार के चिप डिज़ाइन किये हैं। **एआई चिप्स क्या हैं?** ● एआई चिप्स विशिष्ट वास्तुकला के साथ बनाए गए हैं और गहन शिक्षण-आधारित अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए एआई त्वरण को एकीकृत किया गया है। ● ये चिप्स, अपने हार्डवेयर आर्किटेक्चर और पूरक पैकेजिंग, मेमोरी, स्टोरेज और इंटरकनेक्ट प्रौद्योगिकियों के साथ डेटा को सूचना में और फिर ज्ञान में बदलने के लिये AI को व्यापक स्पेक्ट्रम में उपयोग हेतु संभव बनाते हैं। ● विभिन्न प्रकार के एआई चिप्स हैं जैसे कि एप्लीकेशन-स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट (ASICs), फील्ड-प्रोग्रामेबल गेट एरेज़ (FPGAs), सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स (CPU) और GPU, जिन्हें विविध एआई अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। **वे पारंपरिक चिप्स से कैसे भिन्न हैं?** ● जब प्रोसेसर कोर और मेमोरी वाले पारंपरिक चिप्स कम्प्यूटेशनल कार्य करते हैं, तो वे लगातार दो हार्डवेयर घटकों के बीच कमांड और डेटा को स्थानांतरित करते हैं। ● हालांकि, ये चिप्स एआई अनुप्रयोगों के लिए आदर्श नहीं हैं क्योंकि वे एआई वर्कलोड की उच्च कम्प्यूटेशनल आवश्यकताओं को संभालने में सक्षम नहीं होंगे, जिसमें बड़ी मात्रा में डेटा होता है। ● हालांकि, कुछ उच्च-स्तरीय पारंपरिक चिप्स कुछ AI अनुप्रयोगों को संसाधित करने में सक्षम हो सकते हैं। ● इसकी तुलना में, एआई चिप्स में आम तौर पर प्रोसेसर कोर के साथ-साथ कई एआई-अनुकूलित कोर होते हैं जो कम्प्यूटेशनल कार्यों को करते समय संतुलन में काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ● एआई कोर कम-विलंबता अनुमान के साथ विषम उद्यम-श्रेणी एआई वर्कलोड की मांगों के लिए अनुकूलित हैं। **उनके अनुप्रयोग क्या हैं?** ● कई स्मार्ट मशीनों और उपकरणों में उपयोग किया जाता है। ● इनमें से कुछ चिप्स अत्याधुनिक एआई अनुप्रयोगों को अधिक कुशलता से चलाने के लिए इन-व्हीकल कंप्यूटरों का समर्थन करते हैं।

	• एआई चिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन और रोबोट में कम्प्यूटेशनल इमेजिंग के अनुप्रयोगों को भी शक्ति प्रदान कर रहे हैं। • AI अनुप्रयोगों में ऑटोमोटिव, आईटी, हेल्थकेयर और रिटेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP), कंप्यूटर विज़न, रोबोटिक्स एवं नेटवर्क सुरक्षा शामिल हैं। चैटबॉट्स और मैसेंजर, स्लैक और अन्य जैसे ऑनलाइन चैनलों की मांग में वृद्धि के कारण एनएलपी (प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण) अनुप्रयोगों के लिए एआई चिप्स का उपयोग बढ़ गया है।
वेस्ट नील वायरस (West Nile Virus)	**चर्चा में क्यों :** केरल के त्रिशूर जिले में वेस्ट नाइल बुखार के कारण एक 47 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद केरल स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। • इससे पहले 2019 में, मलप्पुरम जिले में एक छह वर्षीय लड़के की इसी संक्रमण से मृत्यु हो गई है। • राज्य में सबसे पहले 2006 में अलाप्पुझा में और फिर 2011 में एर्नाकुलम में इस वायरस की सूचना मिली थी। **वेस्ट नील वायरस के बारे में** • वेस्ट नाइल वायरस एक मच्छर जनित, एकल-असहाय आरएनए वायरस है। • यह फ्लैविवायरस जीनस का सदस्य है और फ्लैविविरिडे परिवार के जापानी एन्सेफलाइटिस एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। • WNV आमतौर पर अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका और पश्चिम एशिया में पाया जाता है। **डब्ल्यूएनवी का पता लगाना:** • वेस्ट नाइल वायरस (WNV) को पहली बार 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में एक महिला में अलग किया गया था। • 1953 में नील डेल्टा क्षेत्र में पक्षियों में इसकी पहचान की गई थी। 1997 से पहले, WNV को पक्षियों के लिए रोगजनक नहीं माना जाता था। • सभी प्रमुख पक्षी प्रवासी मार्गों के साथ WNV प्रकोप स्थल पाए जाते हैं। • WNV के कारण मानव संक्रमण कई देशों में 50 से अधिक वर्षों से रिपोर्ट किया जा रहा है। **संचरण:** • WNV एक संक्रामक रोग है जो संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है। • यह संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के काटने से पक्षियों से मनुष्यों में फैलता है। यह मनुष्यों में एक घातक स्नायविक रोग का कारण बन सकता है। • ये मच्छर मुख्य रूप से क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के हैं। डब्ल्यूएचओ ने एक बयान में कहा कि सबसे पहले मच्छर संक्रमित पक्षियों को खाने से संक्रमित हो जाते हैं। • मच्छर के शरीर में प्रवेश करने के बाद वायरस कुछ दिनों तक खून में रहता है। इसके बाद वायरस अंततः मच्छर की लार ग्रंथियों में चला जाता है। • इसके बाद जब भी संक्रमित मच्छर किसी इंसान या किसी जानवर को काटता है तो यह वायरस को उसके खून में इंजेक्ट कर देता है और इस तरह वायरस एक संक्रमित मच्छर से इंसान में फैल जाता है। • मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद, वायरस कई गुना बढ़ जाता है और बीमारी का कारण बनता है। • WNV संक्रमित मां से उसके बच्चे में रक्त आधान के माध्यम से या प्रयोगशालाओं में वायरस के

	संपर्क में आने से भी फैल सकता है। • आज तक, संक्रमित मनुष्यों या जानवरों के संपर्क से संक्रमण का कोई उदाहरण नहीं पाया गया है। **लक्षण:** • 80% संक्रमित लोगों में यह रोग स्पर्शोन्मुख है। • लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते और सूजी हुई सूजन ग्रंथियां शामिल हैं। • यदि वेस्ट नाइल वायरस मस्तिष्क में प्रवेश करता है, तो यह जीवन के लिए खतरा हो सकता है, मस्तिष्क की सूजन का कारण बन सकता है, जिसे इंसेफेलाइटिस कहा जाता है, या मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले ऊतक की सूजन, जिसे मेनिन्जाइटिस कहा जाता है। **इलाज:** • मानव WNV रोग के लिए कोई विशिष्ट टीके या उपचार नहीं हैं। • WNV से बचने का सबसे अच्छा तरीका है मच्छरों के काटने से बचाव।

विविध

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (World Press Freedom Index)	**चर्चा में क्यों :** 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (RSF) द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 20वाँ संस्करण प्रकाशित किया गया। **मुख्य निष्कर्ष** • वैश्विक परिदृश्य के बारे में RSF ने 20वें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से पता चलता है कि ध्रुवीकरण में दो गुना वृद्धि हुई है, जो सूचना अराजकता से बढ़ी है - यानी, मीडिया ध्रुवीकरण देशों के भीतर विभाजन को बढ़ावा दे रहा है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच ध्रुवीकरण भी। • लोकतांत्रिक समाजों के भीतर, "फॉक्स न्यूज मॉडल" के बाद राय मीडिया के प्रसार और सोशल मीडिया के कार्य करने के तरीके से बढ़ रहे दुष्प्रचार सर्किट के प्रसार के परिणामस्वरूप विभाजन बढ़ रहे हैं। • इन दोनों स्तरों पर ध्रुवीकरण तनाव बढ़ा रहा है। उच्चतम प्रेस स्वतंत्रता वाले देशों के लिए शीर्ष तीन स्थान नॉर्वे की नॉर्डिक तिकड़ी (92.65 का स्कोर), डेनमार्क (90.27) और स्वीडन (88.84) ने लिया था। प्रेस स्वतंत्रता के लिए दुनिया के 5 सबसे खराब देशों में म्यांमार (176वां), तुर्कमेनिस्तान (177वां), ईरान (178वां), इरिट्रिया (179वां) और उत्तर कोरिया (180वां) शामिल हैं। **भारत का प्रदर्शन** • विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 8 पायदान नीचे फिसल गया है। सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है।
थॉमस कप (Thomas Cup)	चर्चा में क्यों : इंडोनेशिया पर 3-0 से जीत के बाद भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता। बैंकॉक में हुए बैडमिंटन मैच में भारत ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से पहली बार हराया है। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने पहली बार थॉमस कपको जीत कर इतिहास रच डाला है। **थॉमस कप के बारे में**

	• थॉमस कप, जिसे कभी-कभी विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ), खेल के वैश्विक शासी निकाय के सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। चैंपियनशिप 1982 के बाद से हर दो साल में आयोजित की गई है, 1948-1949 में आयोजित पहले टूर्नामेंट के बाद से हर तीन साल में आयोजित होने से संशोधित किया गया है।
वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट (World of work report)	**चर्चा में क्यों :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने कार्य की दुनिया पर ILO मॉनिटर का 9वां संस्करण जारी किया। **मुख्य निष्कर्ष** • रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 की अंतिम तिमाही के दौरान महत्वपूर्ण लाभ के बाद, 2022 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर काम करने वाले घंटों की संख्या संकट-पूर्व बेंचमार्क से 3.8% कम हो गई है। • रिपोर्ट के मुताबिक, इस अवधि के बीच करीब 11.2 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं। • रिपोर्ट में कहा गया है कि "अमीर और गरीब अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक महान और बढ़ती भिन्नता" वसूली की विशेषता बनी हुई है। • जबकि उच्च आय वाले देशों ने काम के घंटों में सुधार का अनुभव किया, कम और निम्न-मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को वर्ष की पहली तिमाही में पूर्व-संकट बेंचमार्क की तुलना में क्रमशः 3.6 और 5.7 प्रतिशत के अंतर के साथ झटका लगा। • चीन में ताजा लॉकडाउन, यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष, और खाद्य तथा ईंधन की कीमतों में वैश्विक वृद्धि को निष्कर्षों के मुख्य कारणों के रूप में उद्धृत किया गया है। **भारत से संबंधित निष्कर्ष** • रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और निम्न-मध्यम आय दोनों ने वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में काम के घंटों में लैंगिक अंतर में गिरावट का अनुभव किया है। • यह पाया गया कि महामारी से पहले काम करने वाली प्रत्येक 100 महिलाओं के लिए, रिपोर्ट द्वारा विचार की गई पूरी अवधि के दौरान औसतन 12.3 महिलाओं ने अपनी नौकरी खतरे में होगी। • इसके विपरीत, प्रत्येक 100 पुरुषों के लिए, बराबर का आंकड़ा 7.5 होता। इसलिए, ऐसा लगता है कि महामारी ने देश में रोजगार भागीदारी में पहले से ही पर्याप्त लैंगिक असंतुलन को बढ़ा दिया है।
राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS)	**चर्चा में क्यों :** शिक्षा मंत्रालय ने अपनी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) 2021 रिपोर्ट जारी की है। • NAS 2021 का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली की दक्षता के एक संकेतक के रूप में बच्चों की प्रगति और सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करना है, ताकि विभिन्न स्तरों पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। • यह सर्वेक्षण कक्षा 3, 5, 8 और 10 में बच्चों की सीखने की क्षमता के सर्वेक्षण के माध्यम से देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य का आकलन करता है। • यह स्कूली शिक्षा प्रणाली के समग्र मूल्यांकन को दर्शाता है। आखिरी NAS 2017 में आयोजित किया गया था। • इस अभ्यास में सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलऔर गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के 720

जिलों के 1.18 लाख स्कूलों के लगभग 34 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया।

- यह सर्वेक्षण OMR आधारित उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से आयोजित किया गया था जिसमें 22 विभिन्न भाषाओं में प्रश्नावली के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल थे।
- यह राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रशासित किया गया था।

मुख्य निष्कर्ष

- कोविड महामारी के दौरानपढ़ाई का गंभीर संकट पैदा हो गया; 2017 और 2021 के बीच गणित (Maths) से लेकर सामाजिक विज्ञान (Social Sciences) तक के विषयों में छात्रों (Students) के प्रदर्शन में नौ प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है।
- यह गिरावट सभी विषयों और ग्रेडों में हुई है।
- यह भी पाया गया है कि सर्वेक्षण में शामिल 24 प्रतिशत छात्रों के पास घर पर डिजिटल उपकरणों तक पहुंच नहीं थी, 38 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें महामारी के दौरान घर पर सीखने की गतिविधियों को करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा, जबकि 80 प्रतिशत ने कहा कि वे साथियों की मदद से स्कूल में बेहतर सीखते हैं।
- यह पाया गया कि 500 के अंकों में से, विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने भाषाओं में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन गणित और विज्ञान जैसे विषयों में पिछड़ गए।
- यह भी दर्शाता है कि विभिन्न विषयों और कक्षाओं में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों ने सामान्य श्रेणी के छात्रों की तुलना में चिंताजनक प्रदर्शन किया।

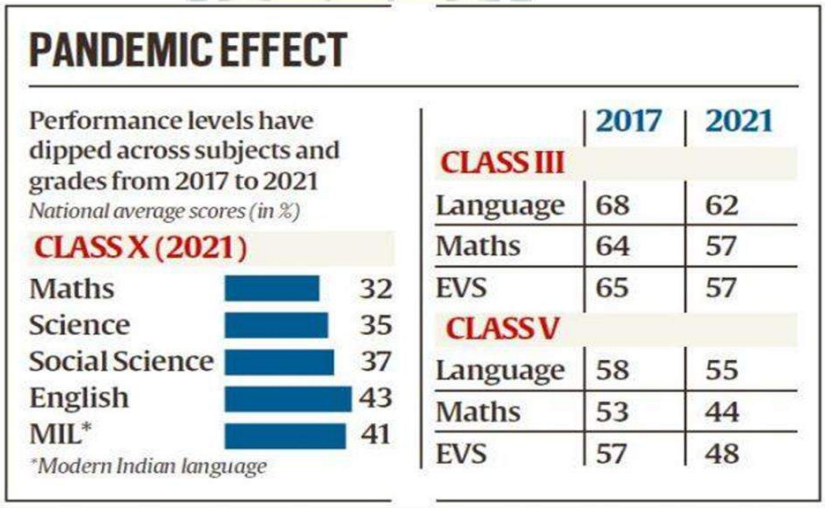

IAS BABA

Integrated Learning Program (ILP) – 2023

Your Road To Mussoorie...

Available in English & हिन्दी

- Micro Planning - 365 Day Plan
- VAN (Daily Notes)
- Daily Prelims & Mains Tests
- Babapedia – One Stop Destination for Current Affairs (Prelims & Mains)
- Progress Bar – To Track your Progress & Performance
- Strategy Videos for every Subject
- Detailed coverage of NCERTs & Standard Books
- 72 Prelims Tests & 50 Mains Tests

Add-Ons : Current Affairs Videos | Mentorship

Dedicated App for the 1st Time!

Scan Here to Know More

REGISTER NOW

MAINS

भारतीय राजव्यवस्था और शासन

अर्ध संघवाद (Quasi federalism)

- संघीय सिद्धांतकार के.सी. व्हेयर ने तर्क दिया है कि भारतीय संविधान की प्रकृति अर्ध-संघीय प्रकृति की है।
- सत पाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1969) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारत का संविधान संघीय या एकात्मक की तुलना में अधिक अर्ध-संघीय है।

अर्ध-संघवाद क्या है?

- अर्ध-संघवाद का अर्थ एकात्मक राज्य और एक संघ के बीच राज्य का एक मध्यवर्ती रूप है। यह एक संघीय सरकार की विशेषताओं और एकात्मक सरकार की विशेषताओं को जोड़ती है।

भारत ने अर्ध संघवाद/केंद्रीकृत संघवाद को क्यों चुना?

- सबसे पहले भारत का विभाजन और तात्कालिक चिंताएँ थीं।
- दूसरा कारण राष्ट्रीय नागरिक पहचान बनाने की दिशा में अत्यधिक पदानुक्रमित और भेदभावपूर्ण समाज में सामाजिक संबंधों का पुनर्गठन था
- तीसरा कारण कल्याणकारी राज्य के निर्माण के उद्देश्य से संबंधित है और
- अंतिम कारण अंतर-क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करना था।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रीकृत संघवाद आवश्यक था।

भारतीय राज्य की अर्ध-संघीय विशेषताएं क्या हैं?

- **अनुच्छेद 3 -** अन्य संघों के विपरीत, राज्यों की विनाशकारी प्रकृति, भारत में राज्यों को क्षेत्रीय अखंडता का कोई अधिकार नहीं है। संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम को बदल सकती है।
- एकल संविधान, यह पूरे संघ और स्टार्स दोनों पर लागू होता है। एक सच्चे संघ में, संघ और राज्यों के लिए अलग-अलग संविधान होते हैं।
- राज्य सभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्य सभा में कम जनसंख्या वाले राज्यों की तुलना में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के प्रतिनिधि अधिक हैं।
- आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित हैं। आपातकालीन प्रावधानों में, केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं।
- अखिल भारतीय सेवाएं संविधान के तहत संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं।
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह केंद्र के प्रतिनिधि (agent) के रूप में भी कार्य करता है। उसके माध्यम से केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रखता है।
- भारत में एक एकीकृत या एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। उच्च न्यायालय जो राज्यों में काम करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हैं।
- **राज्य के विधेयकों पर केंद्रीय वीटो:** राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के कानूनों को रखने का अधिकार होता है।

अर्ध संघीय प्रणाली के लाभ

- **राष्ट्रीय एकता -** अनुच्छेद 356 जैसे विभिन्न प्रावधानों से अलगाववादी प्रवृत्ति से निपटा जा सकता है।
- **सहयोग और समन्वय:** एक अर्ध संघीय संरचना केंद्र को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का समन्वय करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, केंद्र और राज्य ने महामारी के खिलाफ सहयोग किया।
- **अंतर्राज्यीय संघर्षों का समाधान:** एक अर्ध संघीय ढांचा केंद्र को अंतरराज्यीय विवाद के मामले में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए सीमा विवाद और नदी जल विवाद।

चुनौतियां

- **केंद्र द्वारा शक्ति का दुरुपयोग:** संविधान के संघीय प्रावधानों में केवल राज्यों की सहमति से ही संशोधन किया जा सकता है। लेकिन केंद्र अक्सर इस प्रावधान का उल्लंघन करता है। उदाहरण के लिए, हाल के कृषि कानून।
- **राज्यपाल कार्यालय का दुरुपयोग:** राज्य में संवैधानिक आपातकाल लागू करना, राष्ट्रपति की सहमति के लिए बिल आरक्षित करना आदि।
- **अन्य समस्याएं:** संसाधनों और कर आय के विलंबित वितरण, चुनावी रूप से प्रतिकूल राज्यों के प्रति पूर्वाग्रह, जवाबदेही टालना (evasion of accountability), प्राधिकरण के धुंधले क्षेत्र (blurring spheres of authority), कमजोर संस्थान आदि।

आगे की राह

- संस्थागत और राजनीतिक स्तर पर सुधार भारत में संघवाद की जड़ों को गहरा कर सकती हैं।
- प्रशासन का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सभी स्तरों पर सरकारों को सच्ची भावना से मजबूत करना।
- केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक सद्भावना विकसित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के संस्थागत तंत्र का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

एनसीटी क्षेत्र की सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली-केंद्र सरकार का विवाद (Delhi-Centre Government dispute over control of services of NCT region)

चर्चा में क्यों : सुप्रीम कोर्ट ने सेवाओं के नियंत्रण पर दिल्ली-केंद्र विवाद को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा।

पृष्ठभूमि (Background)

- कार्यवाही की उत्पत्ति 2017 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में हुई, जिसके द्वारा यह माना गया कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन के प्रयोजनों के लिए, उपराज्यपाल हर मामले में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य नहीं थे।
- अपील पर, वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 239AA की व्याख्या पर निर्णय लेने के लिए मामले को संदर्भित किया।
- वर्ष 2018 में बहुमत के फैसले से संविधान पीठ ने राज्य विधानसभा और संसद की संबंधित शक्तियों को बरकरार रखा।
- इसमें कहा गया है कि जबकि मंत्रिपरिषद को सभी निर्णयों को उपराज्यपाल को सूचित करना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता है। मतभेद के मामले में, एलजी इसे निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं।
- उपराज्यपाल के पास कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, लेकिन उसे या तो मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' पर कार्य करना है या किसी संदर्भ पर राष्ट्रपति के निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य है।

इस प्रकार बेंच ने खुद को अनुच्छेद 239AA की व्याख्या तक सीमित कर दिया, व्यक्तिगत मुद्दों को नियमित बेंचों द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया।

- वर्ष 2019 में दो न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र द्वारा जारी दो अधिसूचनाओं को बरकरार रखा, जिसमें दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार-निरोधी शाखा के अधिकार क्षेत्र को केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा किए गए अपराधों की जांच करने और इसे दिल्ली सरकार के कर्मचारियों तक सीमित करने का प्रभाव था।
- हालांकि, न्यायाधीश इस बात पर मतभेद रखते थे कि प्रशासनिक सेवाओं पर किसका नियंत्रण होना चाहिए।
- इसे फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और इस मुद्दे को बड़ी संवैधानिक पीठ को भेजने के लिए प्रेरित किया गया।

दिल्ली-केंद्र पावर टसल (Delhi-Centre Power Tussle)

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद पर सुनवाई शुरू कर दी है।

दिल्ली की कानूनी स्थिति कैसे विकसित हुई है?

- वर्ष 1950 में, जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो मुख्य आयुक्तों के सभी प्रांत भाग C राज्य बन गए। गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट्स एक्ट, 1951 के अधिनियमन के साथ, इन राज्यों की विधानसभाओं को सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और संविधान को छोड़कर सभी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था।
- वर्ष 1952 में, दिल्ली की विधान सभा अस्तित्व में आई। इस विधानसभा की संरचना अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ सीधे एक सदनीय विधायिका चुनी गई थी।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के पारित होने के साथ, भारतीय राज्य "राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों" तक सीमित थे, भाग A, B, C, और D राज्यों की पिछली प्रणाली को समाप्त कर दिया।
- जबकि राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से नियुक्त मंत्रिपरिषद द्वारा शासित थे; अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह दिल्ली में भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक "प्रशासक" था।
- दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 विशेष रूप से इसे महानगर परिषद के माध्यम से सीमित प्रतिनिधि सरकार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसमें 56 निर्वाचित सदस्य और पांच मनोनीत सदस्य शामिल थे।

दिल्ली की वर्तमान स्थिति क्या है?

- भारत सरकार ने 24-12-1987 को दिल्ली प्रशासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की और अन्य बातों के साथ-साथ प्रशासनिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के उपायों की सिफारिश की।
- इस तरह की विस्तृत जांच के बाद, बालकृष्णन ने सिफारिश की कि-
  - दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहना चाहिए और एक विधान सभा तथा ऐसी विधानसभा के लिए जिम्मेदार एक मंत्रिपरिषद प्रदान की जानी चाहिए जो आम आदमी से संबंधित मामलों से निपटने के लिए उपयुक्त शक्तियों के साथ हो।
  - स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी को केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक विशेष दर्जा देने की व्यवस्था को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए।
- दिल्ली को विशेष दर्जा देने के लिए संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239 AA जोड़ा गया था।
  - इसके साथ, दिल्ली को संवैधानिक रूप से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" की उपाधि दी गई और इसका प्रशासन उपराज्यपाल (LG) द्वारा किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना था।
  - इसमें कहा गया है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विधान सभा होगी।
  - विधान सभा के पास पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के विषय को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति है।
  - दिल्ली विधानसभा द्वारा स्वीकृत कानूनों को उपराज्यपाल के कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है।
  - भारत के संविधान का अनुच्छेद 239AA(4) का प्रावधान उपराज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए "किसी

भी मामले" को आरक्षित करने की अनुमति देता है, जहां उपराज्यपाल का मंत्रिपरिषद के साथ मतभेद है।

- वर्तमान में, दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा है जिसके सदस्य शहर के निवासियों द्वारा चुने जाते हैं। इसी तरह, ऐसी नागरिक एजेंसियां हैं जो शहर की सरकार से स्वतंत्र हैं। इनमें शहर के तीन नगर निगम शामिल हैं जिनमें नेता अलग-अलग चुनावों के माध्यम से चुने जाते हैं, एक छावनी बोर्ड और एक नगरपालिका परिषद जो केंद्रीय क्षेत्र का प्रभारी होता है जिसमें संसद और केंद्र सरकार के कार्यालय होते हैं।
- दो चीजें हैं जो दिल्ली को एक राज्य से अलग बनाती हैं।
  - एक, राज्य सूची के तहत बाहर की गई वस्तुएं, यानी आइटम 1 (लोक आदेश), 2 (पुलिस), और 18 (भूमि), जिन पर दिल्ली विधान सभा कानून नहीं बना सकती, ये चीजें राज्यों में प्रतिबंधित नहीं हैं।
  - दूसरा, संसद के पास दिल्ली के क्षेत्र के लिए भी राज्य सूची में अन्य मदों पर समवर्ती विधायी शक्ति है।

विश्व के अन्य हिस्सों में राजधानियों का शासन कैसे होता है?

- वाशिंगटन डीसी में एक नगर निगम है जिसकी शक्तियों में संघीय सरकार द्वारा कम किया जाता है, जो स्थानीय कानूनों को उलट सकता है और यहां तक कि स्थानीय बजट को भी मंजूरी देता है।
- कैनबरा (ऑस्ट्रेलिया की राजधानी) एक विधानसभा द्वारा चलाया जाता है जो एक स्थानीय कार्यकारी के रूप में दोगुनी हो जाती है लेकिन उन विषयों पर कानून नहीं बना सकती है जिनमें अदालतों, पुलिस सेवाओं और प्रतिभूति उद्योग की स्थापना शामिल है।

2018 सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था?

- पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने खुद को अनुच्छेद 239AA की व्याख्या तक सीमित कर दिया और व्यक्तिगत मुद्दों को नियमित पीठों द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया।
- एक फैसले में, शीर्ष अदालत ने कहा कि उपराज्यपाल भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर दिल्ली में चुनी हुई सरकार की सहायता और सलाह से बंधे हैं।

इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत मामलों पर निर्णय दिए:

- केंद्र सरकार के उन अधिकारियों की जांच करने के लिए दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) का क्षेत्राधिकार जो उपराज्यपाल के अधीन हो, सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अपराधों की जांच करने का अधिकार है।
- राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण को बड़ी बेंच के पास भेजा जाना है।

आगे की राह क्या है?

- राष्ट्रीय राजधानी में एक शक्तिशाली स्थानीय सरकार का होना राष्ट्रीय हित के साथ असंगत नहीं है। यह राजनीतिक संस्कृति का सवाल है।
- वाशिंगटन डीसी और ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र कैनबरा में, उप-राष्ट्रीय शक्तियों को वास्तव में कम कर दिया गया है। लेकिन इन स्थानों में स्पष्ट संरचनाएं हैं।
- दिल्ली को और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है (यहाँ न्यायपालिका का महत्व आता है)।
- इसके मुख्यमंत्री एक दृश्यमान नेता (a visible leader) हैं। यह नीचे है कि क्या राष्ट्रीय सरकार और राजनीतिक दलों में आम तौर पर संघवाद के साथ सहज होने की परिपक्वता है, और विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में मजबूत स्थानीय नेतृत्व के साथ।

भारत में अल्पसंख्यक की स्थिति (Minority Status in India)

चर्चा में क्यों : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा एक याचिका पर अपना रुख बदलने पर नाराजगी व्यक्त की, जिसमें हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की गई थी, जहां उनकी संख्या अन्य समुदायों से कम हो गई है।

क्या हुआ?

- पहले (मार्च) हलफनामे में, केंद्र ने राज्यों पर अल्पसंख्यक का दर्जा देने की जिम्मेदारी को स्थानांतरित करने की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि केंद्र और राज्य के पास ऐसा करने के लिए समवर्ती शक्तियां हैं।
- हालांकि, एक ताजा हलफनामे में कहा गया है कि "अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की शक्ति केंद्र के पास है"।

पृष्ठभूमि

मामला क्या है?

- याचिका में कहा गया है कि भारत के छह राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू 'अल्पसंख्यक' में हैं, लेकिन कथित तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं थे।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिखाया गया लक्षद्वीप (2.5%), मिजोरम (2.75%), नागालैंड (8.75%), मेघालय (11.53%), जम्मू-कश्मीर (28.44%), अरुणाचल प्रदेश (29%), मणिपुर (31.39%), और पंजाब (38.40%) में हिंदू अल्पसंख्यक बन गए हैं।
- वर्ष 2002 टीएमए पाई फाउंडेशन (TMA Pai Foundation) और वर्ष 2005 बाल पाटिल केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार उन्हें इन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए।
- याचिका में दावा किया गया है कि NCMEI (राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान) अधिनियम 2004 केंद्र को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है जो 'स्पष्ट रूप से मनमाना, तर्कहीन एवं अपमानजनक' है।
- NCMEI अधिनियम 2004 की धारा 2(f) भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने के लिये केंद्र को शक्ति प्रदान करती है।

टीएमए पाई केस:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिये अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 30 के प्रयोजन के लिये धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्यवार आधार पर किया जाना चाहिये।

बाल पाटिल केस:

- वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने 'बाल पाटिल' वाद में अपने फैसले में 'टीएमए पाई' वाद के निर्णय का उल्लेख किया था।
- कानूनी स्थिति स्पष्ट करती है कि अब से भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यक, दोनों की स्थिति निर्धारित करने की इकाई 'राज्य' होगी।

एक समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में कैसे अधिसूचित किया जाता है?

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2 (सी) के तहत केंद्र सरकार के पास एक समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति है।

भारत में अधिसूचित अल्पसंख्यक

- वर्तमान में, केंद्र सरकार द्वारा एनसीएम अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत अधिसूचित केवल उन समुदायों को अल्पसंख्यक माना जाता है।
- वर्ष 1993 में पहला सांविधिक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया था और पांँच धार्मिक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- वर्ष 2014 में जैनियों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)

- वर्ष 1992 में NCM अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ अल्पसंख्यक आयोग (MC) एक वैधानिक निकाय बन गया और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीयअल्पसंख्यक आयोग (NCM) कर दिया गया।
- एनसीएम में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं और ये सभी अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे।

फोर्टिफाइड चावलों का आदिवासियों पर दुष्प्रभाव (Fortified rice leading to side effects among Adivasis)

संदर्भ: कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि एनीमिया को रोकने के लिए "सिल्वर बुलेट" के रूप में सरकारी योजनाओं के माध्यम से लौह प्रबलीकृत (आयरन फोर्टिफाइड) चावल का वितरण झारखंड जैसे राज्यों में बंद होना चाहिए, जहां एक बड़ी जनजातीय आबादी सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और तपेदिक से पीड़ित है, जिनके लिए लोहे की अधिकता से स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

- फोर्टिफाइड चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसी केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के तहत वितरित किया जा रहा है; स्कूलों में पीएम-पोषण (पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना); और एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस या आंगनवाड़ी सेवाएं)।

प्रभाव

झारखंड 8% -10% की व्यापकता के साथ सिकल सेल विकार (sickle cell disorder) और थैलेसीमिया का एक स्थानिक क्षेत्र है, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुना है। वर्ष 2020 में झारखंड मलेरिया के लिए भी एक स्थानिक क्षेत्र है, यह राज्य मलेरिया से होने वाली मौतों में देश में तीसरे स्थान पर था।

- थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया ऐसी स्थितियां हैं जहां शरीर में पहले से ही अतिरिक्त आयरन होता है, जबकि टीबी के रोगी आयरन को अवशोषित (absorb) करने में असमर्थ होते हैं।
- इन रोगों के रोगियों में आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता और अंगों की कार्यक्षमता कम हो सकती है।
- एक घर में, यह संभावना नहीं है कि संक्रमित और स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भोजन को दो अलग-अलग प्रकार का चावल (फोर्टिफाइड और अनफोर्टिफाइड) पकाया जाएगा।
- व्यक्तिगत जरूरतों और चिकित्सीय स्थितियों को पूरा करने के लिए पीडीएस प्रणाली में फोर्टिफाइड और गैर-फोर्टिफाइड चावल के रूप में अलग-अलग वितरण बोझिल है।

आगे की राह

सूक्ष्म पोषक तत्व-दर-सूक्ष्म पोषक तत्व के माध्यम से पोषण तक नहीं पहुंचा जा सकता है और इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

- पीडीएस में बाजरा, दालें और अंडे शामिल करके आहार विविधता को बढ़ावा देने की सिफारिश की जाती है।
- बड़े पैमाने पर फोर्टिफिकेशन से बाजार में अपरिवर्तनीय बदलाव होंगे, साथ ही आपूर्ति श्रृंखला में बुनियादी ढांचे में बदलाव होगा।
- दूसरी ओर, प्रोटीन युक्त आहार बाजरा, हैल्दी वसा (healthy fats), चावल के पारंपरिक प्रकार जो पोषण से बेहतर हैं, मुख्य अनाज जो पारंपरिक रूप से अपने पोषक तत्वों को संरक्षित करने के लिए संसाधित होते हैं, स्थानीय (अनकलटिवटेड uncultivated) साग, विविध वन खाद्य पदार्थ, और अन्य सामग्री लाखों किचन गार्डन तथा अन्य स्थानीय नेतृत्व वाले प्रयासों से आ सकती है, इस तरह की नीति से सभी की उपेक्षा की जाएगी।

फोर्टिफाइड चावल

- पौष्टिकता बढ़ाने के लिए चावल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए और डी जैसे प्रमुख विटामिन तथा खनिजों को शामिल करना फोर्टिफिकेशन है। प्रसंस्करण से पहले ये पोषक तत्व मूल रूप से भोजन में मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी।

Source: Hindustan Times

आईपीसी की धारा 153ए और धारा 295ए (Section 153A and Section 295A of IPC)

चर्चा में क्यों : दलित शिक्षाविद डॉ रतन लाल को ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर एक 'आपत्तिजनक' पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था।

- उन पर धार्मिक समूहों (भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए) के बीच वैमनस्य या दुश्मनी को बढ़ावा देने और जानबूझकर तथा दुर्भावनापूर्ण रूप से धार्मिक भावनाओं (आईपीसी की धारा 295ए) को आहत पहुंचाने का आरोप है।

क्या कहते हैं ये खंड?

धारा 153 A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य करने से संबंधित है।

- इसके तहत व्यक्ति का आरोप साबित होने पर 5 साल के लिए कारावास और जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
- अगर कोई व्यक्ति भारतीय समाज के किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करता है या इससे संबंधित वक्तव्य देता है, तो वह आईपीसी (IPC) यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 295 ए के तहत दोषी माना जाएगा।
- दोषी पाए गए ऐसे व्यक्ति को अधिकतम दो साल तक के लिए कारावास की सजा का प्रावधान है और उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। या फिर उसे दोनों ही तरह से दण्डित किया जा सकता है।

दो प्रावधानों का बढ़ा उपयोग

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष 2014 के बाद से धारा 153ए के तहत दर्ज किए गए मामलों में से चार से अधिक उछाल (458%) दर्ज किए गए हैं; यह पिछले दो वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है।
- और सजा की दर केवल 20.4% मामलों में है।

ऐसे वर्गों की आवश्यकता क्यों है?

- भारत एक विविध देश होने के नाते, धार्मिक आग लगाने वाली भावनाओं को रोकने के लिए ऐसे कानूनों की आवश्यकता है।
- सांप्रदायिक विभाजन और एक समुदाय के वर्चस्व के कट्टरवाद के विकास को रोकने में मदद करता है।

- धार्मिक अतिवाद/असंवेदनशीलता को दंडनीय अपराध बनाकर धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रचार में मदद करता है।
- ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों को दंडित करता है और दूसरों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता है।

कमियां (Drawbacks)

- **विषयपरकता का तत्व (Element of Subjectivity):** यह कानून के दुरुपयोग की ओर ले जाता है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में व्यक्तिपरकता है।
  - ❖ व्यक्तिपरकता का तत्व इसे ओवरराइड करता है क्योंकि भावना की भेद्यता व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है।
- **भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण:** भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी के साथ विविधता का जश्न मनाता है।
- **तुच्छ मामले (Frivolous cases):** लोगों ने इस धारा का प्रयोग व्यक्तिगत प्रतिशोध को बाहर निकालने के लिए तुच्छ मामले दर्ज करने के लिए किया है।
- **अधिक बोझ वाली न्यायपालिका:** पहले से ही बोझ से दबी न्यायपालिका को संसाधनों के कारण और अधिक दबाव में डाल दिया गया है, इसे न्यायिक प्रणाली की प्रभावकारिता में बाधा डालने वाले तुच्छ मामलों की ओर निर्देशित करने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- अनुभागों में निहित अस्पष्टता और व्यक्तिपरकता को दूर करने के लिए आवश्यक संशोधन करने के लिए
- उपलब्ध सुरक्षा उपायों का कड़ा कार्यान्वयन
- वर्गों के दुरूपयोग की प्रवृत्ति को कम करना

पुलिस सुधार (Police Reforms)

प्रसंग: "आज भी, आम धारणा यह है कि पुलिस से दूर रहना चाहिए। यह एक सामान्य धारणा है कि एक बार जब कोई व्यक्ति वर्दी पहन लेता है, तो वह सब कुछ नियंत्रित करता है।" पीएम मोदी ने गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लेते हुए ये शब्द कहे क्योंकि उन्होंने पुलिस सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया।

भारतीय पुलिस के साथ क्या मुद्दे हैं?

- **औपनिवेशिक ढांचा:** भारत बड़े पैमाने पर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 1861 के पुलिस अधिनियम का पालन करता है।
- **सामंती मानसिकता:** अधिकांश पुलिस कर्मियों को लगता है कि वे समाज को अनुशासित करने की जिम्मेदारी वहन करने वाले समाज के मास्टर हैं और इसलिए लोगों को अपने संरक्षक/प्रजा के रूप में मानते हैं।
- **वित्तीय संसाधनों की कमी:** पुलिस विभागों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधनों की कमी है।
- **अधिक बोझ:** पुलिस समझ से बाहर के दबाव में काम करती है क्योंकि उनके पास स्टाफ की कमी है। भारत में (2017 में) प्रति 1,00,000 लोगों पर 131 पुलिस अधिकारी थे; जो स्वीकृत संख्या (181) और संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित संख्या (222) से कम है।
- **रिक्तियों को धीरे-धीरे भरना:** 26.23 लाख की स्वीकृत संख्या के मुकाबले पुलिस बलों में 5.3 लाख से अधिक रिक्तियां मौजूद हैं, जो लगभग 20% की कमी है।इसका सीधा असर पुलिस की कार्यकुशलता पर पड़ रहा है।
- **अक्षमता के कारण कमी (Shortfall leading to inefficiency):** कमी के कारण बढ़े हुए तनाव के स्तर के कारण पुलिस कभी-कभी लोगों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन (frustrations) प्रकट करती है।
- **पुअर लिविंग कंडीशंस (Poor Living Conditions) :** पुलिस के बुनियादी संरचना को हमेशा कम वित्तपोषित किया जाता है। देश के कुछ पुलिस स्टेशनों में पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय, परिवहन, टेलीफोन, स्टाफ और नियमित खरीदारी के

लिए धन जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है, जिससे उन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

- **पूर्वाग्रह से ग्रसित:** कई पुलिसकर्मी, बाकी भारतीयों की तरह, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं - छिपे हुए और छिपे हुए नहीं - जो उनके प्रदर्शन को असमान और अनुचित बनाते हैं।
- **पुलिस दुर्व्यवहार:** पुलिस के खिलाफ अनुचित गिरफ्तारी, गैरकानूनी तलाशी, यातना और हिरासत में बलात्कार सहित शिकायतें हैं।
- **नागरिकों के अनुकूल न होना :** पुलिस के साथ बातचीत आमतौर पर निराशाजनक, समय लेने वाली और कॉस्टली मानी जाती है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के एक अध्ययन में पाया गया कि 25% से भी कम भारतीय पुलिस पर अत्यधिक भरोसा करते हैं (सेना के लिए 54%)।
- **कमजोर जांच:** पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 50% से अधिक मामले (बलात्कार के मामलों में लगभग 80%) बरी हो जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि पुलिस अक्सर जांच के मामलों में कानून और व्यवस्था को प्राथमिकता देती है।
- **कॅरियर की धीमी प्रगति भ्रष्टाचार की ओर ले जाना :** 86 प्रतिशत पुलिस बल कांस्टेबल हैं, जिनके पास सेवानिवृत्त होने से पहले (हेड कांस्टेबल के रूप में) एक पदोन्नति के अलावा कोई विकास मार्ग नहीं रहता है। यह उन्हें भ्रष्ट रास्ते अपनाने के लिए प्रेरित करता है और इस प्रकार पुलिस की विश्वसनीयता को कम करता है।
- **अपर्याप्त प्रशिक्षण:** खराब प्रशिक्षण और पुलिस के धीमे आधुनिकीकरण के प्रभाव से स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार जघन्य अपराधों में साक्ष्य का संग्रह नहीं होता है और इसलिए दोष सिद्ध होने की दर कम होती है।
- **पुलिस का राजनीतिकरण:** वे आम तौर पर भ्रष्ट और घटिया वरिष्ठों के प्रति कृतज्ञ होते हैं और निहित आदेशों के अनुसार काम करने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है।
- भारत में सर्वोच्च न्यायालय और निम्न पुलिस अधिकारी के बीच की खाई: आपराधिक कानूनों को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बावजूद, उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में लागू किया जाना जारी है।
- **सम्पूर्ण भारत में एकरूपता का अभाव:** भारत में पुलिसिंग एक राज्य का विषय है जिसका अर्थ है कि राज्यों में महत्वपूर्ण भिन्नता है।
- बार-बार स्थानांतरण से अक्सर पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही कम हो जाती है और दीर्घकालिक सुधारों को लागू करने में असमर्थता होती है।

पुलिस सुधार के प्रयास क्या थे?

भारत में प्रयासरत पुलिस सुधारों का लंबा इतिहास रहा है

राष्ट्रीय पुलिस आयोग (एनपीसी)	1977-81	आपातकाल के बाद स्थापित, एनपीसी ने पुलिस मुद्दों की एक रेंज में बड़े सुधारों का सुझाव देते हुए 8 रिपोर्ट तैयार की।
रिबेरो समिति (Ribeiro Committee)	1998	एनपीसी की सिफारिशों को लागू करने के लिए की गई कार्रवाई की कमी की समीक्षा करने और एक नए पुलिस अधिनियम को फिर से तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित।
पद्मनाभैया समिति (Padmanabhaiah Committee)	2000	पुलिस और पुलिस जवाबदेही के राजनीतिकरण और अपराधीकरण के मुद्दों से निपटना।

मलीमठ समिति (Malimath Committee)	2002-03	भारतीय दंड संहिता में बदलाव का सुझाव दिया और न्यायिक कार्यवाही में सुधार के तरीकों की रूपरेखा तैयार की।
श्री आर.एस. मूशहरी द्वारा समीक्षा समिति की अध्यक्षता (Review Committee headed by Shri R.S. Mooshahar)	2004	पुलिस अधिकारियों के सभी तबादलों, पोस्टिंग, पदोन्नति और अन्य सेवा से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए अलग राज्य स्तरीय पीईबी। कांस्टेबलों को उनके पूरे करियर में कम से कम तीन पदोन्नति दी जानी चाहिए। राज्यों के साथ-साथ देश की आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की भूमिका को महत्व देते हुए पुलिस तंत्र को बाहरी प्रभावों से बचाना।
पुलिस अधिनियम मसौदा समिति 1	2005	1861 के पुलिस अधिनियम को बदलने के लिए एक नया मॉडल पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार किया।
प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश	2006	SC ने राज्य पुलिस बलों को राज्य सुरक्षा आयोग, पुलिस स्थापना बोर्ड और एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना सहित 7 निर्देश जारी किए।
दूसरा प्रशासनिक सुधार	2007	यह नोट किया गया कि पुलिस-जनसंपर्क असंतोषजनक थे और इसे बदलने के लिए कई सुधारों का सुझाव दिया गया।
न्यायमूर्ति थॉमस समिति	2010	पुलिस सुधारों के प्रति राज्य सरकारों की पूर्ण उदासीनता पर प्रकाश डाला।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश (2006 के फैसले को संशोधित करने की केंद्र की याचिका पर)	2018	पुलिस सुधारों पर नए निर्देश और 2006 के निर्देशों के कार्यान्वयन में राज्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

पुलिस सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह का फैसला क्या है?

- प्रकाश सिंह, जिन्होंने अन्य पोस्टिंग के अलावा यूपी पुलिस और असम पुलिस के डीजीपी के रूप में कार्य किया, ने 1996 में सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति के बाद पुलिस सुधार की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की। 2006 में, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार लाने के उद्देश्य से 7 निर्देश दिए
- न्यायालय ने राजनीतिकरण, जवाबदेही तंत्र की कमी और प्रणालीगत कमजोरियों की गहरी जड़ वाली समस्याओं को रिकॉर्ड में रखा है, जिसके परिणामस्वरूप खराब प्रदर्शन हुआ है और पुलिस के प्रति वर्तमान सार्वजनिक असंतोष है।

निर्देश हैं-

1. राज्य सुरक्षा आयोगों (एसएससी) की स्थापना - यह व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश देता है, राज्य पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार अनुचित दबाव का प्रयोग न करे।
2. डीजीपी का कार्यकाल (न्यूनतम दो वर्ष) और योग्यता आधारित पारदर्शी चयन का निर्धारण।
3. पुलिस महानिरीक्षक के लिए न्यूनतम कार्यकाल।
4. जांच और कानून व्यवस्था कार्यों को अलग करना।

5. पुलिस स्थापना बोर्डों की स्थापना- उपाधीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण, पदस्थापन, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी मामलों का निर्णय करना और उपाधीक्षक के पद से ऊपर के पुलिस अधिकारियों के मामलों के साथ सिफारिश करना।

6. पुलिस शिकायत प्राधिकरण का निर्माण करना- पुलिस उपाधीक्षक और उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक शिकायतों की जांच करना।

7. राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन- केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए दो साल के न्यूनतम कार्यकाल के साथ एक पैनल तैयार करने के लिए संघ स्तर पर।

आगे की राह

मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 को सभी राज्यों में परिचालित किया गया था लेकिन इसके कई मूलभूत सिद्धांत अधूरे हैं। राज्य को इसे अक्षरश: लागू करने की आवश्यकता है।

- पुलिस के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए उसके वित्त पोषण में वृद्धि करना।
- विशेष रूप से बलात्कार और दहेज जैसे संवेदनशील मुद्दों के दौरान जनता के साथ व्यवहार करते समय पुलिस को संवेदनशील बनाना।
- बढ़ते साइबर अपराधों के प्रकाश में पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करना ।
- **राजनीति का अपराधीकरण:** इन सुधारों को राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण लागू नहीं किया जाता है, जो बदले में राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण से जुड़ा हो सकता है।
- **प्रशिक्षण:** हमें पुलिस कर्मचारियों के लिए मानवाधिकारों और सामाजिक पुनर्एकीकरण में नियमित प्रशिक्षण आयोजित करने की आवश्यकता है।
- **रिक्तियों को भरना:** हमें मिशन मोड में रिक्तियों को भरने की जरूरत है ताकि मौजूदा पुलिस अधिकारियों पर बोझ कम हो।
- **प्रोफेशनल रिवार्ड्स (Professional Rewards):** हमें जेल अधिकारियों के लिए ऊपर की ओर गतिशीलता के लिए पर्याप्त गुंजाइश बनाने की जरूरत है, ताकि अच्छे काम को पदोन्नति के साथ पुरस्कृत किया जा सके।
- प्रकाश सिंह के निर्देश में अदालत की मंशा इस आंतरिक निर्णय को मजबूती से पुलिस नेतृत्व के सामने लाने की थी। इस निर्देश का लगातार पालन न करने से पुलिस नेतृत्व का अधिकार और कमजोर होगा, अधिकारियों का मनोबल प्रभावित होगा और जवाबदेही धुंधली होगी। इसलिए, निर्देशों को अक्षरश: लागू करने की आवश्यकता है।

राजद्रोह कानून (आईपीसी की धारा 124ए) Sedition Law (Section 124A of IPC)

संदर्भ: हाल ही में, केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा **124** ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है।

- एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस.जी. वोम्बटकेरे द्वारा दायर की गई याचिकाओं में कहा गया है कि कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 'ठंडा प्रभाव' डालता है और स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर एक अनुचित प्रतिबंध है, एक मौलिक अधिकार है।

सेडिशन क्या है? (What is Sedition?)

- 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार-राजनेता थॉमस बबिंगटन मैकाले द्वारा तैयार किया गया, राजद्रोह को एक अधिनियम के रूप में परिभाषित किया गया था, 'जो कोई भी, शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा, घृणा या अवमानना में लाने का प्रयास करता है, या उत्तेजित करता है या असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास

करता है'।

- 1870 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए में राजद्रोह का आरोप शामिल किया गया था
- धारा 124क के अनुसार सजा
  - राजद्रोह एक गैर-जमानती अपराध है।
  - जुर्माने के साथ तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा।
  - इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को भी सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित कर दिया जाता है और उनका पासपोर्ट सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता है।

अंग्रेजों के इस कानून को लागू करने के पीछे क्या मंशा थी?

- यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लेखन और भाषणों को दबाने के लिए लगाया गया था।
- महात्मा गांधी, तिलक और जेसी बोस जैसे नेताओं के लेखन को दबा दिया गया और ब्रिटिश शासन पर उनकी टिप्पणियों के लिए राजद्रोह कानून के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया।
- राजद्रोह के अपराध का पहला उल्लेखनीय मामला **1891** में क्वीन-एम्प्रेस बनाम जेसी बोस एंड अन्य, **(1892)** के मामले में दर्ज किया गया था।

यहां एक बंगाली पत्रिका के संपादकों पर ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करने का आरोप लगाया गया, विशेष रूप से सहमति की आयु अधिनियम, **1891** के संबंध में।

- बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ देशद्रोह का आरोप
  - उन पर दो बार कानून के तहत एक बार **1897** में और फिर **1908** में आरोप लगाया गया था।
  - **1897** में, तिलक ने शिवाजी के राज्याभिषेक के वार्षिक उत्सव की रिपोर्ट को "शिवाजी के कथन" के रूप में अपने दैनिक समाचार पत्रों - केसरी और महरत्ता (**Kesari and Mahratta**) में प्रकाशित किया था।
  - यह राजद्रोह का मुकदमा ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है क्योंकि इस मामले में सरकार के खिलाफ दुश्मनी की भावनाओं को भड़काने के प्रयास को भी धारा **124**ए के दायरे में लाया गया था, इसे देशद्रोही बताते हुए। इसलिए, इसने धारा **124**ए की समझ को विस्तृत किया।
  - तिलक को **18** महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।
  - तिलक ने क्रमशः **12** मई **1908** और **9** जून **1908** को "देश का दुर्भाग्य" और "ये उपाय स्थायी नहीं हैं" शीर्षक से दो लेख केसरी में प्रकाशित किए थे। नव निर्मित धारा **124A** के अनुसार, उन्हें बर्मा में छह साल की कैद की सजा दी गई थी।
- महात्मा गांधी का राजद्रोह परीक्षण **(1922)**
  - महात्मा गांधी को उनके अखबार 'यंग इंडिया' में उनके लेखों के लिए छह साल की कैद हुई थी।
  - उन पर लगाए गए आरोप थे - "ब्रिटिश भारत में कानून द्वारा स्थापित महामहिम की सरकार के प्रति असंतोष पैदा करना या उत्तेजित करने का प्रयास करना"
  - महात्मा गांधी ने धारा **124A** को "नागरिक की स्वतंत्रता को दबाने के लिए डिज़ाइन की गई भारतीय दंड संहिता के राजनीतिक वर्गों के बीच राजकुमार" कहा।

स्वतंत्र भारत में राजद्रोह न्यायशास्त्र क्या रहा है?

- स्वतंत्रता के बाद, संविधान सभा की चर्चा के बाद **1948** में संविधान से "देशद्रोह" को हटा दिया गया था। हालांकि, आईपीसी में धारा **124**ए बरकरार रही।

- तारा सिंह गोपी चंद बनाम राज्य (**1951**) मामले में, तत्कालीन पंजाब उच्च न्यायालय ने धारा **124**ए को इस आधार पर अमान्य कर दिया कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद **19** के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
- इसके तुरंत बाद, स्वतंत्र भारत की पहली संसद ने संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, **1951** पारित किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, तारा सिंह गोपीचंद फैसले के परिणामस्वरूप राजद्रोह कानून की संवैधानिकता में विसंगति को हल करने की मांग की गई थी।
- संशोधन अधिनियम ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए नए आधार पेश किए जो हैं - सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ संबंध और अपराध के लिए उकसाना।
- इस तरह के व्यापक अर्थ वाले शब्दों ने राज्य को राजद्रोह का आह्वान करने के लिए अधिक विवेक (**greater discretion**) दिया।
- उच्च न्यायालयों के विभिन्न विचारों से उत्पन्न होने वाली पहेली को अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने **1962** में केदारनाथ मामले में अपने फैसले से सुलझा लिया था।
- नई दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** में, जो **1974** में लागू हुई और औपनिवेशिक युग की **1898** की आपराधिक प्रक्रिया संहिता को निरस्त कर दिया, राजद्रोह को एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया, जिसमें पुलिस को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

धारा 124ए के समर्थन में क्या तर्क हैं?

- **राष्ट्र की अखंडता की रक्षा के लिए:** IPC की धारा 124A की उपयोगिता राष्ट्रविरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों का मुकाबला करने में है।
- **राज्य की स्थिरता:** यह चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाता है।
- **न्यायपालिका के साथ समान शक्तियाँ:** यदि अदालत की अवमानना दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करती है, तो सरकार की अवमानना पर भी सजा होनी चाहिए।

1962 का केदारनाथ सिंह केस क्या था और इसे एक ऐतिहासिक फैसला क्यों माना जाता है?

- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने धारा **124**ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
- इस मामले में, केदार नाथ सिंह, जो बिहार की फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, पर सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपमानजनक भाषण देने के लिए राजद्रोह का आरोप लगाया गया था।
- इसने राजद्रोह की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन इसके आवेदन को "अव्यवस्था पैदा करने की मंशा या प्रवृत्ति, या कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी, या हिंसा के लिए उकसाने वाले कृत्यों" तक सीमित कर दिया।

बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य केस, 1995

- शीर्ष अदालत ने माना कि जब तक सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं है, केवल नारेबाजी करने पर धारा **124**ए के तहत सजा नहीं दी जा सकती है।

वर्ष **2011** में दो निर्णयों के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से एक बार फिर कहा कि केवल भाषण जो "आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई के लिए उकसाने (**incitement to imminent lawless action)**" के बराबर है, को अपराधी बनाया जा सकता है।

देशद्रोह के प्रावधान से क्या सरोकार हैं?

- **असहमति पर अंकुश लगाने के लिए दुरुपयोग (Misused to curb dissent):** राजद्रोह अब भी असहमति के लिए सरकार की पहली शरणस्थली (**refuge**) बन गया है। सरकार की असहमति और आलोचना एक जीवंत लोकतंत्र में मजबूत सार्वजनिक बहस के आवश्यक तत्व हैं।
- **स्वतंत्रता पर द्रुतशीतन प्रभाव (Chilling effect on freedoms):** यह संवैधानिक रूप से गारंटीशुदा वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वैध अभ्यास पर एक बाधा है।
- आईपीसी में वैकल्पिक धाराएं पहले से मौजूद हैं। धारा **124** (ए) के तहत आने वाले अपराध किसी भी मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा **141, 146, 152, 153, 153** (ए), **153** (बी) और **15** के तहत वर्णित हैं।
- कम सजा (**Low Convictions**) **:** ऐसे मामलों में शायद ही चार्जशीट दायर की जाती है। बहुत कम लोग सुनवाई के लिए आते हैं। मामलों की नगण्य संख्या दोषसिद्धि में समाप्त होती है (केवल **3%**)।
- **अस्पष्ट और राजनीतिक दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी:** धारा **124**ए के तहत 'असंतोष' जैसे शब्द अस्पष्ट हैं और जांच अधिकारियों की सनक (**whims**) और कल्पना के लिए अलग-अलग व्याख्याओं के अधीन हैं।
- **कमजोर वर्गों पर असंगत प्रभाव:** लगातार, लक्ष्य में आमतौर पर कार्यकर्ता, दलित, मुस्लिम, आदिवासी और पत्रकार शामिल होते हैं।
- **औपनिवेशिक अवशेष (Colonial Relic):** भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए राजद्रोह की शुरुआत करने वाले अंग्रेजों ने **2009** में खुद अपने देश में कानून को समाप्त कर दिया है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत इस धारा को समाप्त न करे।
- **अंतर्राष्ट्रीय छवि/विश्वसनीयता:** राजद्रोह का दुरुपयोग और मनमाने ढंग से आरोप लगाना भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ असंगत है।

आगे की राह

- असहमति और लोकतंत्र के दर्शन ने भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है और भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को परिभाषित करता है, जो संवैधानिक ढांचे के अंदर, राज्य की सत्ता को जवाब देने के लोगों के अधिकार पर आधारित है।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शिक्षित करके धारा के दुरुपयोग की समस्या को ठीक किया जा सकता है और एक संभावित सुझाव कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर दंड लगाने का है जो दुर्भावनापूर्ण रूप से राजद्रोह के आरोप लगाते हैं।
- सरकार को ऐसे पुराने दंडात्मक प्रावधानों की समीक्षा करना अच्छा होगा। गैरकानूनी गतिविधियों और सशस्त्र आंदोलनों से निपटने के लिए कानून मौजूद है।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) (National Register of Citizens (NRC))

संदर्भ: असम के राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) संयोजक ने राज्य भर के विदेशी न्यायाधिकरणों (एफटी) के सदस्यों से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित एनआरसी की सूची अंतिम नहीं है और वे किसी भी मामले के निपटारे में साक्ष्य के बतौर इस सूची (या पूरक सूची) पर ध्यान में न रखें।

NRC क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी?

- एनआरसी कानूनी भारतीय नागरिकों का एक आधिकारिक रिकॉर्ड है। NRC की उत्पत्ति 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना से हुई थे, जिसमें जनगणना पर्चियों से डेटा का स्थानांतरण शामिल था।
- इसमें उन सभी व्यक्तियों के बारे में जनसांख्यिकीय जानकारी शामिल है जो नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार भारत के नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं।
- सभी राज्यों को एक एनआरसी संकलित करने के लिए अनिवार्य किया गया था लेकिन यह केवल असम में ही किया गया था।

- उस वर्ष जनगणना पूरी होने के बाद 1951 में पहला एनआरसी संकलित किया गया था। यह एनआरसी गृह मंत्रालय (एमएचए) के एक निर्देश के तहत तैयार किया गया था।
- असम की एनआरसी सूची में वे लोग शामिल हैं जो 26 जनवरी, 1950 को भारत में रहते थे, या भारत में पैदा हुए थे या जिनके माता-पिता भारत में पैदा हुए थे या 26 जनवरी, 1950 की कट-ऑफ से पहले कम से कम पांच साल से भारत में रह रहे थे।

क्या NRC का कोई कानूनी आधार है?

- नागरिकता अधिनियम, 1955 भारत के प्रत्येक नागरिक के अनिवार्य पंजीकरण और उसे राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का प्रावधान करता है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बनाए गए नागरिकता नियम, 2003 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने का तरीका निर्धारित किया गया है।

असम में NRC को अपडेट करने की मांग क्यों की गई?

- 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान और बाद में "अवैध अप्रवासियों" द्वारा स्वदेशी लोगों की संख्या से अधिक होने के डर से 1979 से 1985 तक असम आंदोलन हुआ।
- तथाकथित "अवैध प्रवासियों की पहचान करने और इन विदेशियों को असम से बाहर निकालने के लिए 1951 के एनआरसी को अद्यतन करने की मांग आंदोलन के दौरान उठाई गई थी।
- 1985 में, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में विदेशियों के विरोध का आंदोलन असम समझौते पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हो गया।
- इस समझौते के तहत, 1966 और 1971 के बीच राज्य में प्रवेश करने वालों को मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा और 10 वर्षों के लिए उनके मतदान के अधिकार खो दिए जाएंगे, जिसके बाद उनके नाम सूची में वापस आ जाएंगे।
    - जो लोग 25 मार्च 1971 को या उसके बाद बांग्लादेश युद्ध की पूर्व संध्या में प्रवेश कर गए, उन्हें विदेशी घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा।
- इसलिए, असम के लिए NRC अब असम समझौते से अवैध अप्रवासियों की अपनी सबूत लेता है - जो कोई भी यह साबित नहीं कर सकता है कि उन्होंने या उनके पूर्वजों ने 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि से पहले देश में प्रवेश किया, उन्हें विदेशी घोषित किया जाएगा और निर्वासन का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, अभ्यास कभी भी अमल में नहीं आया।

NRC को अब क्यों अपडेट किया जा रहा है?

- तथाकथित विदेशियों का पता लगाने के लिए इस प्रणाली को पहले अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम 1983 द्वारा चित्रित किया गया था।
- वर्ष 2005 में केंद्र, असम सरकार और साथ ही अखिल असम छात्र संघ की त्रिपक्षीय बैठक में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को अद्यतन करना शुरू करने का निर्णय लिया गया था।
- वर्ष 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से असम के लिए नए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए कहा।
- इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2015 से गंभीरता से शुरू किया गया था, जिसकी निगरानी सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती थी।

अंतिम सूची से छूटे लोगों का क्या होगा?

सरकार ने कहा है, "एनआरसी में किसी व्यक्ति का नाम शामिल न करना अपने आप में उसे विदेशी घोषित करने के बराबर नहीं है।"

- सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम सूची में जगह बनाने में विफल रहने पर व्यक्तियों को हिरासत में नहीं लिया जाएगा।
- जो अंतिम सूची में जगह नहीं बनाते हैं उन्हें असम के विदेशी न्यायाधिकरण के समक्ष पेश होना होगा।

- ये अर्ध-न्यायिक निकाय मूल रूप से अवैध प्रवासियों (ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारण) अधिनियम 1983 के तहत स्थापित किए गए थे। तब से कानून को अदालत ने रद्द कर दिया है, लेकिन ट्रिब्यूनल बने रहते हैं, यह निर्धारित करने के लिए काम किया जाता है कि क्या जिन लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा है वे विदेशी हैं और उन्हें निर्वासित होना चाहिए ।
- अंतिम सूची के बाद मामलों की एक नई भीड़ की प्रत्याशा में, राज्य भर में 1,000 और अधिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जा रहे हैं।

- अगर कोई ट्रिब्यूनल में केस हार जाता है, तो वह हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।

असम NRC की वर्तमान स्थिति क्या है?

- सरकार ने सूची को अंतिम रूप में स्वीकार नहीं किया है और "सुधार की गई (corrected)" एनआरसी के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।
- हालांकि, सरकार ने अद्यतन प्रक्रिया के दौरान एकत्र किए गए 21 लाख लोगों के बायोमेट्रिक्स को अनफ्रीज करने के लिए जोर देने का फैसला किया है, ताकि उन्हें आधार कार्ड प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके, यदि किसी व्यक्ति को अंततः गैर-नागरिक के रूप में चिह्नित किया जाता है, तो उसे फिर से लॉक किया जा सकता है।
- वर्ष 2021 में, असम के मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें अगस्त 2019 NRC को "पूरक सूची" के रूप में संदर्भित किया गया, न कि "अंतिम NRC" के रूप में और पुन: सत्यापन की मांग की।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) **क्या है?**

- यह 'देश के सामान्य निवासियों' की एक सूची है जो नागरिकता अधिनियम **1955** के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उप-ज़िला, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है।
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में पंजीकरण कराना भारत के प्रत्येक 'सामान्य निवासी' के लिये अनिवार्य है।
  - कोई भी व्यक्ति जो **6** महीने या उससे अधिक समय से भारत में रह रहा है या अगले **6** महीने या उससे अधिक समय तक यहाँ रहने का इरादा रखता है, उसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होता है।
- पहला राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर **2010** में तैयार किया गया था और इस डेटा को अपडेट करने का काम **2015** के दौरान घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया गया था।
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का अद्यतन डेटा जनगणना-**2021** के प्रथम चरण के आँकड़ों के साथ प्रकाशित किया जाएगा।
  - इसे स्थानीय (गांव/उपनगर), उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है।
  - एनपीआर को अद्यतन करने के अभ्यास के दौरान प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकीय और अन्य विवरणों को अद्यतन/एकत्र किया जाना था। इस अभ्यास के दौरान कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाना है।

जनगणना के बारे में:

- जनगणना देश की जनसंख्या की गणना है यह **10** साल के अंतराल पर आयोजित की जाती है ।
- जनगणना **2021** देश में **16**वीं जनगणना होगी क्योंकि पहली जनगणना **1872** में हुई थी
- पहली बार, **2021** की जनगणना में डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। यह जनता को स्व-गणना के लिए एक सुविधा भी प्रदान करेगा।

क्या एनपीआर एनआरसी से जुड़ा है?

- नागरिकता अधिनियम सरकार को प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने और भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखने का अधिकार देता है।

- राष्ट्रव्यापी एनआरसी यदि किया जाता है तो यह एनपीआर से बाहर हो जाएगा।
- इसका मतलब यह नहीं है कि एनआरसी को एनपीआर का पालन करना चाहिए - वर्ष **2010** में पिछले एनपीआर के बाद ऐसा कोई रजिस्टर संकलित नहीं किया गया था।
- निवासियों की सूची बनने के बाद, एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी - यदि ऐसा होता है तो उस सूची से नागरिकों को सत्यापित करने के बारे में जा सकता है।

आशा कार्यकर्ता (ASHA Workers)

संदर्भ: भारत की एक मिलियन आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) कार्यकर्ता, जो भारत में स्वास्थ्य देखभाल वितरण में सबसे आगे रही हैं, को चल रही **75** वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की पृष्ठभूमि में ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड **2022** से सम्मानित किया गया है।

आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) कार्यकर्ता कौन हैं?

- आशा कार्यकर्ता समुदाय के भीतर से स्वयंसेवक होते हैं जिन्हें सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लाभों तक पहुँचने में लोगों को जानकारी प्रदान करने और सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- वे हाशिए के समुदायों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-केंद्रों और जिला अस्पतालों जैसी सुविधाओं से जोड़ने वाले एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं।
- देश भर में लगभग 10.4 लाख आशा कार्यकर्ता हैं, जिनमें उच्च आबादी वाले राज्यों - उत्तर प्रदेश (1.63 लाख), बिहार (89,437), और मध्य प्रदेश (77,531) में सबसे बड़े कार्यबल हैं।
- आशा के क्षमता निर्माण को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। आशा को अपनी भूमिका निभाने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए कई प्रशिक्षण एपिसोड (training episodes) से गुजरना होगा।

क्या करती हैं आशा कार्यकर्ता?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ताओं को सौंपा गया विवरण कार्य

- स्वास्थ्य के निर्धारकों जैसे पोषण, बुनियादी स्वच्छता और स्वच्छ प्रथाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और समुदाय को जानकारी प्रदान करना।
- महिलाओं और परिवारों को जन्म के लिए तैयारियों के बारे में परामर्श देना और यह सुनिश्चित करना कि महिलाएं प्रसव पूर्व जांच कराएं, गर्भावस्था के दौरान पोषण बनाए रखें, स्वास्थ्य सुविधा में प्रसव कराएं आदि।
- गर्भ निरोधकों और यौन संचारित संक्रमणों के बारे में महिलाओं को सुझाव देना।
- अपने समुदाय के उन बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करने और प्रेरित करने के लिए।
- व्यापक ग्राम स्वास्थ्य योजना विकसित करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति के साथ काम करना, और स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों पर समिति द्वारा अभिसरण कार्रवाई को बढ़ावा देना। VHSNC के समर्थन में, आशा लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ कार्रवाई के लिए समुदाय की सहायता और जुटाव करेगी।
- दस्त, बुखार, सामान्य और बीमार नवजात शिशु की देखभाल, बचपन की बीमारियों और प्राथमिक चिकित्सा जैसी छोटी बीमारियों के लिए सामुदायिक स्तर पर उपचारात्मक देखभाल प्रदान करना।
  - वे संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट-कोर्स (DOTS) की प्रदाता होंगी।
  - वह स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों के लिए डिपो होल्डर के रूप में भी कार्य करेगी। प्रत्येक आशा को एक ड्रग किट (Drug Kit) प्रदान की जाएगी।
- जहाँ वह तैनात हो वहां के गांव में जन्म और मृत्यु तथा समुदाय में किसी भी असामान्य स्वास्थ्य समस्या/बीमारी के प्रकोप के बारे में उप-केंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जानकारी प्रदान करना।

- वह संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत घरेलू शौचालयों के निर्माण को बढ़ावा देंगी।

आशा कार्यकर्ताओं के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- **काम का बोझ शायद ही इन्हें स्वैच्छिक स्वभाव का बनाता हो :** अधिक कार्यों को शामिल करने के लिए उनके कार्य विवरण का विस्तार होता रहता है।
- **कम भुगतान:** उन्हें बिना किसी निश्चित वेतन घटक के उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के लिए प्रोत्साहन का भुगतान किया जाता है। कोई निश्चित और गारंटीकृत वेतन नहीं होने से उनकी आजीविका हमेशा खतरे में रहती है।
- **सुरक्षा जाल का प्रावधान न होना :** उन्हें पेंशन या स्वास्थ्य बीमा जैसा कोई लाभ नहीं मिलता है।
- **स्थिति पर बहस:** इनमें से कुछ पदों को स्थायी प्रेरणा के रूप में उचित मुआवजे के साथ स्थायी करने के लिए एक मजबूत तर्क है।
- **लैक ऑफ़ स्किल लैडर (Lack of Skill Ladder):** सामुदायिक कार्यकर्ताओं के कौशल और क्षमता विकास के लिए भी एक मजबूत दलील है ताकि वे औपचारिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में **ANM/ GNM** या सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स के रूप में लैक ऑफ़ स्किल लैडर को आगे बढ़ा सकें।

आगे की राह

- मानव विकास में उनके योगदान को देखते हुए सरकार के स्थायी कर्मचारियों के रूप में मान्यता तत्काल आवश्यकता है।
- यह प्रणाली तभी टिक और विकसित हो सकती है जब मुआवजा पर्याप्त हो, और आशा समुदाय के विश्वास का रूचि रखे।
- अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर वेतन के साथ बेहतर अवसरों का विस्तार करना न केवल श्रमिकों के रूप में उनके अधिकारों को स्वीकार करने के लिए आवश्यक है, बल्कि कई आशा कार्यकर्ताओं के हाथों में मजदूरी देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में भी योगदान दे सकता है।

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991
(Gyanvapi Mosque controversy & Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991)

संदर्भ: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में माँ श्रृंगार गौरी स्थल के वीडियो सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसका आदेश वाराणसी के एक सिविल कोर्ट ने दिया था।

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का संक्षिप्त इतिहास क्या है?

- प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था।
- काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद के साथ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के अभियान के दौरान उठाया गया था। दावा किया गया था कि तीनों मस्जिदों का निर्माण हिंदू मंदिरों को तोड़कर किया गया था।
- यह मामला 1991 का है जब स्थानीय पुजारियों के एक समूह ने वाराणसी की अदालत का रुख किया।
- याचिकाकर्ताओं ने यह मांग की कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है उसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा करने की अनुमति भी मांगी।
- बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद में 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, दिसंबर 2019 में ज्ञानवापी मामले को पुनर्जीवित किया गया।

- ताजा विवाद तब हुआ जब अप्रैल 2021 को पांच हिंदू महिलाओं ने मस्जिद परिसर में प्रतिदिन श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की मूर्तियों की पूजा करने के अपने अधिकार को लेकर वाराणसी की अदालत में मामला दायर किया।
- अप्रैल 2022 में वाराणसी की एक अदालत ने याचिका के बाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियो सर्वेक्षण करने का आदेश दिया।

पूजा स्थल अधिनियम, 1991 क्या कहता है?

- राम जन्मभूमि रथ यात्रा के प्रकाश में यह कानून बनाया गया था, जिसके कारण बहुत अधिक सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा हुआ।
- इस अधिनियम का उद्देश्य सांप्रदायिक वैमनस्य को हतोत्साहित करना है।
- धारा 3 स्पष्ट रूप से पूजा स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाती है।
- धारा 4(1) में कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 को विद्यमान पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा उस दिन था।
- धारा 4(3) इसके अपवादों को सूचीबद्ध करती है। धारा के उप-खंड (बी) में कहा गया है कि अधिनियम उन अपीलों, मुकदमों और कार्यवाही पर लागू नहीं होगा जो अधिनियम के शुरू होने से पहले तय किए गए थे।
- धारा 5 में प्रावधान है कि यह अधिनियम रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।
- धारा 6 जुर्माने के भुगतान के अलावा, धारा 3 का उल्लंघन करने वाले कृत्यों को तीन तक के कारावास के साथ दंडित करती है।

सिंधु जल संधि, 1960 (Indus Waters Treaty, 1960)

चर्चा में क्यों : भारत और पाकिस्तान के स्थायी सिंधु आयोग (**Permanent Indus Commission**) की **2** दिवसीय सालाना बैठक दिल्ली (**Delhi**) में आयोजित की गई।

सिंधु जल संधि का इतिहास

- सिंधु नदी के बेसिन में छह नदियाँ हैं - सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, जो तिब्बत से निकलती हैं और हिमालय पर्वतमाला से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं।
- 1947 में, भारत और पाकिस्तान के लिए भौगोलिक सीमाओं को चित्रित करने के अलावा, विभाजन की रेखा ने सिंधु नदी प्रणाली को भी दो भागों में बाँट दिया।
- 1951 में, जल-बंटवारे विवाद की पृष्ठभूमि में, दोनों देशों ने सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर अपनी-अपनी सिंचाई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक में आवेदन किया, जब विश्व बैंक ने संघर्ष में मध्यस्थता करने की पेशकश की।
- अंतत: 1960 में, दोनों देशों के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता का समझौता हुआ और सिंधु जल संधि (IWT) पर पूर्व प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

संधि के प्रमुख प्रावधान

साझा जल (Sharing Water)

- इसके तहत तीन पश्चिमी नदियों- सिंधु, चिनाब और झेलम को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिये पाकिस्तान को आवंटित किया, भारत द्वारा कुछ गैर-उपभोग्य, कृषि और घरेलू उपयोगों को छोड़कर अन्य तीन पूर्वी नदियों- रावी, ब्यास एवं सतलज को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिये भारत को आवंटित किया गया था।

स्थायी सिंधु आयोग

- इसके लिये दोनों देशों को दोनों पक्षों के स्थायी आयुक्तों द्वारा एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की भी आवश्यकता थी।

नदियों पर अधिकार

- जबकि झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है, IWT के अनुलग्नक C में भारत को कुछ कृषि उपयोग की अनुमति है, जबकि अनुलग्नक D इसे 'रन ऑफ द रिवर' जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि पानी के भंडारण की आवश्यकता नहीं है।

आपत्तियाँ उठाना:

- यह संधि पाकिस्तान को भारत द्वारा बनाई जा रही ऐसी परियोजनाओं पर आपत्ति उठाने की भी अनुमति देती है, अगर वह उन्हें विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाता है।
- भारत को परियोजना के डिज़ाइन या उसमें किये गए परिवर्तनों के बारे में पाकिस्तान के साथ जानकारी साझा करनी है, जिसे प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर आपत्तियों, यदि कोई हो, के साथ जवाब देना आवश्यक है।
- इसके अलावा भारत को पश्चिमी नदियों पर न्यूनतम भंडारण स्तर रखने की अनुमति है, जिसका अर्थ है कि यह संरक्षण और बाढ़ भंडारण उद्देश्यों के लिये 3.75 एमएएफ पानी तक स्टोर कर सकता है।

विवाद समाधान तंत्र:

- IWT तीन चरणों वाला विवाद समाधान तंत्र भी प्रदान करता है, जिसके तहत दोनों पक्षों के "प्रश्नों" का समाधान स्थायी आयोग में किया जा सकता है या इन्हें अंतर-सरकारी स्तर पर भी उठाया जा सकता है।
- जल-बँटवारे को लेकर देशों के बीच अनसुलझे प्रश्नों या "मतभेदों", जैसे- तकनीकी मतभेद के मामले में कोई भी पक्ष निर्णय लेने के लिये तटस्थ विशेषज्ञ (NE) की नियुक्ति हेतु विश्व बैंक से संपर्क कर सकता है।
- और अंतत: यदि कोई भी पक्ष पूर्वोत्तर के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो संधि मामलों की व्याख्या और सीमा "विवाद" से संबंधित मामला मध्यस्थता न्यायालय को संदर्भित किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को पेशे के रूप में मान्यता दी (Supreme Court recognizes prostitution as profession)

चर्चा में क्यों : सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यौनकर्मी कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं। यौनकर्मियों की लंबे समय से चली आ रही मांग कि उनके काम को अपराध से मुक्त किया जाए।

किस बारे में था मामला?

- वर्ष **2010** में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के **2007** के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई थी, जिसने सितंबर **1999** में कोलकाता के रेड लाइट एरिया में एक सेक्स वर्कर की हत्या के दोषी पाए गए बुद्धदेव कर्मस्कर नाम के एक व्यक्ति पर आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था।

- न्यायालय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को समाज कल्याण बोर्डों के माध्यम से आमतौर पर वेश्याओं के रूप में जानी जाने वाली शारीरिक और यौन शोषण वाली महिलाओं के पुनर्वास के लिए योजनाएं तैयार करनी चाहिए।
- कोर्ट ने बुद्धदेव कर्मस्कार (2011) में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यौनकर्मी भी "सम्मानजनक जीवन जीने" के हकदार हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने यौन कार्य छोड़ने की इच्छा रखने वाली यौनकर्मियों की तस्करी और पुनर्वास की रोकथाम पर उपयुक्त सुझाव देने के लिए एक पैनल भी नियुक्त किया।

पैनल ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा?

2016 में प्रस्तुत अपनी अंतिम रिपोर्ट में, पैनल ने कहा कि यौनकर्मी

- राशन कार्ड या वोटर कार्ड जैसे पहचान के प्रमाण प्राप्त करना मुश्किल हो गया क्योंकि उनके पास निवास का प्रमाण नहीं है
- जिला अधिकारियों ने यौनकर्मियों और उनके बच्चों की पहचान नहीं की
- उनके पुनर्वास के लिए बनी योजनाओं तक कोई पहुंच नहीं है
- राज्यों द्वारा दी जाने वाली क्रेडिट तक कोई पहुंच नहीं है, क्योंकि दस्तावेजों की कमी ने उन्हें बैंक खाते खोलने से रोक दिया है
- समिति ने सिफारिश की कि अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, **1956** में संशोधन किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पैनल की 10 **सिफारिशों को सूचीबद्ध किया और निर्देश दिया कि उनमें से छह को लागू किया जाना चाहिए।**

➔ यौन उत्पीड़न की शिकार किसी भी यौनकर्मी के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता का प्रावधान।

➔ सभी प्रोटेक्टिव होम्स का सर्वे करने के लिए राज्यों को निर्देश

➔ पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यौनकर्मियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना और यह सुनिश्चित करना कि पुलिस उनके साथ सम्मान से पेश आए।

➔ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से मीडिया के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहें ताकि यौनकर्मियों की पहचान उजागर न हो।

➔ जो उपाय यौनकर्मी अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियोजित करते हैं, उन्हें न तो अपराध माना जाना चाहिए और न ही किसी अपराध के होने के साक्ष्य के रूप में देखा जाना चाहिए।

भारत में वेश्यावृत्ति के आसपास के कानून (Laws around prostitution in India)

- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के अनुसार, यौनकर्मी अपने पेशे का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन दलाली और वेश्यालय चलाने सहित गतिविधियों को दंडनीय अपराध माना जाता है।
- वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को खरीदना, प्रेरित करना या अपहरण करना अवैध है।
- कानून में आगे उल्लेख किया गया है कि यह अभ्यास किसी भी सार्वजनिक स्थान के 200 मीटर के दायरे में नहीं हो सकता है।
- पूरे यूरोप में, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, ग्रीस जैसे देशों ने इस पेशे को वैध कर दिया है।

कोर्ट का आदेश कितना महत्वपूर्ण है?

- कोर्ट ने सरकार से पैनल के सुझावों पर छह सप्ताह में जवाब देने को कहा। यह मानते हुए कि मानव शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा यौनकर्मियों और उनके बच्चों तक फैली हुई है, अदालत ने एक शोषित, कमजोर वर्ग के अधिकारों के लिए एक झटका लगाया है।
- इसने राज्य सरकारों से कहा है कि वे वहां हिरासत में लिए गए वयस्क महिलाओं के मामलों की समीक्षा करने और समयबद्ध

तरीके से उनकी रिहाई की प्रक्रिया के लिए सुरक्षात्मक घरों का सर्वेक्षण करें।

- न्यायालय की टिप्पणियों से पुलिस, मीडिया और समाज को यौनकर्मियों के प्रति संवेदनशील बनाने में मदद मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी
(Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)

चर्चा में क्यों : भारत और अमेरिका के नेतृत्व में **12** देशों ने इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क **(IPEF)** शुरू किया।

- इस ढांचे का उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है।
- **इसके सदस्य देश :** ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, भारत, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम है।
- एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि देश एक स्वतंत्र, खुले, निष्पक्ष, समावेशी, परस्पर जुड़े, लचीला, सुरक्षित और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता साझा करते हैं, जिसमें स्थायी और समावेशी आर्थिक विकास हासिल करने की क्षमता है।
- संयुक्त बयान में कहा गया है कि वे भविष्य की बातचीत की दिशा में सामूहिक चर्चा शुरू कर रहे हैं, और आईपीईएफ के तहत चार स्तंभों की पहचान की है।
  1. व्यापार
  2. आपूर्ति श्रृंखला
  3. स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर
  4. कर और भ्रष्टाचार विरोधी

भारत-प्रशांत

- इंडो-पैसिफिक एक भू-राजनीतिक निर्माण है जो लंबे समय से प्रचलित "एशिया-प्रशांत" के विकल्प के रूप में उभरा है, जो यूरो-अटलांटिक आयाम से वैश्विक विकास के पूर्व की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह एक एकीकृत थिएटर है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर तथा उनके चारों ओर की भूमि को जोड़ता है।
- साथ ही, ग्रेवेटी (gravity) का केंद्र एशिया में स्थानांतरित हो गया है। समुद्री मार्ग होने का कारण, हिंद महासागर और प्रशांत समुद्री मार्ग प्रदान करते हैं।

सोलोमन द्वीप और चीन सुरक्षा समझौता (Solomon Islands and China Security Pact)

संदर्भ: चीन और सोलोमन द्वीप समूह ने एक विवादास्पद सुरक्षा समझौते को अंतिम रूप दिया, जिसका प्रारंभिक मसौदा मार्च **2022** में ऑनलाइन लीक हो गया था।

- प्रशांत क्षेत्र में बीजिंग के लिए यह अपनी तरह का पहला सौदा है।
- यह अब इस क्षेत्र में अपनी स्वयं की राजनयिक उपस्थिति बढ़ाने के लिए चीन और पश्चिम के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया है।

सोलोमन द्वीप कहाँ स्थित हैं?

- सोलोमन द्वीप एक संप्रभु देश है जिसमें छह प्रमुख द्वीप और ओशिनिया में 900 से अधिक छोटे द्वीप हैं, जिनकी आबादी 7 लाख है, जो पापुआ न्यू गिनी और वानुअतु (Vanuatu) के मध्य स्थित है।
- यह दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है।

- यह मेलानेशिया में ज्वालामुखीय द्वीपों और प्रवाल प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी श्रृंखला से मिलकर बना है। मेलानेशिया दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में ओशिनिया का एक उप-क्षेत्र है।
- इसकी राजधानी, होनियारा, सबसे बड़े द्वीप ग्वाडलकैनाल पर स्थित है।
- द्वीप एक संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें ब्रिटिश सम्राट (British monarch), एक गवर्नर-जनरल द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है।
- फिर भी यह राष्ट्रमंडल का एक स्वतंत्र सदस्य है तथा गवर्नर-जनरल को एक सदनीय राष्ट्रीय संसद की सलाह पर नियुक्त किया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में सोलोमन द्वीप समूह में राजनीतिक स्थिति कैसे विकसित हुई है?

- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकियों द्वारा जापानियों से द्वीपों पर कब्जा करने के बाद, द्वीप, जो औपनिवेशिक युग के दौरान शुरू में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा नियंत्रित किए गए थे, यह जर्मनी और जापान के हाथों से फिर वापस यू.के. में चले गए।
- यहीं पर, राजधानी शहर होनियारा में, द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ भीषण युद्ध अमेरिका और जापानी सैनिकों के बीच लड़े गए थे।
- सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ ब्रिटिश क्राउन के तहत एक संवैधानिक राजतंत्र बनने के लिये द्वीप वर्ष 1978 में स्वतंत्र हो गए।
- फिर भी, घरेलू जातीय संघर्षों को प्रबंधित करने में इसकी अक्षमता ने ऑस्ट्रेलिया के साथ घनिष्ठ सुरक्षा संबंधों को जन्म दिया, जो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में किसी भी संकट के लिए पारंपरिक प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता है।
- 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत के बीच, यह देश कई सशस्त्र समूहों के बीच जातीय अशांति और सैन्य संघर्ष से भरा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः एक तख्तापलट हुआ जिसने वर्तमान प्रधानमंत्री सोगावरे को पहली बार सत्ता में लाया गया।
- अपनी अर्थव्यवस्था के लगभग पतन की स्थिति में और जातीय संघर्ष अभी भी बड़े पैमाने पर होने के कारण, प्रशांत राष्ट्र को राज्य के मामलों को स्थिर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से सुदृढीकरण को कॉल के लिए मजबूर होना पड़ा।
- वर्ष 2003 में, ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में सोलोमन द्वीप समूह (RAMSI) के लिए एक बहुराष्ट्रीय क्षेत्रीय सहायता मिशन की स्थापना की गई थी। मिशन के हिस्से के रूप में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से सैनिकों को तैनात किया गया था तथा स्थिरता की स्थिति को अंततः बहाल कर दिया गया।
- सोलोमन द्वीप और ऑस्ट्रेलिया ने भी वर्ष 2017 में एक द्विपक्षीय सुरक्षा संधि को सामान्य किया, जो आपात स्थिति में ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को द्वीप राष्ट्र में तैनात करने की अनुमति देता है।

हाल के वर्षों में सोलोमन द्वीप समूह की विदेश नीति के रुख में क्या बदलाव आया है?

- पीएम सोगावरे के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल के वर्षों में चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना शुरू कर दिया है।
- वर्ष 2019 में एक बार फिर से प्रधान मंत्री चुने जाने के तुरंत बाद, उन्होंने चीन के पक्ष में ताइवान के साथ देश के लंबे समय से चले आ रहे राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया।
- यह निर्णय, जिसे व्यापक रूप से 'द स्विच' के रूप में जाना जाता है, इस क्षेत्र में चीन के विस्तार के पहले प्रमुख संकेतों में से एक माना जाता है, जो परंपरागत रूप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का सहयोगी था।
- पीएम सोगावरे का स्विच निर्णय अच्छा नहीं था - कई प्रांत नेताओं ने स्विच को अस्वीकार कर दिया, और यह भी वर्ष 2021 के अंत में राजधानी होनियारा में दंगों में योगदान देने वाला एक फैक्टर था।

सोलोमन द्वीप में चीन की दिलचस्पी क्यों है?

- ताइवान फैक्टर (**Taiwan factor) :** सोलोमन द्वीप छह प्रशांत द्वीप राज्यों में से एक था, जिसके ताइवान के साथ आधिकारिक द्विपक्षीय संबंध थे। हालाँकि, वर्ष **2019** में, सोलोमन द्वीप समूह ने किरिबाती के साथ चीन के प्रति निष्ठा को बदल दिया।
- आर्थिक कारणों से
  - सोलोमन द्वीप समूह में, विशेष रूप से, मत्स्य पालन के साथ-साथ लकड़ी और खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण भंडार है।
  - इसके अलावा, इन राज्यों में उनके छोटे आकार की तुलना में असमान रूप से बड़े समुद्री विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हैं, यही कारण है कि इन 'छोटे द्वीप राज्यों' को 'बड़े महासागर राज्यों' के रूप में भी देखा जाता है।
- नए सुरक्षा समझौते के साथ, चीन और उसकी सेना ने द्वीप राष्ट्र में एक पैर जमा लिया है, जो महत्वपूर्ण शिपिंग लेन को अवरुद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
- सामरिक कारण – पश्चिम का मुकाबला करने के लिए
  - छोटे प्रशांत द्वीप राज्य संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर महाशक्तियों के लिए समर्थन जुटाने के लिए संभावित वोट बैंक के रूप में कार्य करते हैं।
  - इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये द्वीप चीन के लिए रणनीतिक रूप से स्थित हैं, ताकि वे प्रशांत द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों के बीच खुद को सम्मिलित कर सकें।
  - यह वर्तमान परिदृश्य में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, **AUKUS** (ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस) के उद्भव को देखते हुए, जो एंग्लो-अमेरिकन सहयोग के माध्यम से चीन की तुलना में ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करता है।
  - QUAD (यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया) के एक साथ आने से जो चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसने भी चीनी राजनयिक प्रतिष्ठान में भय पैदा कर दिया है। इस प्रकार, चीन क्षेत्र के देशों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर हस्ताक्षर करके इन पश्चिमी चालों का मुकाबला करना चाहता है।

सोलोमन द्वीप-चीन संधि में क्या है?

- लीक हुआ दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से चीन को अपनी "पुलिस, सशस्त्र पुलिस, सैन्य कर्मियों और अन्य कानून प्रवर्तन और सशस्त्र बलों" को द्वीपों में भेजने में सक्षम बनाता है।
  - सोलोमन द्वीप सरकार के अनुरोध पर, या
  - यदि उसे लगता है कि द्वीपों में उसकी परियोजनाओं और कर्मियों की सुरक्षा खतरे में है।
- यह चीन के नौसैनिक जहाज़ों को रसद सहायता हेतु द्वीपों का उपयोग करने की अनुमति भी प्रदान करता है।

सोलोमन द्वीप समूह के लिए इसमें क्या है?

- सोलोमन द्वीप सरकार इस सौदे पर हस्ताक्षर करने के कारणों में से एक के रूप में अपनी सुरक्षा भागीदारी (ऑस्ट्रेलिया पर सुरक्षा निर्भरता को कम करना) में विविधता ला रही है।

इस क्षेत्र में स्थापित भू-राजनीतिक विन्यास के लिए इसका क्या अर्थ है?

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के परिदृश्य में प्रशांत द्वीप समूह विशेष रूप से पश्चिमी शक्तियों, यू.एस., यू.के., फ्रांस और क्षेत्रीय दिग्गजों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रभाव के क्षेत्र में थे।
- उन सभी के पास इस क्षेत्र में क्षेत्रीय संपत्ति है, उनमें से तीन परमाणु शक्तियों ने इस क्षेत्र को परमाणु हथियार परीक्षण मैदान के रूप में इस्तेमाल किया है।
- इस क्षेत्र के छोटे द्वीपीय राष्ट्र उन पर बहुत अधिक निर्भर हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया क्योंकि यह एक निवासी शक्ति है।
- इस क्षेत्र में स्थापित सत्ता संरचना को ताइवान के लगातार विस्थापन और आर्थिक तथा राजनीतिक दबदबे की कल्टीवेशन

(**cultivation**) के माध्यम से चीन द्वारा चुनौती दी जा रही है।

- सोलोमन द्वीप समूह के साथ चीन के समझौते ने इस क्षेत्र में इसके तेजी से बढ़ते प्रोफाइल में एक सुरक्षा आयाम जोड़ा है।

इस समझौते पर पश्चिम की क्या प्रतिक्रिया है?

- ऑस्ट्रेलिया विशेष रूप से नए सुरक्षा समझौते की बहुत आलोचना करता रहा है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने दावा किया कि समझौता प्रशांत द्वीप राष्ट्र में चीन के "तीव्र दबाव" की ओर इशारा करता है।
- ऑस्ट्रेलिया उस पारदर्शिता की कमी के बारे में चिंतित है जिसके साथ इस समझौते को बनाया गया है, हमारे क्षेत्र में स्थिरता को कमजोर करने की इसकी क्षमता को देखते हुए।
- ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और जापान ने कहा कि उन्होंने "सुरक्षा संरचना और एक स्वतंत्र तथा खुले इंडो-पैसिफिक के लिए इसके गंभीर खतरों के बारे में चिंताओं को साझा किया"।
- ऑस्ट्रेलिया ने बढ़े हुए वित्त के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और अपने वर्तमान सुरक्षा मिशन को वर्ष **2023** तक बढ़ा दिया है जब यह द्वीप प्रशांत खेलों की मेजबानी करेंगे।
- यू.एस. ने **29** साल के लंबे अंतराल के बाद द्वीपों में अपने दूतावास को फिर से खोलने पर विचार करके जवाब दिया है। अमेरिका ने असामान्य रूप से ब्लंट टर्म्स (**blunt terms**) में दक्षिण प्रशांत राष्ट्र में चीन के "दृढ़ता से एम्बेडेड" होने से पहले अपने प्रभाव को बढ़ाने की योजना तैयार की है।
- न्यूज़ीलैंड ने चीन के बारे में अपना विशिष्ट संयम खो दिया है और प्रशांत द्वीपों के सैन्यीकरण के प्रयास के लिए इसकी आलोचना की है।

चीन के अन्य कौन से कदम हैं जो विश्व मामलों में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाते हैं?

1. चीन अपनी बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) के माध्यम से दुनिया भर में विशेष रूप से एशिया और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

2. चीन और ईरान ने **25** साल के "रणनीतिक सहयोग समझौते" पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें "राजनीतिक आर्थिक और रणनीतिक घटक" शामिल हैं।

3. चीन-रूस अक्ष का विकास:

- बढ़ती नजदीकी सैन्य सहयोग में परिलक्षित हुई है। वर्ष **2014** में चीन **S-400** मिसाइल रक्षा प्रणाली का पहला विदेशी खरीदार बना। साथ ही उनके संयुक्त अभ्यासों का दायरा भी बढ़ा है।
- वाणिज्यिक संबंध भी बढ़ रहे हैं। पिछले साल दोतरफा व्यापार **35%** बढ़कर **147** बिलियन डॉलर हो गया, जो बड़े पैमाने पर चीनी ऊर्जा आयात से प्रेरित था। चीन लगातार **12** वर्षों तक रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है और रूस के कुल विदेशी व्यापार का लगभग **20%** हिस्सा है (दूसरी ओर, रूस, चीन के व्यापार का **2%** है)।

फ़िनलैंड: न्यूट्रल से NATO तक (Finland: From Neutral to NATO)

संदर्भ: फ़िनलैंड के प्रधान मंत्री ने जोर देकर कहा था कि उनके देश को नाटो में शामिल होने की संभावना नहीं है, यहाँ तक कि फरवरी में यूक्रेनी सीमा पर रूसी सैनिकों की भीड़ जमा हो गई थी।

- तीन महीने और एक आक्रमण के बाद, फ़िनलैंड गठबंधन में शामिल होने के लिए आतुर (hurtling to join the alliance) है - युद्धकालीन तटस्थता के लंबे इतिहास और सैन्य गठबंधनों से बाहर रहने वाले राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव।
- स्वीडन, एक अन्य तटस्थ नॉर्डिक देश, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से इतना चिंतित है कि वह भी अब नाटो में शामिल होने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।

उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) क्या है?

- नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है।
- इसका गठन **1949** में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस सहित **12** देशों द्वारा किया गया था।
- इसकी स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना।
- **1991** में सोवियत संघ के पतन के बाद, इसके कई पूर्व पूर्वी यूरोपीय सहयोगी नाटो में शामिल हो गए।
- नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य 'एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। ज्ञातव्य है कि यह नाटो के अनुच्छेद **5** में निहित है।
  - इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले (**11** सितंबर, **2001**)के बाद लागू किया गया था।
- नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है लेकिन अमेरिका की विशाल सैन्य और परमाणु मिसाइल शक्ति का प्रभुत्व है।
- वर्तमान में नाटो में **30** सदस्य हैं-
- इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे।
- अन्य सदस्यों में ग्रीस और तुर्की (**1952**), पश्चिम जर्मनी (**1955**, **1990** से जर्मनी के रूप में), स्पेन (**1982**), चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड (**1999**), बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया , और स्लोवेनिया (**2004**), अल्बानिया और क्रोएशिया (**2009**), मोंटेनेग्रो (**2017**) और उत्तर मैसेडोनिया (**2020**) शामिल हैं।

नाटो कैसे कार्य करता है?

- नाटो के पास एक एकीकृत सैन्य कमान संरचना है।
- जब तक सदस्य देश नाटो से संबंधित कार्यों को करने के लिए सहमत नहीं हो जाते, तब तक अधिकांश सेनाएँ पूर्ण राष्ट्रीय कमान और नियंत्रण में रहती हैं।
- सभी **30** सहयोगियों का समान मत है, गठबंधन के निर्णय एकमत और सहमति वाले होने चाहिए, और इसके सदस्यों को उन बुनियादी मूल्यों का सम्मान करना चाहिए जो गठबंधन को रेखांकित करते हैं, अर्थात् लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून का शासन।
- नाटो का संरक्षण सदस्यों के गृह युद्ध या आंतरिक तख्तापलट तक नहीं है।
- नाटो को इसके सदस्यों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। नाटो के बजट में अमेरिका का योगदान लगभग तीन-चौथाई है।

क्या सोवियत संघ द्वारा कोई काउंटर सैन्य गठबंधन था?

- **1955** में, जब शीत युद्ध गति पकड़ रहा था, सोवियत संघ ने मध्य और पूर्वी यूरोप के समाजवादी गणराज्यों को वारसा संधि (**1955**) में शामिल किया।
- यह समझौता, मुख्य रूप से एक राजनीतिक-सैन्य गठबंधन, को नाटो के लिए एक प्रत्यक्ष रणनीतिक प्रतिकार के रूप में देखा गया था।
- इसमें अल्बानिया (जो **1968** में वापस ले लिया गया था), बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया शामिल थे।
- सोवियत संघ के विघटन के बाद **1991** की शुरुआत में संधि को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया था।

नाटो के गठबंधन क्या हैं?

नाटो तीन गठबंधनों में भाग लेता है जो अपने **30** सदस्य देशों से परे अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं।

यूरो-अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल (ईएपीसी):

- यह सहयोगी देशों और साझेदार देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बातचीत और परामर्श के लिये एक **50-** राष्ट्रों का बहुपक्षीय मंच है।
- यह यूरो-अटलांटिक क्षेत्र में भागीदार देशों के साथ नाटो के सहयोग एवं शांति के लिये साझेदारी (**PfP**) कार्यक्रम के तहत नाटो और व्यक्तिगत भागीदार देशों के बीच विकसित द्विपक्षीय संबंधों के लिये समग्र राजनीतिक ढाँचा प्रदान करता है।

भूमध्यसागरीय संवाद:

- यह एक साझेदारी मंच है, जिसका उद्देश्य नाटो के भूमध्य और उत्तरी अफ्रीकी पड़ोस में सुरक्षा और स्थिरता में योगदान करना है और भाग लेने वाले देशों और नाटो सहयोगियों के बीच अच्छे संबंधों और समझ को बढ़ावा देना है।
- वर्तमान में निम्नलिखित गैर-नाटो देश वार्ता में भाग लेते हैं: अल्जीरिया, मिस्र, इज़राइल, जॉर्डन, मॉरिटानिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया।

इस्तांबुल सहयोग पहल (ICI)

- यह एक ऐसा साझेदारी मंच है जिसका उद्देश्य व्यापक मध्य पूर्व क्षेत्र में गैर-नाटो देशों को नाटो के साथ सहयोग करने का अवसर प्रदान करके दीर्घकालिक वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान करना है।
- बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात वर्तमान में इसमें भाग ले रहे हैं।

रूस नाटो को कैसे देखता है?

- रूस, विशेष रूप से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, नाटो को एक रक्षात्मक गठबंधन के रूप में नहीं देखते हैं। वह इसे रूस की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। **1991** में सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो का पूर्व की ओर विस्तार - मास्को के करीब - के रूप में उन्होंने निराशा में देखा है।

यूक्रेन में रूस के आक्रमण के मद्देनजर नाटो यूक्रेन में सेना क्यों नहीं भेज रहा है?

- चूंकि यूक्रेन सदस्य नहीं है, नाटो इसके बचाव में आने के लिए बाध्य नहीं है।
- नाटो देशों को डर है कि अगर उनकी सेना रूसी सेना का सामना करती है, तो इससे रूस और पश्चिम के बीच एक चौतरफा संघर्ष हो सकता है।

फिनलैंड नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है?

- दशकों से, फ़िनलैंड और स्वीडन ने सावधानीपूर्वक अपनी तटस्थता का पालन (**nurtured**) किया है। सांस्कृतिक रूप से, वे दृढ़ता से पश्चिमी खेमे में हैं, लेकिन अपने विशाल परमाणु-सशस्त्र पड़ोसी रूस का विरोध करने से सावधान थे।
- पूरी तरह से सैन्य दृष्टिकोण से, फ़िनलैंड और/या स्वीडन की पर्याप्त सेनाओं को जोड़ने से यूरोप के उत्तर में नाटो की रक्षात्मक शक्ति को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा, जहां यह रूस की सेनाओं द्वारा भारी संख्या में है।
- नाटो का सदस्य होने से राष्ट्रों को सामूहिक रक्षा पर गठबंधन के "अनुच्छेद **5**" के तहत सुरक्षा गारंटी मिलेगी।
- भौगोलिक दृष्टि से, फिनलैंड के जुड़ने से नाटो की रक्षा में एक बड़ा अंतर भर जाता है, जिससे रूस के साथ इसकी सीमा की मात्रा दोगुनी हो जाती है।
- बाल्टिक सागर में सुरक्षा और स्थिरता में अब नाटकीय रूप से सुधार हुआ है।

फ़िनलैंड/स्वीडन के नाटो में शामिल होने के संबंध में क्या चिंताएँ उठाई गईं?

- सीधे शब्दों में कहें, तो यहां खतरा यह है कि रूस के डोर पर नाटो का इतना बड़ा विस्तार, रूस को इतना क्रोधित कर देगा कि

वह जवाबी कार्रवाई करे। इस विस्तार के जवाब में पुतिन पहले ही "सैन्य तकनीकी उपाय" करने की धमकी दे चुके हैं।

- इसे व्यापक रूप से दो चीजों के रूप में लिया जाता है - एक पश्चिम के करीब सैनिकों और मिसाइलों को ले जाकर अपनी सीमाओं को मजबूत करना, और संभवतः स्कैंडिनेविया पर साइबर हमलों का एक कदम।
- यह मास्को को पोलैंड और लिथुआनिया के बीच रूसी एक्सक्लेव कैलिनिनग्राद में परमाणु हथियार तैनात करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
- तटस्थता ने पिछले कुछ वर्षों में फिनलैंड और स्वीडन की बहुत अच्छी सेवा की है। यह छोड़ते हुए कि तटस्थता को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। स्वीडन के घरेलू हथियार उद्योग के लिए एक आर्थिक लागत भी होगी यदि देश अपने बजाय नाटो हथियार खरीदने के लिए बाध्य है।

अर्थशास्त्र

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं – 5 (Highlights of National Family Health Survey – 5)

चर्चा में क्यों : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा **NFHS-5** की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की जाती है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

कुल प्रजनन दर:

- कुल प्रजनन दर (टीएफआर) जिसे प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या के रूप में मापा जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर एनएफएचएस-4 और 5 के बीच 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है।
- भारत में सिर्फ पांच राज्य ऐसे हैं जहां प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं। ये राज्य हैं-बिहार (2.98), मेघालय (2.91), उत्तर प्रदेश (2.35), झारखंड (2.26) और मणिपुर (2.17)।

संस्थागत जन्म

- एनएचएफएस-5 के मुताबिक देश में संस्थागत जन्म 79 प्रतिशत से बढ़कर 89 प्रतिशत हो गया है। यहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग 87 प्रतिशत जन्म स्वास्थ्य सुविधाओं में हुए हैं, शहरों में यह आंकड़ा 94 प्रतिशत है।

कम उम्र में शादियाँ (Under Age Marriage)

- जबकि कम उम्र में विवाह के राष्ट्रीय औसत में कमी आई है, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में दर में वृद्धि हुई है।
- NFHS-5 के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 23.3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले हो गई, जो NFHS-4 में रिपोर्ट किये गए 26.8% से कम है।
- त्रिपुरा में महिलाओं के विवाह में 33.1% (NFHS-4) से 40.1% और पुरुषों में 16.2% से 20.4% तक की सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है।

किशोर गर्भधारण की दर 7.9% **से घटकर** 6.8% **हो गई है।**

- NFHS-5 के अनुसार, 53.4% महिलाएंँ जो कार्यरत नहीं है, की तुलना में कार्यरत 66.3% महिलाओं द्वारा आधुनिक गर्भनिरोधक पद्धति (Contraceptive Method) का उपयोग किया जाता है।

टीकाकरण स्तर

- NFHS-4 के 62% की तुलना में 12-23 महीने की उम्र के तीन-चौथाई (77%) से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया था।

स्टंटिंग

- पिछले चार वर्षों से देश में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग का स्तर 38 फीसदी से घटकर 36 फीसदी हो गया है। 2019-21 में शहरी क्षेत्रों (30%) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (37%) के बच्चों में स्टंटिंग अधिक देखी गई है।

महिला सशक्तिकरण

- **निर्णय लेना:** यह दर्शाता है कि विवाहित महिलाएँ आमतौर पर तीन घरेलू निर्णयों में किस सीमा तक भाग लेती हैं और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी अधिक है। निर्णय लेने में भागीदारी लद्दाख में **80%** से लेकर नगालैंड और मिज़ोरम में **99%** तक बढ़ जाती है। ग्रामीण (**77%**) और शहरी (**81%**) क्षेत्र में सीमांत अंतर पाया गया है।
- **वित्तीय समावेशन:** पिछले चार वर्षों में बैंक या बचत खाता रखने वाली महिलाओं का प्रचलन **53%** से बढ़कर **79%** हो गया है।
- घरेलू हिंसा वर्ष **2015-16** में **31.2%** से मामूली रूप से घटकर वर्ष **2019-21** में **29.3%** हो गया है।

मोटापा

- अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक वज़न या मोटापे की व्यापकता बढ़ी है।
- राष्ट्रीय स्तर पर, यह महिलाओं में 21% से बढ़कर 24% और पुरुषों में 19% से बढ़कर 23% हो गया।
- केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, मणिपुर, दिल्ली, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पंजाब, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप (34-46%) में एक तिहाई से अधिक महिलाएं अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं।

बाल पोषण (Child Nutrition)

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे- 5 से पता चला है कि देश में 6-23 महीने की प्रारंभिक उम्र के 89 प्रतिशत बच्चों को "न्यूनतम स्वीकार्य आहार" नहीं मिलता है।
- यह एनएफएचएस-4 में दर्ज 90.4 प्रतिशत से थोड़ा ही बेहतर है।
- न्यूनतम स्वीकार्य आहार प्राप्त करने वाले 6-23 महीने की आयु के बच्चों का अनुपात मेघालय में सबसे अधिक (28.5 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में सबसे कम (5.9 प्रतिशत प्रत्येक) था।
- गुजरात और यूपी के अलावा, 5 अन्य राज्यों असम (7.2 फीसदी), राजस्थान (8.3 फीसदी), महाराष्ट्र (8.9 फीसदी), आंध्र प्रदेश (9 फीसदी), एमपी (9 फीसदी) ने राष्ट्रीय स्तर से कम दर्ज किया है-पर्याप्त आहार प्राप्त करने वाले बच्चों का अनुपात (11 प्रतिशत)।
- शीर्ष पांच राज्यों में जहां 6-23 महीने के बच्चों का पर्याप्त आहार प्राप्त करने का प्रतिशत सबसे अधिक था, मेघालय के बाद सिक्किम (23.8 प्रतिशत), केरल (23.3 प्रतिशत), लद्दाख (23.1 प्रतिशत) और पुडुचेरी (22.9 प्रतिशत)।
- न्यूनतम स्वीकार्य आहार दो मुख्य चीजों का सम्मिश्रण है: स्तनपान और दो साल तक इसकी फ्रेक्वेंसी, और आहार विविधता।

भारत का आयु पिरामिड (Age Pyramid of India)

- भारत की जनसंख्या युवा बनी हुई है, जिसकी आयु 15 वर्ष से कम के एक चौथाई से अधिक और 60 से अधिक आठवें से कम है।
- अंडर-15 की आबादी में 2 प्रतिशत अंक की गिरावट आई है, जो 29% से घटकर 27% हो गई है, जबकि 60 से अधिक की आबादी में 10% से 12% की वृद्धि हुई है।
- एनएफएचएस-4 में 55.5% की तुलना में आधी से अधिक आबादी (52%) 30 से कम है।
- आयु पिरामिड दर्शाता है कि भारत की जनसंख्या युवा है, जो कम जीवन प्रत्याशा वाले विकासशील देशों के लिए विशिष्ट है।

परिवारों (Households)

- पिरामिड यह भी दर्शाता है कि 2015-16 और 2019-21 (4.6 व्यक्तियों से 4.4) के बीच औसत घरेलू आकार में थोड़ी कमी आई है।
- केवल एक-छठे परिवारों (18%) में महिला मुखिया हैं, जो एनएफएचएस-4 में 15% से अधिक है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस):

- NFHS पूरे भारत में घरों के प्रतिनिधि नमूने में आयोजित एक बड़े पैमाने पर, बहु-स्तरीय सर्वेक्षण है।

द्वारा आयोजित:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने सर्वेक्षण के लिए समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) मुंबई को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।
- IIPS सर्वेक्षण कार्यान्वयन के लिए कई फील्ड संगठनों (एफओ) के साथ सहयोग करता है।

गरीबी (Poverty)

चर्चा में क्यों : हाल ही में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में अत्यधिक गरीबी दर **2011** में **22.5%** से गिरकर **2019** में **10.2%** हो गई है।

- शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक थी क्योंकि ग्रामीण गरीबी वर्ष 2011 में 26.3% से घटकर वर्ष 2019 में 11.6% हो गई है।

कमी के कारण

कल्याणकारी कार्यक्रमों में सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) **2011** के आधार पर वंचित परिवारों की पहचान, सामाजिक और साथ ही क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के प्रयासों में एक गेम-चेंजर थी।

महिलाओं की भागीदारी:

- दीनदयाल अंत्योदय योजना और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के तहत महिलाओं का कवरेज वर्ष **2014** में **2.5** करोड़ से बढ़कर वर्ष **2019** में **8** करोड़ हो गया।
- इसने समुदायों से जुड़ने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान किया और विकास हर कार्यक्रम में मदद मिली।

वित्तीय विकेंद्रीकरण

- वित्त आयोग के हस्तांतरण सीधे ग्राम पंचायतों को किए गए, जिससे बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ।

क्रेडिट एक्सेस

- स्वयं सहायता समूहों की सामाजिक पूंजी ने बैंकों, सूक्ष्म-वित्त संस्थानों और मुद्रा ऋणों के माध्यम से ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की।

मौलिक आवश्यकताएं

- व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों, एलपीजी कनेक्शनों और पक्के घरों के लिए सार्वभौमिक कवरेज पर जोर (**Thrust**) जीवन स्तर में सुधार।

सहकारी संघवाद

- बुनियादी जरूरतों में सुधार के लिए राज्यों के बीच होड़ (**competition**) ने विकास में मदद की।
- उदाहरण: नीति आयोग एसडीजी सूचकांक

निगरानी (Monitoring)

- सामाजिक और समवर्ती लेखा परीक्षा जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग किया जाए।

भारत में अभी भी गरीबी कायम है-

महामारी और महामारी प्रेरित लॉकडाउन - आजीविका का नुकसान; जनसंख्या विस्फोट; कम कृषि उत्पादकता; अक्षम संसाधन उपयोग; मुद्रा स्फ़ीति; सामाजिक कारक - जाति व्यवस्था, सांप्रदायिक हिंसा आदि और जलवायु कारक - चरम मौसम की घटनाएं - चक्रवात, भूस्खलन आदि जैसी आपदाएं।

आगे की राह

- समय की आवश्यकता में देश में गरीबी की वर्तमान स्थिति का यथार्थवादी आकलन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों में सुधार।
- ग्रामीण गरीबी कम करने के लिए सरकार द्वारा कृषि में निवेश जरूरी।
- क्रेडिट, वित्तीय समावेशन और डीबीटी तक पहुंच।
- भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आईसीटी को अपनाना।
- विकास योजनाओं में नागरिकों की भागीदारी, बॉटम-अप दृष्टिकोण को अपनाना आदि।

बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और मौजूदा योजनाओं का उचित क्रियान्वयन समय की मांग है।

बिजली की कमी का संकट (Power shortage crisis)

चर्चा में क्यों : चल रहे बिजली की कमी के संकट की प्रतिक्रिया में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोयला खनन के लिए पर्यावरणीय मानदंडों में ढील दी है।

- भारत के बिजली उत्पादन में लगभग **75** प्रतिशत कोयले की हिस्सेदारी है और बिजली संयंत्रों की सालाना खपत एक अरब टन से अधिक का तीन-चौथाई से अधिक है।

वर्तमान स्थिति

भारत की बिजली की मांग वर्ष **2021** में इसी महीने की तुलना में अप्रैल **2022** में **15%** बढ़ गई।

- मांग में उछाल-ऑफिस स्पेस के साथ, कारखाने पूरी तरीके से फिर से शुरू हो रहे हैं क्योंकि कोविड के मामले कम हैं जिससे बिजली की मांग बढ़ गई है।
- पूरे उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहरों के कारण गर्मी की शुरुआत अधिक हो गई है।
- यूक्रेन में रूस के युद्ध ने यूरोप से अतिरिक्त मांग के बीच व्यापार प्रवाह और आपूर्ति को बाधित कर दिया।
- आयातित कोयले की रिकॉर्ड ऊंची कीमतें: आयातित कोयले की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के कारण आयातित कम राख वाले कोयले पर काम करने के लिए बनाये गए संयंत्रों को नुकसान हो रहा है।
- ऐसे संयंत्रों के कुल **17GW** का बेहद कम उपयोग उच्च मांग को पूरा करने में एक और बाधा है।
- कोयले के परिवहन के लिए ट्रेनों की कमी ईंधन आपूर्ति संकट को बढ़ा रही है।
- कोयला, रेलवे और बिजली मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी।
- बिजली क्षेत्र में भुगतान में देरी और बढ़ते कर्ज।

आपूर्ति-मांग बेमेल (supply-demand mismatch) ने पूरे भारत में अवरोध पैदा कर दिया है। मौजूदा संकट का संबंध कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले के भंडार की कमी और कोयले के खनन की मात्रा की तुलना में कोयला परिवहन रसद से अधिक है।

भारत का कोयला उत्पादन

- भारत का घरेलू कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 2012 में 8.5% बढ़कर 777 मिलियन टन (mt) हो गया, जो वित्त वर्ष 2011 में

716 मिलियन टन था।

- अप्रैल 2022 में कोयले का उत्पादन पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 29% अधिक था।
- लेकिन कोयला प्रेषण (डिस्पैच) की मात्रा में केवल 9% की वृद्धि हुई। फिर भी, संयंत्र आवश्यक कोयले के भंडार को बनाए रखने में विफल रहे हैं।

क्या यह सही चाल है? (Is it the correct move?)

- कोयला-खदान के विस्तार को उचित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन से छूट देना बिजली आपूर्ति सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक समाधान नहीं है।
- कोयला खदानों के पास रहने वाले स्वदेशी समुदायों के साथ-साथ खानों के आसपास के वनस्पतियों और जीवों पर गंभीर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है।

आगे की राह

वर्तमान संकट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को चालू करने में तेजी लाने का अवसर प्रस्तुत करता है।

- डिस्ट्रीब्यूटेड और रूफटॉप सोलर पीवी, जिसे ट्रांसमिशन नेटवर्क पर दबाव डाले बिना तेजी से बनाया जा सकता है, को बढ़ाने की नीतियां बेहतर परिणाम प्रदान करेंगी।
- लघु और मध्यम उद्योगों (एसएमई), शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों, अस्पतालों और आवासीय समुदायों को ग्रिड पर अपनी निर्भरता कम करने तथा अपनी बिजली का उत्पादन करने तथा कुछ को वापस ग्रिड को बेचने से लाभ होगा।
- भारत की आर्थिक गतिविधियों को बार-बार बिजली की कटौती से बचाने के लिए सरकार के लिए वितरित सौर को और बढ़ावा देने हेतु एक मजबूत मामला है।

स्रोत: Financial Express

पर्यावरण

भारत में वायु प्रदूषण (Air Pollution in India)

चर्चा में क्यों : हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, **2019** में भारत में **16.7** लाख मौतों के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार था, जो उस वर्ष देश में हुई सभी मौतों का **17.8%** है। यह किसी भी देश की वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे बड़ी संख्या है।

- विश्व स्तर पर, वायु प्रदूषण अकेले 66.7 लाख मौतों में योगदान देता है।
- कुल मिलाकर, 2019 में अनुमानित 90 लाख मौतों के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार था यह दुनिया भर में होने वाली हर छठी मौत के बराबर है। वास्तव में इस संख्या में वर्ष 2015 में किये गये पिछले विश्लेषण से अब तक कोई बदलाव नहीं आया है।
- 45 लाख मौतों के लिए वातावरणीय वायु प्रदूषण और 17 लाख के लिए खतरनाक रासायनिक प्रदूषक जिम्मेदार थे, जिसमें 9 लाख मौतें लेड प्रदूषण (lead pollution) के कारण हुईं।

भारत में प्रदूषण

भारत में वायु प्रदूषण से संबंधित अधिकांश मौतों में से

- लगभग 9.8 लाख मौतें PM2.5 प्रदूषण के कारण हुईं
- 6.1 लाख मौतें परिवेशी वायु प्रदूषण के कारण हुईं।
- घरों में बायोमास का जलना भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का अकेला सबसे बड़ा कारण था, इसके बाद क्रमशः कोयले का दहन व पराली जलाना है।

प्रमुख मुद्दे :

अपने वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को चलाने के लिए एक मजबूत केंद्रीकृत

प्रशासनिक प्रणाली का अभाव:

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्यक्रम सहित घरेलू वायु प्रदूषण से निपटने हेतु भारत के महत्त्वपूर्ण प्रयासों के बावजूद मौतों की संख्या अधिक बनी हुई है।
- भारत ने एक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम विकसित किया है, और वर्ष **2019** में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग का शुभारंभ किया।

आगे की राह

- प्रदूषण प्रबंधन प्रयासों के दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव की आवश्यकता: कम उत्सर्जन वाले हरित सुधार मॉडल की ओर।
- **शासन (Governance) :** राजनीतिक इच्छाशक्ति और निगरानी स्तर पर नियोजन में भ्रष्टाचार को कम करने की क्षमता के साथ-साथ, भारतीय शहरों के वायु प्रदूषण नियंत्रण से निपटने के लिए केंद्रीय स्तर पर नहीं बल्कि शहरी प्रशासन स्तर पर काम करना होगा।
- **स्वास्थ्य और जोखिम निगरानी के लिए एकीकृत निगरानी प्लेटफार्मों की आवश्यकता होना :** जैविक और पर्यावरण निगरानी के माध्यम से जनसंख्या जोखिम निगरानी मातृ और बाल स्वास्थ्य के साथ-साथ गैर-संचारी रोगों के बोझ को कम करने के लिए पहले से मौजूद स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंदर जोखिम की जानकारी दे देना ।
- **क्षमता निर्माण:** साल भर लंबे समय तक उच्च प्रदूषण के स्तर के दीर्घकालिक प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के लिए सार्वजनिक और मीडिया चर्चाओं की आवश्यकता है। परिवेशी कणों और घरेलू वायु प्रदूषण के धीमे लेकिन पर्याप्त प्रभाव के बारे में नीति निर्माताओं और आम जनता के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।
- **एक व्यवहार्य सार्वजनिक परिवहन प्रणाली रणनीति:** हालांकि मेट्रो ने दिल्ली के यात्रियों को भारी राहत प्रदान की है, लेकिन यह सभी आर्थिक वर्गों के लिए व्यवहार्य नहीं है। इसलिए, दिल्ली को एक सक्रिय बस सेवा की आवश्यकता है जो बिजली से चलती है। उच्च प्रारंभिक लागत के बावजूद, ऐसे वाहन कम रखरखाव लागत, लम्बे समय तक सेवा में और प्रति किलोमीटर कम परिचालन लागत जैसे अन्य लाभ प्रदान करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे प्रदूषण के स्तर को कम करते हैं।
- कार्यक्षमता से समझौता किए बिना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्वच्छ हवा की दिशा में एक निश्चित तरीका है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव लंबे समय से अपेक्षित है।

लेख में संदर्भित रिपोर्ट: द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में प्रकाशित प्रदूषण और स्वास्थ्य पर रिपोर्ट।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित करना (Focusing on Public Health Engineering)

संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वैश्विक स्तर पर, लगभग **80%** अपशिष्ट जल बिना उपचारित या पुन: उपयोग किए पारिस्थितिकी तंत्र में वापस चला जाता है।

यह पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

- लागत-प्रभावी, टिकाऊ, विघटनकारी जल प्रबंधन समाधानों के अभाव में, लगभग 70% सीवेज भारत के जल निकायों में अनुपचारित छोड़ दिया जाता है।
- विश्व बैंक के अनुसार, भारत में 21% बीमारियाँ दूषित पानी के कारण होती हैं।
- स्टार्टअप इंडिया के अनुसार, पांच में से एक बच्चा अपने पांचवें जन्मदिन से पहले खराब स्वच्छता और स्वच्छता की स्थिति के कारण मर जाता है।

जैसे-जैसे हम पर्यावरणीय चिंताओं से उत्पन्न इन सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य/पर्यावरण इंजीनियरिंग विज्ञान के दायरे का विस्तार करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

कैडर का विस्तार

उद्देश्य: भारत के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता के अपने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और पानी की खपत तथा सतही जल निकायों और भूजल संसाधनों दोनों के संरक्षण की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए, अपशिष्ट जल के उपचार के नवीन तरीकों को खोजना और लागू करना आवश्यक है।

उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए: सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरों का विशेष संवर्ग, जिसे स्वच्छता इंजीनियरों या पर्यावरण इंजीनियरों के रूप में भी जाना जाता है, बढ़ती शहरी और ग्रामीण जल आपूर्ति प्रदान करने और ठोस अपशिष्ट एवं अपशिष्ट जल का प्रबंधन करने के

लिए सबसे उपयुक्त है।

- इंजीनियरिंग और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों को एक साथ मिलाएं: साथ में, ये क्षेत्र निम्नलिखित के लिए व्यापक अवसर प्रदान कर सकते हैं:
  - उन्नत अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों का विकास
  - जटिल गुणवत्ता और निगरानी प्रक्रियाओं को समझना
  - सेप्टिक टैंक सिस्टम का डिजाइन और प्रबंधन
  - पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति
  - स्वच्छता बनाए रखना और पानी तक पहुंच
  - यह सुनिश्चित करना कि जल आपूर्ति टिकाऊ है, जिसमें प्रासंगिक उद्योग मानकों और प्रथाओं के कोड का अध्ययन शामिल है।
- **सिविल इंजीनियरों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के कौशल विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम:** अक्सर, सिविल इंजीनियरों के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त कौशल नहीं होता है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के पास पर्याप्त इंजीनियरिंग कौशल नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरों के कैडर का विस्तार और मजबूत होने पर ही प्रत्येक ग्रामीण घर में कार्यात्मक नल के पानी तक पहुँचने का लक्ष्य स्थायी और लचीले तरीके से प्राप्त किया जा सकता है।

निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय रुझान - आगे की राह

भारत में, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग लोक निर्माण विभाग या स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निष्पादित की जाती है। यह अंतरराष्ट्रीय रुझानों से अलग है। उदाहरण के लिए, यूरोप में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का प्रबंधन करने के लिए, एक उम्मीदवार को अपशिष्ट जल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञ होना चाहिए।

सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग को दो साल के संरचित मास्टर डिग्री प्रोग्राम के रूप में या इस क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के लिए डिप्लोमा कार्यक्रमों के माध्यम से शुरू करने की आवश्यकता पर इस क्षेत्र में मानव संसाधन में वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करने पर विचार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश बीमारियाँ पानी से संबंधित हैं, दूषित पानी के सेवन से फैलती हैं, रुके हुए पानी में वैक्टर का प्रजनन, या उचित व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले पानी की कमी है।
- जब तक हम अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं कराते, तब तक बीमारियों पर काबू नहीं पाया जा सकता है। इस पर विचार करके विश्व की अधिकांश बीमारियों को रोका जा सकता है।
- स्थायी जल प्रबंधन प्रणाली बनाने की दिशा में हमारे यंग माइंड (young minds) को प्रशिक्षित करना पहला कदम होगा।

स्रोत: द हिंदू

पराली जलाना (Stubble Burning)

संदर्भ: बड़ी संख्या में किसानों ने अपने खेतों में आग लगाना जारी रखा, एक दिन में लगभग **1000** गेहूं के भूसे के खेत को जलाने के मामले दर्ज किए गए, जिससे अप्रैल **2022** के महीने में कुल आंकड़ा **3000** से अधिक हो गया।

पराली क्या है?

- पराली को धान का बचा हुआ भाग कहा जाता है, जिसकी जड़ें जमींन में होती हैं।
- धान की फसल की कटाई के बाद किसानों ने उसके कीमती ऊपरी हिस्से को काट दिया और शेष को खेत में छोड़ दिया जाता है, जो किसान के किसी काम का नहीं होता है।

पराली जलाना क्या है?

- पराली जलाना फसल के अवशेषों (पराली) को खेत से हटाने के लिए जानबूझकर आग लगाने का कार्य है ताकि अगली फसल

के लिए खेत तैयार किया जा सके।

- पराली को खेत में छोड़ने से दीमक और अन्य कीट आते है जो बाद की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- आमतौर पर उन क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता होती है जो संयुक्त कटाई पद्धति का उपयोग करते हैं जो फसल अवशेषों को पीछे छोड़ देते है।

वर्ष के किस समय हम पराली जलाते हुए देखते हैं?

- पराली जलाने की प्रथा दुनिया भर के किसानों द्वारा की जाती रही है, लेकिन भारत में यह मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और यूपी के भारत-गंगा नदियों के मैदानों में प्रचलित है।
- पंजाब और हरियाणा में धान की फसल अक्टूबर के पहले और आखिरी सप्ताह के बीच काटी जाती है। फिर, किसान नवंबर के पहले सप्ताह से दिसंबर के मध्य तक गेहूं की फसल बोते हैं।
- इसलिए, हम खरीफ फसलों (धान) की कटाई के बाद अक्टूबर के दौरान पराली जलाते हुए देखते हैं ताकि आगामी रबी फसल (गेहूं) के लिए खेतों को तैयार किया जा सके।
- इसी तरह, अप्रैल के पहले सप्ताह में रबी फसल (गेहूं) की फसल की कटाई के बाद, आमतौर पर अप्रैल-मई के महीनों में पराली जलाई जाती है ताकि आगामी खरीफ फसल (धान) के लिए खेतों को तैयार किया जा सके।

पराली जलाने वाले किसानों के क्या कारण हैं?

- **कृषि का मशीनीकरण:** यंत्रीकृत कटाई से चावल के दानों को ही निकाला जाता है, जिससे बहुत बड़ा अवशेष रह जाता है। भारी श्रम शुल्क और बढ़े हुए समय के कारण किसानों के लिए मैन्युअल कटाई एक विकल्प नहीं है।
- **जागरूकता की कमी:** किसानों को यह एहसास नहीं हो रहा है कि वे मिट्टी के अनुकूल कीड़े, कार्बनिक पदार्थ जला रहे हैं और नाइट्रोजन, डीएपी, पोटेशियम की काफी हानि कर रहे हैं।
- **विकल्प महंगे होना :** पंजाब सरकार द्वारा चावल की पराली को काटने और एक साथ गेहूं के बीज बोने के लिए ट्रैक्टर-माउंटेड 'हैप्पी सीडर' उपलब्ध कराने के बावजूद, कई किसानों को इन मशीनों की कीमतें या उनका किराया निषेधात्मक लगता है। इसलिए वे लगातार पराली जला रहे हैं।
- **पराली का कम उपयोग:** पहले किसानों द्वारा पराली का उपयोग पशुओं या घरों को गर्म रखने और यहां तक कि खाना पकाने के लिए घास के रूप में किया जाता था। हालाँकि, पराली के ये उपयोग अब पुराने हो चुके हैं। साथ ही, उच्च सिलिका (high silica) सामग्री के कारण चावल के भूसे को पशुओं के चारे के रूप में उपयुक्त नहीं माना जाता है।
- **सरकारी नीतियां:** सरकार की कुछ नीतियां, उदाहरण के लिए, वर्ष 2009 के पंजाब सबसॉइल वॉटर एक्ट का संरक्षण, पराली जलाने को बढ़ावा देने का अनजाने में प्रभाव था।

पराली जलाने के क्या प्रभाव होते हैं?

- **वायु प्रदुषण**
  - खेत के अवशेषों को जलाने की प्रक्रिया उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है, जिससे वायु की गुणवत्ता बिगड़ रही है।
  - उत्तर भारत में हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने को दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण माना जाता है।
  - यह बहुत अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान देता है।
  - पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली में सर्दी की धुंध बढ़ जाती है, जहां पराली जलाने के कारण सतह के करीब 40% PM को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

- यह देश के इन भागों में देखे जाने वाले शीतकालीन स्मॉग में भी योगदान देता है।

- **मिट्टी की उर्वरता**
  - धान के भूसे को जलाने से निकलने वाली गर्मी 1 सेंटीमीटर मिट्टी में प्रवेश करती है, जिससे तापमान 33.8 से 42.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यह उपजाऊ मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण जीवाणु और कवक आबादी को मारता है।
  - मिट्टी की ऊपरी परतों की घुलनशीलता क्षमता भी कम हो जाती है।
  - फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी की ऊपरी परत में मौजूद अन्य सूक्ष्म जीवों के साथ-साथ इसकी जैविक गुणवत्ता को भी नुकसान पहुंचता है।

पराली जलाने पर कानून क्या कहता है ?

- फसल अवशेष जलाना आईपीसी की धारा 188 और वायु तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत एक अपराध है।
- 10 दिसंबर, 2015 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन देने का निर्देश दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार से टास्क फोर्स बनाने को कहा था।

इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

- **100%** केंद्र-वित्त पोषित योजना के तहत, व्यक्तिगत किसानों को **50%** सब्सिडी पर और सीएचसी (कस्टम हायरिंग सेंटर) को **80%** सब्सिडी पर इन-सीटू अवशेष प्रबंधन मशीनें दी जाती हैं।
- भूसे के ऑन-साइट प्रबंधन के लिए किसानों को 23,000 से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें दी जा रही हैं।
- वर्ष 2020 में, पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए धान उगाने वाले गांवों में 8000 नोडल अधिकारी नियुक्त किए।
- पहले से ही, पराली जलाने के लिए कानून तोड़ने वाले और फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया जाता है।
- एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पराली जलाने की प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक रूपरेखा तथा कार्य योजना विकसित की है।
  - इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन (In-situ Crop Residue Management): फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना, बायो-डीकंपोजर (bio-decomposer) का व्यापक उपयोग (फसल अवशेषों को 15-20 दिनों में खाद में बदल देता है)
  - एक्स-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन (Ex-situ Crop Residue Management)- यह धान की पराली का वैकल्पिक उपयोग। बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स, थर्मल पावर प्लांट्स में को-फायरिंग, 2जी एथेनॉल प्लांट्स के लिए फीड स्टॉक, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में फीड स्टॉक, औद्योगिक बॉयलरों में ईंधन, डब्ल्यूटीई प्लांट, पैकेजिंग सामग्री आदि।
  - कार्य योजना के लिए IEC (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियाँ
  - अग्नि गणनाओं की रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए मानक प्रोटोकॉल।

आगे की राह

- **दोहरी रणनीति:** CAQM संरचना में उल्लिखित इन-सीटू (क्षेत्र में) और एक्स-सीटू (अन्यत्र) दोनों समाधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।
- **लघु अवधि समाधान:** किसानों को उन मशीनों तक आसान और सस्ती पहुंच प्रदान करना जो उन्हें स्मार्ट स्ट्रॉ प्रबंधन करने

की अनुमति देती हैं।

- **फसल पराली का उपयोग:** पराली को जलाने के बजाय, इसे विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे पशु चारा, खाद के रूप में , ग्रामीण क्षेत्रों में छत, बायोमास ऊर्जा, मशरूम की खेती, पैकिंग सामग्री, ईंधन, कागज, जैव-इथेनॉल और औद्योगिक उत्पादन आदि।
- **सरकारी प्रोत्साहन:** सरकार को उन उद्योगों को भी सब्सिडी या प्रोत्साहन देना चाहिए जो पराली को आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों में परिवर्तित करने में लगे हुए हैं। सरकार फसल अवशेष जलाने का अभ्यास करने वाले किसानों को योजना के लाभों को अस्वीकार करने के लिए एमएसपी योजना की पुनर्व्याख्या करने पर भी विचार कर सकती है।
- **कृषि-मशीनों में सुधार**: हार्वेस्टिंग मशीनों में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक में सुधार किया जाना चाहिए ताकि कम से कम अवशेष छूटे।
- **कम अवधि की धान की किस्में:** पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना के वैज्ञानिकों ने एक काम किया है, वह है कम अवधि वाली धान की किस्में।
- धान से दूर फसल विविधीकरण का दीर्घकालिक समाधान होना चाहिए। किसानों को वैकल्पिक फसलें बोने के लिए प्रोत्साहित करना और लंबे समय में उन्हें धान से मक्का, फल, सब्जियां और कपास में स्थानांतरित करना।
- **फार्मर एजुकेशन (Farmer Education):** किसानों को पराली जलाने की प्रथा को सीखने में कठिनाई होती है और उन्हें इसके दुष्परिणामों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए और आकर्षक विकल्प भी पेश किए जाने चाहिए।

इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी फायर (Electric Vehicles and Battery Fires)

संदर्भ: हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों (**Electric Vehicles – EVs**) में 'बैटरी विस्फोटों' की हालिया घटनाओं की जांच करने हेतु एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया है।

- ओकिनावा (Okinawa) और प्योर ईवी (Pure EV) जैसे निर्माताओं ने वाहनों में आग लगने की घटनाओं के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटरों के कुछ बैचों को वापस बुला लिया है।

इलेक्ट्रिक वाहन क्या हैं? विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन क्या हैं?

- ईवी ऐसे वाहन हैं जो या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से विद्युत शक्ति (electric power) से संचालित होते हैं।
- जबकि कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों में लेड एसिड या निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी का उपयोग किया जाता है, आधुनिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मानक अब लिथियम आयन बैटरी माना जाता है।

चार प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध हैं:

- **बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी):** पूरी तरह बिजली से संचालित। ये हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड की तुलना में अधिक कुशल हैं।
- **हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन:**
  - **हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (HEV):** HEV में इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं। इंजन को ईंधन से ऊर्जा मिलती है, और मोटर को बैटरी से बिजली मिलती है। ट्रांसमिशन को इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों द्वारा एक साथ घुमाया जाता है। तब यह पहियों को घुमाता है।
  - **प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (PHEV):** यह आंतरिक दहन इंजन और बाहरी सॉकेट से चार्ज की गई बैटरी दोनों का उपयोग करता है (उनके पास एक प्लग है)। इसका मतलब है कि वाहन की बैटरी को इंजन के बजाय बिजली से चार्ज किया जा सकता है। PHEV, HEV की तुलना में अधिक कुशल होते हैं लेकिन BEV की तुलना में कम कुशल होते हैं।

- **ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEV):** FCEV को शून्य-उत्सर्जन वाहन के रूप में भी जाना जाता है। वे वाहन चलाने के लिए आवश्यक बिजली उत्पन्न करने के लिए 'ईंधन सेल प्रौद्योगिकी' का उपयोग करते हैं। ईंधन की रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है।

दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों में ट्रांजीशन (transition) के लिए क्यों तैयार है?

- **जलवायु संबंधी चिंताएं:** जलवायु परिवर्तन पर बढ़ती चिंता ने परिवहन क्षेत्र को विद्युतीकृत करने के वैश्विक प्रयासों को प्रेरित किया है।
- **लागत कम करना:** समानांतर में, Li-ion (Lithium-ion) बैटरी प्रौद्योगिकी की लागत पिछले दशक में परिमाण के एक चौंका देने वाले क्रम से घट गई है।
- **गवर्नमेंट पुश (Government Push):** सरकारें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती हैं ताकि वैश्विक बाजार में अग्रणी के रूप में उभर सकें।
- **निजी निवेश:** बाजार की ताकतें भी गतिशील क्षेत्र को पेट्रोल/डीजल आधारित इलेक्ट्रिक आधारित में स्थानांतरित करने के लिए आक्रामक रूप से जोर दे रही हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों के क्या फायदे हैं?

- **ऊर्जा दक्षता:** ईवी 60% से अधिक विद्युत ऊर्जा को ग्रिड से पहियों पर बिजली में परिवर्तित करते हैं (पेट्रोल और डीजल कारें केवल 17% -21% ईंधन में संग्रहीत ऊर्जा को पहियों में परिवर्तित करती हैं)।
- **कम रखरखाव वाली लागत:** ईवी की रखरखाव वाली लागत बहुत कम होती है क्योंकि उनके पास आंतरिक दहन वाहन के रूप में कई चलने वाले पुर्जे नहीं होते हैं।
- **पर्यावरण के अनुकूल:** इलेक्ट्रिक वाहन चलाने से आपको अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिल सकती है। यहां तक कि जब बिजली उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है, तब भी पेट्रोल या डीजल वाहन औसत ईवी की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं।
- **कर और वित्तीय लाभ:** इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स पेट्रोल या डीजल वाहनों से कम है।
- **चलाने में आसान और शांत:** इलेक्ट्रिक वाहनों में गियर नहीं होते हैं और ये चलाने में बहुत सुविधाजनक होते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन भी शांत होते हैं, क्योंकि हुड के नीचे कोई इंजन नहीं होता है। नो इंजन यानी नो साउंड पॉल्यूशन (No engine meaning no noise pollution)।

  कम ऊर्जा निर्भरता: बिजली एक घरेलू ऊर्जा स्रोत है और तेल आयात पर देश की निर्भरता काफी कम हो जाएगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ क्या चुनौतियाँ हैं?

- जैसे-जैसे ईवी गति पकड़ती है, बैटरी उत्पादन और अनुसंधान आगे बढ़ रहा है और बिक्री बढ़ रही है। इसका मतलब है कि वर्ष 2040 तक भौतिक उत्सर्जन आज के 18% से बढ़कर 60% से अधिक हो जाएगा।
- वर्तमान में ईवीएस में बैटरी इकाइयां भारी हैं, जिससे कार का कुल वजन बढ़ जाता है, जिसके लिए ड्राइव करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे निपटने के लिए कार निर्माता कंपनी एल्युमीनियम की ओर रुख कर रही है।
- हल्के वजन वाले बॉडी डिज़ाइन, पारंपरिक वाहनों की तुलना में EVs में 45% अधिक एल्युमीनियम का उपयोग किया जाता है। एल्युमीनियम से उत्सर्जन बढ़ना शुरू हो गया है क्योंकि यह खदान और उत्पादन के लिए ऊर्जा-गहन है।
- इस्तेमाल की गई और टूटी हुई बैटरियों के निपटान की चिंता को गरीब, कमजोर देशों - जैसे कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जो दुनिया के 60% कोबाल्ट का उत्पादन करता है- इस पर आसानी से ध्यान दिया जाता है - जिसमें उनसे निपटने के लिए कानून का अभाव है।
- **घरेलू उत्पादन के लिए सामग्री की अनुपलब्धता:** बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। भारत में लिथियम

और कोबाल्ट का कोई ज्ञात भंडार नहीं है जो बैटरी उत्पादन के लिए आवश्यक है।

- **कमजोर विनिर्माण आधार:** यह अनुमान है कि वर्ष 2020-30 तक भारत की बैटरियों की संचयी मांग लगभग 900-1100 GWh होगी। हालांकि, भारत में बैटरी के लिए कमजोर विनिर्माण चिंता का विषय है, जिससे बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात पर भारी निर्भरता हो रही है।

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को कैसे बढ़ावा दे रही है?

- भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल है जो वैश्विक **EV30@30** अभियान का समर्थन करते हैं, जिसका लक्ष्य वर्ष **2030** तक कम से कम **30%** नई वाहनों की बिक्री इलेक्ट्रिक करना है।
- फेम, या (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अपनाना और निर्माण, वर्तमान में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रमुख योजना है।
- सरकार ने हाल ही में आपूर्तिकर्ता पक्ष के लिए उन्नत रसायन प्रकोष्ठ (एसीसी) के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं के लिए ऑटो और ऑटोमोटिव घटकों के लिए पीएलआई योजना शुरू की है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को आपके लिए अधिक किफायती बनाने हेतु सरकार विभिन्न प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्रमुख तंत्र हैं:

- **खरीद प्रोत्साहन:** इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत पर उपयोगकर्ता को प्रत्यक्ष छूट प्रदान की जाती है
- **कूपन:** वित्तीय प्रोत्साहन जहां राशि की प्रतिपूर्ति बाद में की जाती है
- **ब्याज सबवेंशन:** ऋण लेते समय ब्याज दर पर दी जाने वाली छूट
- **रोड टैक्स में छूट:** खरीदारी के समय रोड टैक्स माफ किया जाता है
- **पंजीकरण शुल्क में छूट:** नए वाहन की खरीद पर लागू एकमुश्त पंजीकरण शुल्क माफ किया जाता है
- **आयकर लाभ:** व्यक्ति द्वारा सरकार को देय कर राशि पर कटौती के रूप में प्रदान किया जाता है
- **स्क्रैपिंग प्रोत्साहन:** पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने पर प्रदान किया जाता है
- **अन्य:** ब्याज मुक्त ऋण, टॉप-अप सब्सिडी, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर विशेष प्रोत्साहन आदि जैसे प्रोत्साहनों का भी लाभ उठाया जा सकता है।

बैटरी में आग लगने के कौन से कारक हैं?

- बैटरी की आग, अन्य आग की तरह, "अग्नि त्रिकोण" के तीन भागों के अभिसरण के कारण होती है: गर्मी, ऑक्सीजन और ईंधन।
- यदि बैटरी में शॉर्ट सर्किट जैसी कोई प्रतिकूल घटना होती है, तो आंतरिक तापमान बढ़ सकता है क्योंकि एनोड और कैथोड शॉर्ट के माध्यम से अपनी ऊर्जा छोड़ते हैं।
- यह, बदले में, बैटरी सामग्री, विशेष रूप से कैथोड से प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को जन्म दे सकता है, जो ऑक्सीजन के साथ-साथ अनियंत्रित तरीके से गर्मी छोड़ता है।
- इस तरह की घटनाएं सीलबंद बैटरी को भी तोड़ देती हैं, जो बाहरी हवा और अग्नि त्रिकोण के दूसरे भाग, अर्थात् ऑक्सीजन के घटकों को उजागर करती हैं।
- त्रिभुज का अंतिम घटक तरल इलेक्ट्रोलाइट है, जो ज्वलनशील है और ईंधन के रूप में कार्य करता है। संयोजन बैटरी की विनाशकारी विफलता की ओर जाता है जिसके परिणामस्वरूप धुआं, गर्मी और आग तुरंत और विस्फोटक रूप से जारी होती है।

एक प्रतिकूल घटना के लिए ट्रिगर का परिणाम हो सकता है।

- आंतरिक शॉर्ट्स
- बाहरी घटनाएं
- बैटरी को ओवरचार्ज करना जो आगे बढ़ता है कैथोड पर गर्मी जारी करने वाली प्रतिक्रियाओं (एक दोषपूर्ण बैटरी प्रबंधन प्रणाली द्वारा जो बैटरी द्वारा डिज़ाइन की गई चार्ज स्थिति को प्राप्त करने के बावजूद चार्जिंग बंद नहीं करती है),
- मॉड्यूल और पैक स्तर पर खराब थर्मल डिज़ाइन (बैटरी की आंतरिक गर्मी की अनुमति नहीं देकर) मुक्त)।

बैटरी की आग को कोई कैसे रोक सकता है?

- आग को रोकने के लिए अग्नि त्रिकोण को तोड़ना आवश्यक है।
- बैटरी कैथोड गर्मी छोड़ने का एक प्रमुख कारण है। कुछ कैथोड, जैसे कम निकल सामग्री वाले या लौह फॉस्फेट में जाने से सुरक्षा बढ़ सकती है।
- कड़ाई से नियंत्रित निर्माण से कोशिकाओं में आकस्मिक कमी को रोका जा सकेगा, जिससे आग लगने का एक प्रमुख कारण समाप्त हो जाएगा।
- कई कंपनियां अब यांत्रिक रूप से शॉर्ट्स को रोकने के लिए विभाजक पर एक सिरेमिक परत जोड़ती हैं।
- मजबूत थर्मल प्रबंधन के साथ सेल की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, खासकर भारत में जहां परिवेश का तापमान अधिक है।
- कंपनियां आंतरिक "स्विच" विकसित कर रही हैं जो बैटरी के उन हिस्सों को बंद कर देती हैं जो थर्मल घटनाओं से गुजरते हैं ताकि उन्हें उनकी स्थापना पर रोक दिया जा सके।
- अग्नि त्रिकोण के एक हिस्से को खत्म करने के लिए ज्वलनशील तरल इलेक्ट्रोलाइट को एक ठोस इलेक्ट्रोलाइट के साथ बदलने के लिए अनुसंधान अब चल रहा है।
- इस बात पर बहस चल रही है कि क्या भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए बैटरी स्वैपिंग एक बेहतर समाधान होगा।
- इंजीनियरिंग सुरक्षा के लिए बैटरी आपूर्ति श्रृंखला के सभी हिस्सों से प्रतिबद्धता और वाहन कंपनियों तथा बैटरी कंपनियों के बीच कड़े एकीकरण की आवश्यकता होती है।
- इसके अलावा, बैटरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परीक्षण और प्रमाणन प्रदान करते हुए, नियामक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आगे की राह

- सुरक्षा एक जरूरी है और यह एक महत्वपूर्ण विचार है कि बैटरी और वाहन निर्माता बैटरी सामग्री की पसंद से लेकर सेल, पैक और वाहन स्तर पर डिजाइन करने के लिए कई स्तरों पर डिजाइन कर सकते हैं।
- बैटरी पुनर्चक्रण, कम कार्बन-गहन सामग्री का उपयोग करने वाले प्रकारों को प्राथमिकता देना, या बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण प्रक्रिया पर उत्सर्जन कैप जैसे यथार्थवादी समाधानों की आवश्यकता है।

इथेनॉल सम्मिश्रण (Ethanol Blending)

संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पेट्रोल में **20%** इथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को पांच साल आगे बढ़ाया है। संशोधित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-**2018** ने अब वर्ष **2030** के बजाय वर्ष **2025-26** के लिए नया लक्ष्य निर्धारित किया है।

इथेनॉल क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं?

- एथेनॉल (**CH3CH2OH**) जिसे एथिल अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है, एक स्पष्ट, रंगहीन तरल है जिसमें विशिष्ट वाइन जैसी गंध और तीखा स्वाद होता है।
- यह अत्यधिक ज्वलनशील है और इसे एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक माना जाता है।

- इथेनॉल का उपयोग अन्य रासायनिक पदार्थों को घोलने के लिए किया जाता है और पानी तथा कई कार्बनिक तरल पदार्थों के साथ आसानी से मिल जाता है।
- यह प्राकृतिक रूप से खमीर (**yeasts**) या पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं द्वारा शर्करा के किण्वन द्वारा उत्पादित प्रमुख जैव ईंधन में से एक है।
- इथेनॉल का उत्पादन गन्ना, मक्का, गेहूं आदि से किया जाता है, जिनमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। भारत में, इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के शीरे से किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाता है।
- चूंकि इथेनॉल का उत्पादन पौधों से होता है जो सूर्य की शक्ति का उपयोग करते हैं, इसलिए इथेनॉल को अक्षय ईंधन के रूप में भी माना जाता है।

भारत में इथेनॉल-मिश्रण का इतिहास क्या है?

- दो दशकों से, भारत उपयोग वाहनों, विशेष रूप से दो और चार पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल में अधिक इथेनॉल मिश्रित करने हेतु एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
- वर्ष 2001 के बाद से, भारत ने इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल की व्यवहार्यता का परीक्षण किया है जिसके तहत खुदरा दुकानों को 5% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (95% पेट्रोल-5% इथेनॉल) की आपूर्ति की गई थी।
- वर्ष 2002 में, भारत ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम शुरू किया तथा 09 राज्यों और 04 केंद्र शासित प्रदेशों में 5% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री शुरू की, जिसे वर्ष 2006 में 20 राज्यों और 04 केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाया गया था।
- वर्ष 2015 में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि E5 [95% गैसोलीन के साथ 5% इथेनॉल का मिश्रण] पेट्रोल और वर्ष 2008 से उत्पादित गैसोलीन वाहनों में उपयोग किए जाने वाले रबर और प्लास्टिक के घटक E10 ईंधन के अनुकूल हैं।
- वर्ष 2019 में, मंत्रालय ने E10 ईंधन [90% गैसोलीन के साथ 10% इथेनॉल का सम्मिश्रण] अधिसूचित किया। पेट्रोल वाहनों में उपयोग किए जाने वाले रबर और प्लास्टिक के घटक वर्तमान में E10 ईंधन के अनुकूल हैं।
- डिस्टिलरी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के साथ-साथ नीतिगत समर्थन में औसत ब्लेंडिंग टच 5% पाया गया है।
- E20, E85 और यहां तक कि E100 ईंधन के लिए मानक पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं। इसमें इथेनॉल मिश्रित डीजल के मानक शामिल हैं।
- इथेनॉल की आपूर्ति वर्ष 2013-14 में 380 मिलियन लीटर से बढ़कर वर्ष 2019 में 1.89 बिलियन लीटर हो गई है। वर्ष 2020-21 में चीनी/शीरा और अनाज आधारित डिस्टिलरी दोनों से लगभग 3.5 बिलियन लीटर की पेशकश की उम्मीद है।
- वर्ष 2019 में, गणतंत्र दिवस परेड के लिए पहली बार, भारतीय वायु सेना ने पारंपरिक ईंधन और जैव ईंधन के मिश्रण का उपयोग करते हुए प्रमुख विमान के साथ एक विक फॉर्मेशन (a Vic formation) में विमान उड़ाया, जो ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।
- भारत वर्ष 2020 से 2022 के अंत तक 10% सम्मिश्रण और वर्ष 2030 तक 20% सम्मिश्रण प्राप्त करने के अपने इरादे की घोषणा कर रहा है। केंद्र ने वर्ष 2030 तक डीजल के साथ बायोडीजल के 5% सम्मिश्रण का भी लक्ष्य रखा है।

जैव ईंधन नीति क्या है?

- कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन, जो किसी कार्बनिक पदार्थ (जीवित अथवा मृत पदार्थ) से कम समय में निर्मित होता है, जैव ईंधन (**Biofuels**) माना जाता है।
- इन्हें परिवहन, स्थिर, पोर्टेबल और अन्य अनुप्रयोगों के लिये डीज़ल, पेट्रोल या अन्य जीवाश्म ईंधन के अलावा इस्तेमाल किया

जा सकता है। साथ ही, उनका उपयोग ऊष्मा और बिजली उत्पन्न करने वाले यंत्रो में भी किया जा सकता है।

- जैव ईंधन की चार श्रेणियां हैं:
  - **पहली पीढ़ी:** ये खाद्य स्रोतों जैसे कि चीनी, स्टार्च, वनस्पति तेल या पशु वसा से पारंपरिक तकनीक का उपयोग करके बनाए जाते हैं। सामान्य रूप से पहली पीढ़ी के जैव ईंधन में बायो अल्कोहल, बायोडीज़ल, वनस्पति तेल, बायोएथर्स, बायोगैस आदि शामिल हैं।
  - **दूसरी पीढ़ी:** ये गैर-खाद्य फसलों या खाद्य फसलों के कुछ हिस्सों से उत्पन्न होते हैं जो खाद्य अपशिष्ट के रूप में माने जाते हैं, जैसे: डंठल, भूसी, लकड़ी के टुकड़े और फलों के छिलके और गुद्दे। ऐसे ईंधन के उत्पादन के लिये थर्मोकेमिकल अभिक्रियाओं या जैव रासायनिक रूपांतरण प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है।उदाहरण: सेल्यूलोज़ इथेनॉल और बायोडीज़ल।
  - **तीसरी पीढ़ी:** ये शैवाल जैसे सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण- ब्यूटेनॉल (Butanol)
  - **चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन:** इन ईंधनों के उत्पादन के लिये उन फसलों को चुना जाता है जिनमें आनुवंशिक रूप से अधिक मात्रा में कार्बन अभिनियांत्रित होते हैं, उन्हें बायोमास के रूप में उगाया और काटा जाता है।

उसके बाद फसलों को दूसरी पीढ़ी की तकनीकों का उपयोग करके ईंधन में परिवर्तित किया जाता है।

- वर्ष 2018 में पेश की गई, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति का उद्देश्य ईंधन सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करके आयात पर निर्भरता को कम करना है।
- यह नीति एथेनॉल उत्पादन के लिए अतिरिक्त चावल या क्षतिग्रस्त खाद्यान्न को फीडस्टॉक के रूप में उपयोग करने की भी अनुमति देती है।
- राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी), जिसके प्रमुख केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, इस सम्मिश्रण कार्यक्रम का समन्वय करने वाली एजेंसी है।
- कई बदलावों को पेश करने के लिए हाल ही में वर्ष 2018 की नीति में संशोधन किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन -
  - इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (दिसंबर से नवंबर) से 2030 से 2025-26 तक 20% सम्मिश्रण तिथि को पांच साल आगे बढ़ाना।
  - जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीडस्टॉक का परिचय
  - विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातोन्मुख इकाइयों (Export Oriented Units) में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत जैव ईंधन का उत्पादन;
  - विशिष्ट मामलों में जैव ईंधन के निर्यात देने की अनुमति
  - एनबीसीसी में नए सदस्यों को शामिल करना और समिति को उस नीति को बदलने के लिए सशक्त बनाना जो उसके पास पहले नहीं थी।

इथेनॉल सम्मिश्रण के गुण क्या हैं?

- **कम तेल निर्भरता:** इथेनॉल गन्ना, गुड़, मक्का से प्राप्त किया जा सकता है, जो भारत के कृषि आधार को देखते हुए, पेट्रोलियम पर भारत की निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकता है।
- **पर्यावरण के अनुकूल:** क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में पूरी तरह से जलता है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे उत्सर्जन से बचता है।
- **विदेशी मुद्रा की बचत:** भारत का पेट्रोलियम का कुल आयात वर्ष 2020-21 में 55 बिलियन अमरीकी डॉलर की लागत से 185 मिलियन टन था। अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग परिवहन में किया जाता है इसलिए, E20 कार्यक्रम देश को 4 बिलियन अमरीकी डालर या सालाना लगभग ₹30,000 करोड़ बचा सकता है।

- **लाभ चीनी उद्योग:** इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम तनावग्रस्त चीनी क्षेत्र में तरलता को इंजेक्ट करता है। यह कार्यक्रम इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के डायवर्जन को भी प्रोत्साहित करता है, जिसके परिणामस्वरूप देश में चीनी की कमी में कमी आती है।
- **बूस्टिंग फार्मर मनी (Boosting Farmer Money):** भारत में, इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के शीरे से किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाता है। इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का उपयोग किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त स्थान प्रदान करने में मदद कर सकता है।
- **किसानों के लिए भुगतान चक्र में सुधार:** OMCs द्वारा निर्धारित कीमतों पर ऑफ-टेक गारंटी प्रदान करने की व्यवस्था भी किसानों को भुगतान चक्र के स्वास्थ्य में सुधार करती है क्योंकि OMCs अपने इथेनॉल बकाया का निपटान 21 दिनों में करती हैं, न कि महीनों के लिए, जिसका किसानों को इंतजार करना पड़ता है, चीनी मिलों से उनके भुगतान के लिए।
- **चावल की उपज के लिए वैकल्पिक बाजार:** भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध बचे चावल और मक्का को एथेनॉल उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के अतिरिक्त स्रोत के रूप में उपयोग करने का हालिया निर्णय, इस वर्ष से शुरू होने का मतलब है कि किसानों के पास अब अपनी उपज के लिए एक वैकल्पिक बाजार होगा।

इथेनॉल सम्मिश्रण के साथ क्या चुनौतियाँ हैं?

- **ऑटो घटकों में अनिवार्य संशोधन:** किसी वाहन के इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल की तुलना में अधिक एथेनॉल की आवश्यकता होती है। यह अवशिष्ट उप-उत्पादों को भी छोड़ता है जो वाहन को खराब कर सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं, यही कारण है वाहनों को इथेनॉल पर चलाया जा सकता है, उन्हें तदनुसार ट्यून करने की आवश्यकता होती है ताकि वे दक्षता और उपयोगिता पर समझौता न करें।
- **बढ़ी हुई लागत:** दोपहिया फ्लेक्स ईंधन वाले वाहन (ई20 ईंधन में सक्षम) नियमित पेट्रोल वाहनों की तुलना में ₹5,000 से ₹12,000 तक महंगे होंगे। इसके अलावा, भारत में उत्पादित इथेनॉल की कीमतें अमेरिका और ब्राजील की तुलना में अधिक हैं, क्योंकि सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य हैं।
- **प्रदूषण पूरी तरह से समाप्त न होना :** भारत में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि इथेनॉल को जलाने पर नाइट्रस ऑक्साइड में कोई कमी नहीं होती है, जो एक प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक है।
- **पर्याप्त अवसर लागत:** भारत को वर्ष 2025 तक पेट्रोल में मिश्रित 20% इथेनॉल के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, मक्का की खेती के तहत आने के लिए 30,000 अतिरिक्त वर्ग किमी भूमि लाने की आवश्यकता होगी। इसका आधा हिस्सा सौर ऊर्जा से स्वच्छ बिजली का उत्पादन करने के लिए अधिक कुशलता से उपयोग किया जा सकता है, ऐसा अनुमान है।
- **चीनी मिलों की कमजोर वित्तीय स्थिति:** कई सहकारी चीनी मिलों ने धन की कमी की शिकायत की है। उनका दावा है कि बैंक कमजोर बैलेंस शीट के कारण चीनी मिलों को वित्त देने से हिचक रहे हैं। एक उपाय के रूप में, मिलों ने ओएमसी, बैंकों और गन्ना आपूर्तिकर्ताओं के बीच 21 दिनों के भीतर भुगतान को स्पष्ट करने के लिए त्रिपक्षीय समझौते के लिए कहा है। हालांकि ज्यादातर बैंकों ने अपनी आशंका जाहिर की है।
- **उच्च जल खपत:** भारत के लिए गन्ना इथेनॉल का सबसे सस्ता स्रोत है। चीनी से एक लीटर इथेनॉल के लिए लगभग 2,860 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
- कम उत्पादन: चीनी मिलें, जो ओएमसी को बायो-एथेनॉल के प्रमुख घरेलू आपूर्तिकर्ता हैं, कुल मांग का केवल 57.6% आपूर्ति करने में सक्षम थीं। चीनी मिलों के पास जैव ईंधन संयंत्रों में निवेश करने के लिए वित्तीय स्थिरता नहीं है।
- **नीति अनिश्चितता:** भविष्य में बायोएथेनॉल की कीमत पर अनिश्चितता को लेकर निवेशकों में भी चिंता है क्योंकि गन्ना और बायो-एथेनॉल दोनों की कीमतें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव क्या है?

- फ्लेक्स ईंधन इंजन प्रौद्योगिकी (एफएफई), या वाहन जो पूरी तरह से इथेनॉल पर चलते हैं, ये ब्राजील में लोकप्रिय हैं और वर्ष 2019 में बेचे गए नए वाहनों की कुल संख्या का लगभग 80% शामिल हैं।
- ईंधन इथेनॉल का वैश्विक उत्पादन वर्ष 2019 में 110 बिलियन लीटर तक पहुंच गया, या पिछले दशक के दौरान प्रति वर्ष औसतन 4% की वृद्धि हुई।
- यू.एस. और ब्राजील 92 बिलियन लीटर या वैश्विक हिस्सेदारी का 84% हिस्सा बनाते हैं, इसके बाद यूरोपीय संघ (ईयू), चीन, भारत, कनाडा और थाईलैंड का स्थान आता है।

हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen)

संदर्भ: हाल ही में स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच में, भारत ने कहा कि यह हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरेगा।

- ऑयल इंडिया लिमिटेड (**OIL**) द्वारा पूर्वी असम के जोरहाट में भारत का पहला **99%** शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू करने के लगभग एक महीने बाद यह दावा किया गया।
- 20 अप्रैल, 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र के OIL ने असम में भारत का पहला 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र स्थापित किया।
- असम के जोरहाट में स्थापित संयंत्र को 500 किलोवाट के सौर संयंत्र द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है और यह 10 किलो हाइड्रोजन प्रतिदिन उत्पादित कर सकता है जिसे 30 किलो प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है।

हाइड्रोजन ईंधन क्या है?

- हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे हल्का, सरलतम और प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। इसके अलावा, हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, गैर-विषाक्त और अत्यधिक दहनशील है। हाइड्रोजन प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपयोगी मात्रा में नहीं होती है।
- सौर, पवन या जल ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके विद्युत-अपघटन के माध्यम से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है।
- जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है, तो वह केवल जलवाष्प उत्सर्जित करती है और कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्पन्न नहीं होती है।
- यह एक आंतरिक दहन इंजन की तुलना में अधिक कुशल है।
- यद्यपि हाइड्रोजन एक साफ अणु है, लेकिन इसे निकालने की प्रक्रिया ऊर्जा-गहन है।
- साथ ही, हाइड्रोजन ईंधन आधारित वाहन का निर्माण महंगा है।

ग्रीन हाइड्रोजन क्या है?

जिन स्रोतों और प्रक्रियाओं से हाइड्रोजन प्राप्त होता है, उन्हें रंग टैब द्वारा वर्गीकृत किया जाता है।

- जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है; यह आज उत्पादित हाइड्रोजन के थोक का गठन करता है।
- कोयले का उपयोग करके ब्राउन हाइड्रोजन उत्पादित किया जाता है जहां संबंधित उत्सर्जन हवा में छोड़ा जाता है।
- कार्बन कैप्चर और भंडारण विकल्पों के साथ जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न हाइड्रोजन को ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है।
- अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरी तरह से उत्पन्न हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। अंतिम प्रक्रिया में, अक्षय ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का उपयोग पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए किया जाता है।

ग्रीन हाइड्रोजन के क्या फायदे हैं?

- हरित हाइड्रोजन को अधिक समय तक संग्रहीत किया जा सकता है।
- संग्रहीत हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन सेल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है।

- अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से पवन ऊर्जा की असंतत विशेषता ग्रिड अस्थिरता की ओर ले जाती है और हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण उपकरण के रूप में कार्य करता है और ग्रिड स्थिरता को बढ़ाता है।
- **आयात बिल कम करना :** सस्ती अक्षय ऊर्जा की उपलब्धता के कारण, भारत अपनी जरूरतों के लिए हाइड्रोजन का उत्पादन करने और इस तरह अपने आयात बिल को कम करने के लिए एक अद्वितीय स्थिति में है।
- **पेरिस लक्ष्य हासिल करने में मदद करना :** भारत के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्य को पूरा करने के लिए हरित हाइड्रोजन ऊर्जा महत्वपूर्ण है।

सोसाइटी और सामाजिक मुद्दे

मैरिटल रेप (Marital Rape)

संदर्भ: हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की मांग पर खंडित फैसला देते हुए कहा है कि विवाहित महिलाओं के अधिकार को सम्मान और मान्यता देने की जरूरत है।

- पीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस राजीव शकधर ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अपवाद 2 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया।
- वहीं, न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने इसकी वैधता को बरकरार रखा।

वैवाहिक बलात्कार क्या है?

- वैवाहिक बलात्कार, अपने पति या पत्नी को उचित सहमति के बिना यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का कार्य।
- यह महिलाओं को नीचा दिखाने और उन्हें अशक्त बनाने का एक अन्यायपूर्ण लेकिन असामान्य तरीका नहीं है।
- औसत भारतीय महिला की तुलना में उसके पति को दूसरों की तुलना में यौन हिंसा का सामना करने की संभावना 17 गुना अधिक है।
- दुर्भाग्य से, भारत वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में मान्यता नहीं देता है।

भारतीय कानून व्यवस्था वैवाहिक बलात्कार से कैसे निपटती है?

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 छह विवरणों की सहायता से बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है। इस अपराध के अपवादों में से एक है "किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य, यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है, बलात्कार नहीं है"।
    - वर्ष 2017 में, स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग पत्नी के लिए वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को समाप्त कर दिया। हालांकि, यह वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने में पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाया।
- सहमति का विचार 1736 में तत्कालीन ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश मैथ्यू हेल द्वारा दिये गए 'हेल सिद्धांत' से प्रेरित है। इसमें कहा गया है कि पति बलात्कार का दोषी नहीं हो सकता है, क्योंकि "आपसी वैवाहिक सहमति और अनुबंध द्वारा पत्नी ने पति के समक्ष अपने-आप को समर्पित कर दिया है"।
- विवाह के अंदर बलात्कार के एकमात्र दंडनीय उदाहरण हैं: पहला, जहां पत्नी नाबालिग है और दूसरी, जब पति-पत्नी न्यायिक अलगाव के आदेश के तहत अलग रह रहे हों।

भारत में वैवाहिक बलात्कार कानून का इतिहास क्या है?

- **घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005:** यह 'लिव-इन' या विवाह संबंध में किसी भी प्रकार के यौन शोषण द्वारा वैवाहिक बलात्कार का संकेत देता है। हालाँकि यह केवल नागरिक उपचार प्रदान करता है। भारत में वैवाहिक बलात्कार पीड़ितों के लिये अपराधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का कोई तरीका नहीं है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय 2017 से इस मामले में दलीलें सुन रहा है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है कि देश में वैवाहिक बलात्कार का मुद्दा उठाया गया है।
- इस वैवाहिक बलात्कार अपवाद को हटाने की आवश्यकता को भारत के विधि आयोग द्वारा 2000 में खारिज कर दिया गया था, जबकि यौन हिंसा पर भारत के कानूनों में सुधार के कई प्रस्तावों पर विचार किया गया था।
- वर्ष 2012 में निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के बाद, न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति को भारत के बलात्कार कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव देने का काम सौंपा गया था। जबकि इसकी कुछ सिफारिशों ने वर्ष 2013 में पारित आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम को आकार देने में मदद की, वैवाहिक बलात्कार सहित कुछ सुझावों पर कार्रवाई नहीं की गई।
- यह मुद्दा संसद में भी उठाया गया है। डॉ शशि थरूर - एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से संसद सदस्य - ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में संशोधन करने और वैवाहिक बलात्कार को अपराधी बनाने की अनुमति देने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया। हालांकि, यह बिल दिन के उजाले को नहीं देख सका (the bill could not see the light of the day)।

वैवाहिक बलात्कार पर भारत के कानूनी शासन की आलोचनाएँ क्या हैं?

- **जीवन के अधिकार और समानता के अधिकार के खिलाफ:** सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के दायरे में महिलाओं की पवित्रता और यौन गतिविधियों से संबंधित विकल्प चुनने की स्वतंत्रता को शामिल किया है। इसलिए, यह अपवाद खंड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
- **कानूनों का पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण (Patriarchal outlook of Laws):** हमारे देश में बलात्कार कानून पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के साथ जारी है, जिसमें महिलाओं को विवाह के बाद पुरुषों की संपत्ति माना जाता है, उनके शरीर पर कोई स्वायत्तता या एजेंसी नहीं है। वे विवाहित महिलाओं को भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत कानूनों के समान संरक्षण से वंचित करते हैं।
- **विवाहित और अविवाहित महिलाओं में अंतर:** एक विवाहित महिला को अपने शरीर को नियंत्रित करने का उतना ही अधिकार है जितना कि एक अविवाहित महिला को। दुर्भाग्य से, भारतीय बलात्कार कानूनों में इस सिद्धांत को बरकरार नहीं रखा गया है।
- **वैवाहिक बलात्कार महिलाओं के जीवन के लिए अधिक खतरनाक है:** बलात्कार बलात्कार है, चाहे अपराधी की पहचान और उत्तरजीवी की उम्र कुछ भी हो। एक महिला जिसका एक अजनबी द्वारा बलात्कार किया जाता है, एक भयानक हमले की याद में रहती है; जिस महिला के साथ उसके पति ने बलात्कार किया है वह अपने बलात्कारी के साथ रहती है।
- **परिवार की संस्था के लिए खतरा नहीं:** देश ने घरेलू हिंसा कानून अपनाया है जो शारीरिक और यौन शोषण के खिलाफ शिकायतों को सक्षम बनाता है। इसलिए, वैवाहिक बलात्कार को एक आपराधिक अपराध बनाने से घरेलू हिंसा या क्रूरता की शिकायत की तुलना में विवाह संस्था को और अधिक बर्बाद करने की संभावना नहीं है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के विरुद्ध (**Against International Norm):** आज, **100** से अधिक देशों में इस पर महाभियोग लगाया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से, भारत उन **36** देशों में से एक है जहां अभी भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है।
- निहित सहमति की चिंताएं (**Concerns of Implied Consent):** भारत में वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा उस बात का

प्रतीक है जिसे हम "निहित सहमति" कहते हैं। यहां एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह का तात्पर्य है कि दोनों ने संभोग के लिए सहमति दी है और यह अन्यथा नहीं हो सकता। भारतीय दंड संहिता, **1860,** भी यही संप्रेषित करती है।

- विवाह की पुरानी धारणा (**Outdated notion of Marriage) :** वैवाहिक बलात्कार को दिया गया अपवाद वापस आ जाता है, जैसा कि न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति ने इसे हटाने की सिफारिश करते हुए, विवाह की एक पुरानी धारणा को नोट किया, जिसमें पत्नी को पति की संपत्ति के रूप में माना जाता था।
- **विवाहित महिलाओं की स्वायत्तता के विरुद्ध: विवाह को 'पति-आश्रय (coverture)'** के नजरिए से देखना - यह विचार कि पत्नी हमेशा पति के अधिकार में है - को अपने व्यक्ति पर विवाहित महिलाओं की स्वायत्तता को खत्म करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- असंगत प्रावधान (**Inconsistent provisions) :** अन्य यौन अपराध विवाह के लिए ऐसी कोई छूट नहीं देते हैं। इस प्रकार, किसी अन्य पुरुष की तरह ही एक पति पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, ताक-झांक (**voyeurism) ,** और जबरन कपड़े उतारने जैसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।
    - जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (**2018)** में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि व्यभिचार का अपराध असंवैधानिक था क्योंकि यह इस सिद्धांत पर स्थापित किया गया था कि एक महिला शादी के बाद अपने पति की संपत्ति है। वैवाहिक बलात्कार को मान्यता देते समय इसी तरह के सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता है।
- औपनिवेशिक हैंगओवर (**Colonial Hangover) :** अंग्रेजों से सौंपे गए हमारे दंड कानून, आजादी के **73** साल बाद भी बड़े पैमाने पर अछूते रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश कानूनों में संशोधन किया गया और वर्ष **1991** में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर दिया गया। हालांकि, कोई भी भारत सरकार ने अब तक इस समस्या के समाधान में सक्रिय रुचि नहीं दिखाई है।
- **संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का उल्लंघन:** आईपीसी की धारा **375** (अपवाद) महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के इन सिद्धांतों के साथ असंगत और उल्लंघन है।
- **"इंटेलीजिबल डिफ्रेंटिए" का टेस्ट पास नहीं करता (Does not pass the test of "intelligible differentia"):** मुख्य रूप से, धारा **375** (अपवाद) न केवल एक विवाहित और अविवाहित महिला द्वारा दी गई सहमति के बीच, बल्कि **15** वर्ष से कम आयु और **15** वर्ष से अधिक आयु की विवाहित महिलाओं के बीच भी एक वर्गीकरण बनाती है। इस तरह का वर्गीकरण समझदार अंतर की परीक्षा पास नहीं करता है और इसलिए, अनुच्छेद **14** के तहत निहित समानता के अधिकार के उल्लंघन में प्रथम दृष्टया है।
- **लेजिस्लेचर टोन डेफ तो वीमेन वॉइस (Legislature tone deaf to women's voices) :** वर्ष **2013** में जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी और वर्ष **2015** में पाम राजपूत कमेटी की हालिया सिफारिशों के बाद भी, सांसदों ने वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।
- **आर्थिक लागत:** महिलाओं को अलगाव, काम करने में असमर्थता, मजदूरी की हानि, नियमित गतिविधियों में भागीदारी की कमी और अपने तथा अपने बच्चों की देखभाल करने की सीमित क्षमता का सामना करना पड़ सकता है। चोटों और तनाव के कारण महिलाएं खुद को रोजगार से अनुपस्थित रखती हैं।

वैवाहिक बलात्कार पर क्या है सरकार का स्टैंड?

- सरकार का मत है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने से विवाह संस्था अस्थिर हो जाएगी, यह देखते हुए कि भारतीय समाज में संस्था का अत्यधिक महत्व है।
- सरकार ने संसद में यह भी टिप्पणी की कि प्रत्येक विवाह को हिंसक और प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कारी के रूप में निंदा करना उचित नहीं होगा।
- वर्ष 2016 में, सरकार ने वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि "शिक्षा के स्तर /

निरक्षरता, गरीबी, असंख्य सामाजिक रीति-रिवाजों और मूल्यों, धार्मिक विश्वासों तथा मानसिकता जैसे विभिन्न कारकों के कारण इसे भारतीय संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता है। समाज में विवाह को एक संस्कार के रूप में मानने की प्रथा है।

- वर्ष 2017 में, सरकार ने बलात्कार से संबंधित आईपीसी की धारा 375 में अपवाद को हटाने का विरोध किया था।

दुनिया भर में वैवाहिक बलात्कार का ट्रीट कैसे किया जाता है?

- एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़ों के अनुसार, 185 में से 77 (42%) देश कानून के माध्यम से वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानते हैं। अन्य देशों में, इसका या तो उल्लेख नहीं किया गया है या स्पष्ट रूप से बलात्कार कानूनों से बाहर रखा गया है, दोनों ही यौन हिंसा का कारण बन सकते हैं।
- जहां 74 देश महिलाओं को अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की अनुमति देते हैं, वहीं 185 में से 34 देश ऐसा कोई प्रावधान नहीं करते हैं। लगभग एक दर्जन देश बलात्कारियों को अपने पीड़ितों से शादी करके अभियोजन से बचने की अनुमति देते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र ने देशों से कानूनी खामियों को बंद करके वैवाहिक बलात्कार को समाप्त करने का आग्रह करते हुए कहा है कि "घर महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक है"।

एलजीबीटीआईक्यू+ (LGBTIQ+)

चर्चा में क्यों : हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (**ILO**) ने 'वर्ल्ड ऑफ वर्क' में एलजीबीटीआईक्यू+ (**LGBTIQ+**) व्यक्तियों को शामिल करने के लिये एक दस्तावेज़ जारी किया।**LGBTIQ** का मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटर-सेक्स और क्वीर है।

सिफारिशें

- समाज में एलजीबीटीआईक्यू+ व्यक्तियों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुशंसित सदस्य देशों, नियोक्ता संगठनों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की रिपोर्ट करना
- ILO दस्तावेज़ में कहा गया है कि भेदभाव की न केवल LGBTIQ+ व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए बल्कि उद्यमों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी आर्थिक लागत है।
- ILO ने कहा कि दुनिया भर में, LGBTIQ+ व्यक्तियों को यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान, लिंग अभिव्यक्ति और यौन विशेषताओं के आधार पर उत्पीड़न, हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- इसमें कहा गया है कि एक राष्ट्रीय नीति और श्रम कानून की समीक्षा सरकारों को एलजीबीटीआईक्यू+ व्यक्तियों के लिए अपने देश की कार्य नीति के माहौल का आकलन करने की अनुमति देगी - यह कानूनी और नीतिगत वातावरण में सुधार, भेदभाव और बहिष्करण को समाप्त करने तथा अंतरराष्ट्रीय उपकरणों का अनुपालन करने के लिए ठोस कदमों की पहचान करने की अनुमति देगा।
- इस दस्तावेज में एलजीबीटीआईक्यू+ समुदायों के साथ परामर्श और नियोक्ताओं तथा श्रमिक संगठनों के साथ सामाजिक संवाद महत्वपूर्ण हैं - यह श्रम बाजार में प्रवेश करने और सरकारी योजनाओं तक पहुंचने के दौरान एलजीबीटीआईक्यू+ व्यक्तियों के सामने आने वाली बाधाओं की पहचान करने की अनुमति देगा।
- अध्ययनों से पता चला है कि एलजीबीटीआईक्यू+ व्यक्तियों सहित कार्यस्थल में विविधता व्यवसाय के लिए बेहतर है।
- यह एक रचनात्मक वातावरण का संकेत देता है जो आर्थिक विकास के लिए सही परिस्थितियों का निर्माण करता है।

एलजीबीटीआईक्यू+ समुदाय के सामने चुनौतियां

- **परिवार:** यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान की समस्या से लड़ाई और पारिवारिक विघटन होता है - माता-पिता और उनके एलजीबीटीक्यू बच्चों के बीच संचार की कमी और गलतफहमी पारिवारिक संघर्ष को बढ़ाती है।
- **कार्यस्थल पर भेदभाव:** एलजीबीटीक्यू कार्यस्थल में भेदभाव के कारण बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से ग्रस्त है।

- **स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे:** समलैंगिकता के अपराधीकरण से भेदभाव होता है और इसके परिणामस्वरूप एलजीबीटीक्यू लोगों को स्वास्थ्य प्रणाली के अंदर सेवाओं तक खराब या अपर्याप्त पहुंच मिलती है।
- **नशीली दवाओं का सेवन:** वे धीरे-धीरे कम आत्मसम्मान और कम आत्मविश्वास विकसित करते हैं और दोस्तों तथा परिवार से अलग हो जाते हैं। ये लोग ज्यादातर ड्रग्स और शराब के आदी हो जाते हैं।

भारत में LGBTIQ+ **समुदाय की स्थिति:**

- राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ **(2014):** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'ट्रांसजेंडरों को 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता देना एक सामाजिक या चिकित्सा मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवाधिकार का मुद्दा है।'
- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ **(2018):** सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता **(IPC)** की धारा **377** के कुछ हिस्सों को हटाकर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, जिन्हें **LGBTQ** समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता था।
- ❖ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद **14** कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है जो **LGBTQ** समुदाय की 'समावेशिता' को साकार करते हुए नागरिकों के सभी वर्गों पर लागू होता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019:

- ❖ संसद द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक**, 2019** पारित किया गया**,** जिसमें लिंग और लैंगिक पहचान जैसी संकीर्ण सोच की आलोचना की गई।
- **समलैंगिक विवाह पर विवाद:** शफीन जहान बनाम असोकन के.एम. और अन्य **(2018)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि साथी का चुनाव करना एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है**,** जो समलैंगिक जोड़ों पर भी लागू हो सकता है।
- हालाँकि फरवरी **2021** में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए कहा कि भारत में एक विवाह को तभी मान्यता दी जा सकती है जब वह "जैविक पुरुष **(biological man)"** और बच्चे पैदा करने में सक्षम "जैविक महिला **(biological woman)"** के बीच हो।

आगे की राह

- भेदभाव-विरोधी कानून के माध्यम से **LGBTIQ+** समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने का समय आ गया है जो उन्हें लिंग पहचान या यौन अभिविन्यास के बावजूद प्रोडक्टिव लिव्स **(productive lives)** और संबंध रखने तथा राज्य और समाज पर बदलाव की जिम्मेदारी देता है न कि व्यक्ति पर।

भारत की भाषा संबंधी बहस (The Language debate of India)

संदर्भ: एक हिंदी अभिनेता की हालिया टिप्पणी कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है और एक कन्नड़ स्टार द्वारा काउंटर ने संविधान के तहत भाषा की स्थिति पर विवाद खड़ा कर दिया।

- बहुत से लोगों ने जल्दी से कहा कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, और यह कि हिंदी संघ की राजभाषा है।

हिंदी की क्या स्थिति है?

- एक भाषाई विविधता वाला देश होने के नाते भारत ने हमेशा विविधता की खुशी मनाई है। हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य से अवगत थे और इसलिए संविधान सभा में भाषा के विषय पर गरमागरम (hotly) बहस की।
- इस मुद्दे पर संविधान सभा में विभाजन:
  - o संविधान सभा के सदस्य जो हिंदी नहीं बोलने वाले राज्यों से आए थे, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करने का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे क्षेत्रीय भाषाओं की कीमत पर हिंदी का वर्चस्व बढ़ेगा।
  - o हिंदी के समर्थक इस बात पर अड़े थे कि अंग्रेजी गुलामी की भाषा है और इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए।

- संस्कृत को राजभाषा बनाने की माँग की जा रही थी, जबकि कुछ ने 'हिन्दुस्तानी' के पक्ष में तर्क दिया।

- **समझौता**
  - अंततः, यह निर्णय लिया गया कि संविधान केवल एक 'राजभाषा' की बात करेगा, न कि राष्ट्रीय भाषा की।
  - इसने कहा कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी। और वह अंग्रेजी 15 साल तक उपयोग होती रहेगी।
  - संविधान में कहा गया है कि 15 वर्षों के बाद, संसद कानून द्वारा अंग्रेजी के उपयोग पर निर्णय ले सकती है (राजभाषा अधिनियम, 1963 द्वारा नियंत्रित)।

- **हिन्दी की स्थिति**
  - संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का उपयोग किया जाएगा।
  - लगभग 57% भारतीयों द्वारा हिंदी बोली जाती है और 43% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा के रूप में बताया (जनगणना 2011)।

क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में क्या?

संविधान राज्यों की राजभाषा का प्रावधान नहीं करता है। हालाँकि, यह कहता है कि:

- किसी राज्य की विधायिका उस राज्य की किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य की राजभाषा के रूप में अपना सकती है। तब तक अंग्रेजी उस राज्य की राजभाषा बनी रहेगी।
- इसके जवाब में राज्यों ने क्षेत्रीय भाषाओं को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है।
- संविधान की आठवीं अनुसूची से भाषा चुनने हेतु राज्य के लिए कोई बाध्यता नहीं है।
- कोई भी दो या दो से अधिक राज्य आपस में संवाद के लिए हिंदी (अंग्रेजी के बजाय) का उपयोग करने के लिए सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।

1965 के विरोध किस बारे में थे?

- मूल संविधान में केवल 15 वर्षों के लिए संघ की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग का प्रावधान किया गया था।
- तमिलनाडु में, जिसे तब मद्रास के नाम से जाना जाता था, संघ की सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रयोग की संभावना ने एक आशंका पैदा कर दी कि हिंदी को इस तरह से अधिरोपित की जाएगी (imposed) कि जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भविष्य में रोजगार की संभावनाएं हैं। हिंदी नहीं बोलना धूमिल (bleak) होगा।
- अधिक से अधिक छात्र कार्यकर्ताओं के विरोध में शामिल होने के बाद जल्द ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और हिंसक रूप ले लिया। पुलिस फायरिंग और अन्य घटनाओं में 60 से अधिक लोग मारे गए क्योंकि विरोध कई दिनों तक चला।
- आंदोलन बाद में समाप्त हो गया, लेकिन तब तक केंद्र में कांग्रेस ने दक्षिणी राज्यों के बीच भाषा के मुद्दे की संवेदनशीलता को महसूस किया और राजभाषा अधिनियम (1963) में अंग्रेजी भाषा के निरंतर उपयोग के प्रावधान को शामिल किया।
- **1963 के अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधानों के लिए भी प्रावधान किया गया था**
  - केंद्रीय अधिनियमों आदि का अधिकृत हिंदी अनुवाद।
  - उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक उपयोग (सुप्रीम कोर्ट का कोई उल्लेख नहीं)
  - संघ और गैर-हिंदी राज्यों के बीच अंग्रेजी संचार भाषा होनी चाहिए।
  - हिंदी और गैर-हिंदी राज्यों के बीच संचार यदि हिंदी में किया जाता है तो उसके साथ एक अंग्रेजी अनुवाद होना चाहिए।

उच्च न्यायपालिका की भाषा क्या है?

- अनुच्छेद **348 (1) (A),** जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करती है, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च

न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही अंग्रेज़ी में आयोजित की जाएगी।

- अनुच्छेद **348 (2)** यह भी प्रावधान करता है कि अनुच्छेद **348 (1)** के प्रावधानों के बावजूद किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिये इस्तेमाल की जाने वाली किसी अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है।
- इसलिये संविधान इस चेतावनी के साथ अंग्रेज़ी को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की प्राथमिक भाषा के रूप में मान्यता देता है कि भले ही उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में किसी अन्य भाषा का उपयोग किया जाए लेकिन उच्च न्यायालयों के निर्णय अंग्रेज़ी में दिये जाने चाहये।
- वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही की भाषा केवल अंग्रेजी है। सुप्रीम कोर्ट में सभी दलीलें, दस्तावेज और तर्क अंग्रेजी में हैं।

आठवीं अनुसूची क्या है?

- आठवीं अनुसूची में देश की भाषाओं की सूची है। पहले अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन अब 22 भाषाएं हैं।
    - आठवीं अनुसूची की भाषाएँ निम्नलिखित हैं: 1) असमिया, (2) बंगाली, (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड़, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, (9) मणिपुरी , (10) मराठी, (11) नेपाली, (12) उड़िया, (13) पंजाबी, (14) संस्कृत, (15) सिंधी, (16) तमिल, (17) तेलुगु, (18) उर्दू (19) बोडो, (20) संथाली, (21) मैथिली और (22) डोगरी।

शास्त्रीय भाषाएं क्या हैं?

- एक शास्त्रीय भाषा एक स्वतंत्र साहित्यिक परंपरा वाली कोई भी भाषा है और लिखित साहित्य का एक बड़ा और प्राचीन निकाय है।
- वर्तमान में ऐसी छह भाषाएं हैं जिन्हें भारत में 'शास्त्रीय' दर्जा प्राप्त है:
    - तमिल (2004 में घोषित), संस्कृत (2005), कन्नड़ (2008), तेलुगु (2008), मलयालम (2013), और ओडिया (2014)।
    - सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
- संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में दिशानिर्देश प्रदान करता है जो नीचे दिए गए हैं:
    - 1500-2000 वर्षों की अवधि में इसके प्रारंभिक ग्रंथों / रिकॉर्ड किए गए इतिहास की उच्च पुरातनता;
    - प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का एक समूह, जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है।
    - साहित्यिक परंपरा मौलिक है और किसी अन्य भाषण समुदाय से उधार नहीं ली गई है।
    - शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक से अलग होने के कारण, शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच एक असंतुलन भी हो सकता है।
- एक बार किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने के बाद, शिक्षा मंत्रालय इसे बढ़ावा देने के लिए कुछ लाभ प्रदान करता है:
    - शास्त्रीय भारतीय भाषाओं में प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए दो प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार।
    - शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध है कि वह कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस प्रकार घोषित शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक निश्चित संख्या में व्यावसायिक पीठों का सृजन करे।

हिन्दी भाषा के प्रचार का विरोध क्यों किया जाता है? या हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में होना अनुकूल क्यों नहीं है?

- **हिंदी बेल्ट के आधिपत्य का डर:** सरकारी संचार को केवल हिंदू में बनाने से सूचना विषमता पैदा होती है और हिंदी बेल्ट के वर्चस्व को कायम रखता है।

- **हिंदी अधिरोपण से जबरदस्ती आत्मसात होना (Hindi Imposition leads to Coercive assimilation) :** एक भाषा के मानकीकरण या अधिरोपण से अनिवार्य रूप से अनजाने में और जबरदस्ती आत्मसात करने की प्रथा हो सकती है।
- **मूल संस्कृति और ज्ञान के लिए खतरा:** भाषा समाज की संस्कृति की वाहक है। अपनी भाषा के माध्यम से ही लोग प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। गैर-देशी भाषा को थोपने के कारण भाषा का लुप्त होना अंततः देशी संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान के उत्थान की ओर ले जाता है।
- **सार्वजनिक संसाधनों तक गैर-आनुपातिक पहुंच:** साथ ही, सरकारी सेवाओं, केंद्र सरकार के कानूनों तथा संचार के लिए केवल बहुसंख्यक भाषा का उपयोग करने से अल्पसंख्यक आबादी, जो द्विभाषी नहीं हैं, तक सार्वजनिक पहुंच को प्रभावी रूप से बाधित करती है। यह संघ स्तर पर सरकारी रोजगार में समान अवसर प्रदान करता है (**1965** के विरोधों को याद करें)।
- **संरक्षण और संवर्धन:** अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण और अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रचार के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, पहला एक नकारात्मक प्रतिबंध है और दूसरा एक सकारात्मक दायित्व है।
- **भारत का विचार:** भाषाई विविधता को बढ़ावा देने का कारण कार्यात्मक प्रभावकारिता नहीं है, बल्कि भारतीय पहचान का आलिंगन है: यह विचार कि भारत विविध है, फिर भी 'एक' है। "एक देश, एक भाषा" का विचार न केवल

त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है?

- 1968 नई शिक्षा नीति ने त्रि-भाषा फॉर्मूला पेश किया
  - हिंदी भाषी राज्यों में, सूत्र का अनुवाद हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा (अधिमानतः दक्षिण भारतीय) में किया जाता है।
  - गैर-हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए, इसने हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में पाठ अनिवार्य कर दिए हैं
- तीन भाषा सूत्र जिन तीन कार्यों को पूरा करने की मांग कर रहे थे, वे थे
  - समूह की पहचान को समायोजित करना
  - राष्ट्रीय एकता की पुष्टि
  - प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना
- संयोग से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने त्रिभाषा फॉर्मूला और हिंदी के प्रचार पर 1968 की नीति में कोई बदलाव नहीं किया और इसे शब्दशः दोहराया।

दक्षिण, विशेष रूप से तमिलनाडु, ऐतिहासिक रूप से हिंदी भाषा का विरोध क्यों करता है?

- संस्कृति का वाहन होने के कारण भाषा को राज्य में नागरिक समाज और राजनेताओं द्वारा मुखर रूप से संरक्षित किया जाता है।
- हिंदी थोपने के विरोध का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तमिलनाडु में कई लोग इसे अंग्रेजी को बनाए रखने की लड़ाई के रूप में देखते हैं।

दक्षिण, विशेष रूप से तमिलनाडु, ऐतिहासिक रूप से हिंदी भाषा का विरोध क्यों करता है?

- भाषा संस्कृति का वाहन होने के कारण राज्य में नागरिक समाज और राजनेताओं द्वारा मुखर रूप से संरक्षित किया जाता है
- हिंदी अधिरोपण (imposition) के विरोध का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तमिलनाडु में कई लोग इसे अंग्रेजी को बनाए रखने की लड़ाई के रूप में देखते हैं।
- अंग्रेजी को हिंदी के साथ-साथ सशक्तिकरण और ज्ञान की भाषा के विरुद्ध एक कवच के रूप में देखा जाता है।
- समाज के कुछ वर्गों में एक दृढ़ विश्वास है कि हिंदी को इम्पोसिशन के निरंतर प्रयास अंततः अंग्रेजी, वैश्विक संपर्क भाषा को समाप्त कर देंगे।

- हालांकि, राज्य में हिंदी की स्वैच्छिक शिक्षा को कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है। चेन्नई स्थित 102 साल पुरानी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का संरक्षण इस बात को साबित करता है।

भाषा की राजनीति के कारण भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है?

- **हिंदी अधिरोपण का आरोप:** गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया गया है, हालांकि, यह एक कठिन काम है क्योंकि **28** राज्यों में से कम से कम **20** राज्यों में हिंदी प्राकृतिक भाषा नहीं है। इससे हिंदी को अधिरोपण के रूप में प्रचारित करने का गलत अर्थ निकलता है।
- **पहचान की राजनीति:** स्वतंत्र भारत के जन्म से ही भाषा एक विवादास्पद मुद्दा रही है और परिणामस्वरूप यह पहचान की राजनीति से बंधी हुई है।
- **प्रतिक्रियावादी नीतियां:** हिंदी को बढ़ावा देने के केंद्र के उत्साह के खिलाफ राज्यों ने अक्सर प्रतिक्रियावादी नीतियां लागू की हैं।
- उदाहरण के लिए, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने संबंधित राज्यों के स्कूलों में अपनी राज्य की भाषाएं सीखना अनिवार्य कर दिया है।
- **डोमिनोज़ प्रभाव (Domino Effect):** ऐसी प्रतिक्रियावादी नीतियों का एक डोमिनोज़ प्रभाव होता है जो अन्य प्रशासनिक कार्यों और केंद्र-राज्य संबंधों को खतरे में डालता है।

NEP 2020 त्रिभाषा फार्मूला के बारे में क्या कहता है?

- **शिक्षा का माध्यम:** जहां भी संभव हो, कम से कम ग्रेड **5** तक, लेकिन अधिमानतः ग्रेड **8** और उससे आगे तक, शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी।
- बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा फार्मूला लागू होना जारी रहेगा।
- **NEP** ने यह भी कहा कि त्रिभाषा फार्मूले में अधिक लचीलापन होगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं लगाई **(imposed)** जाएगी।
- बच्चों द्वारा सीखी गई तीन भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की पसंद होंगी, जब तक कि तीन में से कम से कम दो भाषाएं भारत की मूल निवासी हों।

भाषा के संबंध में NEP 2020 की आलोचना क्या है?

- पिछली नीति के विपरीत, वर्तमान मसौदा प्राथमिक स्तर पर ही भाषाओं की शुरूआत का सुझाव देता है। इसकी इस आधार पर आलोचना की जाती है कि छोटे बच्चों पर भाषा सीखने का संज्ञानात्मक बोझ पड़ेगा।
- **हिंदी के लिए बैक डोर से प्रवेश:** तमिलनाडु, जिसकी राज्य में दो भाषा नीति है, त्रिभाषा नीति को जारी रखने का विरोध करता है क्योंकि उन्हें डर है कि यह अंततः बैक डोर से हिंदी के राज्य में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- **गैर-हिंदी भाषाओं के शिक्षकों की कमी:** कई भाषाई कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने देखा कि यह कदम अंततः छात्रों को अन्य भाषाओं में शिक्षकों की कमी के कारण हिंदी सीखने के लिए मजबूर कर देगा।
- **फंड में भेदभाव (Discrimination in Funds):** केंद्र ने हिंदी के विकास के लिए 50 करोड़ आवंटित किए हैं, जबकि अन्य भाषाओं को ऐसा कोई फंड नहीं दिया जाता है।

आगे की राह क्या है?

- संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएं भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं; जिसका प्रचार और संरक्षण एक साथ सभी सरकारों के कर्तव्यों का एक अभिन्न अंग है, सभी की साझा जिम्मेदारी के रूप में।

- संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं के लिए समान सम्मान (भाषाई) अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशील अधिक समावेशी देश बनाने की दिशा में पहला कदम है।
- आठवीं अनुसूची में नहीं बल्कि राज्य के लिए विशिष्ट भाषाओं के लिए, राज्य सरकार को भाषा के संरक्षण और प्रचार की टॉर्च बेयरर (torch bearer) होना चाहिए।
- फिर भी, सावधान रहना चाहिए ताकि इसे चरम (extreme) पर न ले जाएं।

सरोगेसी विनियमन अधिनियम, 2021 (Surrogacy Regulation Act, 2021)

संदर्भ: कार्यकर्ताओं द्वारा वर्षों के संघर्ष के बाद, सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, **2021** को पिछले साल संसद द्वारा सरोगेसी की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के बाद **25** जनवरी, **2022** को अधिनियम को प्रभावी बनाया गया।

सरोगेसी क्या है और कितने प्रकार की होती है?

- आसान भाषा में अगर समझा जाए तो सरोगेसी का मतलब है किसी और की कोख से अपने बच्चे को जन्म देना।
- अगर कोई पति-पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, तो किसी अन्य महिला की कोख को किराए पर लेकर उसके जरिए बच्चे को जन्म देना सरोगेसी कही जाती है।
- जिस महिला की कोख को किराए पर लिया जाता है, उसे सरोगेट मदर कहा जाता है।
- "इन विट्रो फर्टिलाइजेशन" (IVF) नामक एक technique है इसमें अब मां से अंडे इकट्ठा करना, उन्हें पिता से शुक्राणु के साथ निषेचन और भ्रूण को एक गर्भकालीन सरोगेट के गर्भाशय में रखना संभव बनाती है। सरोगेट बच्चे को जन्म तक ले जाता है। उसके पास बच्चे के लिए कोई आनुवंशिक संबंध नहीं है क्योंकि यह उसका अंडा नहीं था जिसका उपयोग किया गया था।

सरोगेसी से जुड़ी दो व्यवस्थाएं हो सकती हैं

- वाणिज्यिक सरोगेसी में एक समझौता शामिल होता है, जिसमें सरोगेट मां को गर्भावस्था से जुड़े चिकित्सा खर्चों के साथ-साथ मौद्रिक मुआवजा भी शामिल होता है।
- परोपकारी सरोगेसी सरोगेट मां को कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं प्रदान करने पर केंद्रित है।

सरोगेसी के क्या फायदे हैं?

- सरोगेसी बांझ दंपतियों, सिंगल लोगों और LGBT समुदाय के सदस्यों को माता-पिता बनने की अनुमति देती है, जब वे अन्यथा बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
- यह एक या दोनों माता-पिता को अपने बच्चे से जैविक रूप से संबंधित होने की अनुमति देता है।
- सरोगेसी आशावान माता-पिता को जन्म से ही बच्चे को पालने का अवसर देती है।
- इच्छुक माता-पिता को गोद लेने की तुलना में सरोगेसी के साथ कम प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है; जो उम्र जैसे कारकों पर एजेंसी के प्रतिबंधों के कारण गोद नहीं ले सकते, वे अभी भी सरोगेसी का अनुसरण करते हैं।

भारत में सरोगेसी बढ़ने के क्या कारण थे?

- **कम लागत:** भारत में सरोगेसी की लागत संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में लगभग **1/3** है। इसने भारत को उन विदेशी जोड़ों के लिए एक अनुकूल गंतव्य बना दिया था जो भारत में सरोगेसी के माध्यम से बांझपन के लिए लागत प्रभावी उपचार की तलाश में हैं।
- उन महिलाओं की उपलब्धता जो कम लागत पर अपना गर्भ किराए पर ले सकती हैं, मुख्य रूप से उनकी खुद की खराब आय के

कारण।

- **ग्रे एरिया (Grey Area):** सरोगेसी को एक विशिष्ट कानून (**2021** तक) द्वारा विनियमित नहीं किया गया था, जिसने निजी क्षेत्र को तेजी से बढ़ने और सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति दी थी।
- सस्ती कीमत पर प्रौद्योगिकी की उपलब्धता ने भी इस क्षेत्र के विकास में सहायता की

सरोगेसी से निपटने के लिए विशिष्ट कानून बनाने की क्या आवश्यकता थी?

- बहुत आवश्यक (**Much Needed):** वर्ष **2012** तक, भारत सरोगेसी पर्यटन के साथ विश्व की सरोगेसी राजधानी बन गया था, जिसका मूल्य लगभग **$ 500** मिलियन सालाना था। जोड़े भारत आएंगे, और गर्भ खरीदेंगे और बच्चों को वापस ले जाएंगे (**Couples would arrive in India, and buy wombs and take children back)**।
- अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए: विशिष्ट कानून की कमी के कारण वाणिज्यिक सरोगेसी सेवाओं का अनियंत्रित विकास हुआ।
- **महिलाओं के शोषण पर अंकुश लगाने के लिए:** वर्ष **2002** में भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी को वैध कर दिया गया था। कानूनी नियमों की अनुपस्थिति और कार्यान्वयन की कमी के कारण, सरोगेट माताओं को शोषण, अस्वच्छ रहने की स्थिति और अनुचित व्यवहार सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- कानूनी मुद्दे: कभी-कभी, भारतीय दत्तक ग्रहण कानून या कुछ अन्य देशों के नागरिकता कानून भी समस्याएं पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, जर्मनी मां द्वारा नागरिकता देता है; यह बच्चे की राष्ट्रीयता के निर्धारण में समस्याएँ पैदा करता है।
  - वर्ष 2008 में, एक जापानी दंपत्ति ने गुजरात में एक सरोगेट मां के साथ प्रक्रिया शुरू की, लेकिन बच्चे के जन्म से पहले वे अलग हो गए और बच्चे को लेने वाला कोई नहीं था।
  - वर्ष 2012 में, एक ऑस्ट्रेलियाई दंपति ने एक सरोगेट मां को नियुक्त किया, और मनमाने ढंग से पैदा हुए जुड़वा बच्चों में से एक को चुना।
- नैतिक मुद्दे: सरोगेसी से बच्चे का वस्तुकरण होता है। गर्भ किराए पर लेना मां और बच्चे के बीच के बंधन को तोड़ता है, यह प्रकृति के साथ हस्तक्षेप करता है।
  - उदाहरण- आंध्र प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक 74 वर्षीय महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। सवाल थे कि इतना बूढ़ा अपने बच्चों का लालन-पालन कैसे करेगा।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 **की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं**?

- **सरोगेसी की परिभाषा:** यह बिल सरोगेसी को एक ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित करता है जहां एक महिला एक इच्छुक जोड़े के लिए बच्चे को जन्म देती है, जन्म के बाद बच्चे को इच्छुक जोड़े को सौंपने के इरादे से।
- **सरोगेसी का नियमन:** यह बिल कमर्शियल सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है, लेकिन परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है।
- उद्देश्य जिनके लिए सरोगेसी की अनुमति है: सरोगेसी की अनुमति तब दी जाती है जब:
  - इच्छुक जोड़ों के लिए जो सिद्ध बांझपन से पीड़ित हैं;
  - परोपकारी;
  - वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं;
  - बिक्री, वेश्यावृत्ति या शोषण के अन्य रूपों के लिए बच्चे पैदा करने के लिए नहीं;
  - विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट किसी भी स्थिति या बीमारी के लिए।
- **इच्छुक दंपत्ति के लिए पात्रता मानदंड:** इच्छुक जोड़े के पास उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी 'आवश्यकता का प्रमाण पत्र' और 'पात्रता का प्रमाण पत्र' होना चाहिए।

- निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर अनिवार्य प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा:
  (i) एक जिला चिकित्सा बोर्ड से इच्छुक दंपत्ति के एक या दोनों सदस्यों के सिद्ध बांझपन का प्रमाण पत्र;
  (ii) एक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा पारित सरोगेट बच्चे के माता-पिता और हिरासत का आदेश; तथा
  (iii) सरोगेट के लिए प्रसवोत्तर प्रसव संबंधी जटिलताओं को कवर करते हुए 16 महीने की अवधि के लिए बीमा कवरेज।
- इच्छुक दंपत्ति को पात्रता का प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर जारी किया जाता है:
  (i) युगल भारतीय नागरिक हैं और कम से कम पांच साल से विवाहित हो
  (ii) 23 से 50 वर्ष (पत्नी) और 26 से 55 वर्ष (पति) के बीच
  (iii) उनका कोई जीवित बच्चा न हो (जैविक, दत्तक या सरोगेट); इसमें एक बच्चा शामिल नहीं होगा जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है या जीवन के लिए खतरनाक विकार या घातक बीमारी से पीड़ित है।

- सरोगेट मां के लिए पात्रता मानदंड: उपयुक्त प्राधिकारी से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, सरोगेट मां को होना चाहिए:
  - इच्छुक दंपत्ति का निकट संबंधी;
  - एक विवाहित महिला जिसका खुद का एक बच्चा है;
  - उसकी 25 से 35 वर्ष की आयु हो
  - अपने जीवनकाल में केवल एक बार सरोगेट;
  - सरोगेसी के लिए चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक फिटनेस का प्रमाण पत्र रखता हो।
  - इसके अलावा, सरोगेट मां सरोगेसी के लिए अपने स्वयं के युग्मक प्रदान नहीं कर सकती है।
- सरोगेसी क्लीनिक का पंजीकरण: सरोगेसी क्लीनिक सरोगेसी से संबंधित प्रक्रियाओं को तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत न हों।
- राष्ट्रीय और राज्य सरोगेसी बोर्ड: केंद्र और राज्य सरकारें क्रमशः राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड (एनएसबी) और राज्य सरोगेसी बोर्ड (एसएसबी) का गठन करेंगी।
- अपराध और दंड: विधेयक के तहत अपराधों में शामिल हैं:
  - वाणिज्यिक सरोगेसी का उपक्रम या विज्ञापन करना;
  - सरोगेट मां का शोषण करना;
  - सरोगेट बच्चे का परित्याग, शोषण या अस्वीकार करना; तथा
  - सरोगेसी के लिए मानव भ्रूण या युग्मक को बेचना या आयात करना।
  - ऐसे अपराधों के लिए सजा **10** साल तक की कैद और **10** लाख रुपये तक का जुर्माना है।

अधिनियम के संबंध में क्या चिंताएं उठाई गई हैं?

- **पितृसत्तात्मक:** परोपकारी मॉडल से यह अपेक्षा की जाती है कि एक महिला सरोगेसी के शारीरिक और भावनात्मक टोलों से नि:शुल्क और केवल करुणा के कारण गुजरेगी। ऐसी अपेक्षा अपने दृष्टिकोण में पितृसत्तात्मक, अवास्तविक और पितृसत्तात्मक है।
- **बहिष्करण:** कानूनी रूप से सरोगेसी का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड में समाज का एक हिस्सा शामिल नहीं है जैसे अविवाहित महिलाएं, एलजीबीटीक्यू+ व्यक्ति, लिव-इन जोड़े और एकल माता-पिता जो सरोगेट बच्चा पैदा करना चाहते हैं।
- **महिला की स्वायत्तता:** व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ता है, इस प्रकार महिलाओं की स्वायत्तता को अपने स्वयं के प्रजनन निर्णय लेने और पितृत्व के अधिकार को समाप्त करता है।

- **एकमुश्त प्रतिबंध प्रति-उत्पादक होना (Outright ban can be counter-productive) :** वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने से सरोगेट की आय का एक वैध स्रोत भी नकारा हो जाता है, जिससे महिलाओं की संख्या को स्वेच्छा से सरोगेट करने तक सीमित कर दिया जाता है। पूर्ण प्रतिबंध इन गतिविधियों को और अधिक भूमिगत कर देगा जहां महिलाएं शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।
- **परोपकारी सरोगेसी की सीमाएं:** सरोगेट मां के रूप में एक रिश्तेदार होने से न केवल इच्छुक माता-पिता के लिए बल्कि जन्म के बाद सरोगेट बच्चे के लिए भी भावनात्मक जटिलताएं हो सकती हैं। परोपकारी सरोगेसी भी सरोगेट मां चुनने में इच्छुक जोड़े के विकल्प को सीमित करती है क्योंकि बहुत सीमित रिश्तेदार इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार होंगे।
- **विकलांग बच्चे (Children with Disability):** यह अधिनियम शारीरिक और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को निःसंतान मानता है। यह आगे सरोगेसी पर विचार करने को प्रोत्साहित करता है यदि दंपति के बच्चे को जीवन के लिए खतरा विकार है। यह खंड सीधे तौर पर विकलांग बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, इस प्रकार उन्हें डिग्निटी (dignity) के साथ इलाज से वंचित करता है।
- **सरोगेसी आवेदनों के लिए समीक्षा और अपील प्रक्रिया:** सरोगेसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए, सरोगेट मां और इच्छुक जोड़े को संबंधित उपयुक्त अधिकारियों से विभिन्न शर्तों को पूरा करने पर पात्रता और अनिवार्यता के प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, बिल एक समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है जिसके द्वारा प्राधिकरण इन प्रमाणपत्रों को प्रदान करेगा। इसके अलावा, बिल सरोगेसी आवेदन खारिज होने की स्थिति में समीक्षा या अपील प्रक्रिया को निर्दिष्ट नहीं करता है।

सुरक्षा संबंधित मुद्दे

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958
(Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA), 1958)

चर्चा में क्यों : भारतीय प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (**AFSPA**) का संचालन पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में समाप्त हो सकता है, यदि स्थिति को सामान्य करने के लिए जारी प्रयास परिणाम मिलते हैं।

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने तीन पूर्वोत्तर राज्यों- असम, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों से AFSPA को आंशिक रूप से हटा लिया है।
- वर्तमान में, इन तीन राज्यों के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर के कुछ हिस्सों में AFSPA लागू है।

अफस्पा क्या है?

- भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिये बनाए गए ब्रिटिश-युग के कानून का पुनर्जन्म, AFSPA 1947 में चार अध्यादेशों के माध्यम से जारी किया गया था।
- अध्यादेशों को 1948 में एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पूर्वोत्तर में प्रभावी वर्तमान कानून 1958 में संसद में पेश किया गया था।
- इसे शुरू में सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 के रूप में जाना जाता था।
- अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम और नगालैंड राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद अधिनियम को इन राज्यों पर भी लागू करने के लिये अनुकूलित किया गया था।
- यह उन्हें कानून का उल्लंघन करने वाले या हथियार और गोला-बारूद ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गोली चलाने की अनुमति देता है।

- साथ ही, यह उन्हें "उचित संदेह" के आधार पर वारंट के बिना व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और वारंट के बिना परिसर की तलाशी लेने की शक्ति देता है।
- नागा हिल्स में विद्रोह से निपटने के लिए यह कानून पहली बार 1958 में लागू हुआ, उसके बाद असम में विद्रोह हुआ।

अशांत क्षेत्र:

- 1972 में अधिनियम में संशोधन किया गया और एक क्षेत्र को "अशांत" घोषित करने की शक्तियाँ राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गईं।

एक्ट को लेकर विवाद

मानव अधिकारों के उल्लंघन:

- इन असाधारण शक्तियों के प्रयोग से अक्सर सुरक्षा बलों द्वारा फर्जी मुठभेड़ों और अन्य मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।
- उदाहरण: वर्ष 2004 में असम राइफल्स द्वारा थंगजाम मनोरमा की हिरासत में बलात्कार और हत्या।

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है:

- सशस्त्र बलों को दी गई मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत की शक्ति अनुच्छेद 22 में निहित मौलिक अधिकार के खिलाफ है।

किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ प्रतिरक्षा

- यह अधिनियम सशस्त्र बलों को अभियोजन, मुकदमे या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जिसे केवल केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ ही स्थापित किया जाएगा।

अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के विचार

- वर्ष 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय (नगा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) में AFSPA की संवैधानिकता को बरकरार रखा है।

न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति की सिफारिशें:

नवंबर 2004 में, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के लिये न्यायमूर्ति बी पी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति नियुक्त की।

समिति ने सिफारिश की कि:

- AFSPA को निरस्त किया जाना चाहिये और गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में उचित प्रावधान शामिल किये जाने चाहिये
- सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिए और प्रत्येक जिले में जहां सशस्त्र बल तैनात हैं, शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने चाहिए।

वर्तमान स्थिति: अधिनियम के तहत क्षेत्रों में धीरे-धीरे कमी हो रही है।

कारण

- सुरक्षा स्थिति में सुधार
- क्षेत्र में विकास गतिविधियों में वृद्धि
- राजनीतिक पक्ष पर शांति समझौते, युद्धविराम और उप-क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माण जैसे राजनीतिक समाधान की ओर बढ़ने में काफी प्रगति हुई है।

आगे की राह

- AFSPA उन क्षेत्रों में उत्पीड़न का प्रतीक बन गया है जहां इसे लागू किया गया है इसलिये सरकार को प्रभावित लोगों को संबोधित करने और उन्हें अनुकूल कार्रवाई के लिये आश्वस्त करने की आवश्यकता है।

- सशस्त्र बलों को विद्रोह का मुकाबला करने में अपना समर्थन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय लोगों के बीच आवश्यक विश्वास का निर्माण करना चाहिए।
- राज्य की विकासात्मक गतिविधियों में राज्य की नौकरशाही, सेना और जमीनी स्तर के नागरिक समाज संगठन को एक साथ आना चाहिए।

सिख अलगाववाद (Sikh Separatism)

संदर्भ: धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में दिखाई देने वाले सिख अलगाववाद के प्रतीक बताते हैं और इसे बढ़ावा देने वाली ताकतें सक्रिय तथा शरारत पूर्ण कृत्य करने में सक्षम हैं।

हाल की कौन सी घटनाएँ थीं जिन्होंने खालिस्तान मुद्दे को जन्म दिया?

- परिसर के गेट पर काल्पनिक खालिस्तान के कथित झंडे लगाए गए और दीवारों पर नारे लिखे गए।
- 6 जून को खालिस्तान "जनमत संग्रह दिवस" के रूप में घोषित करने से राज्य पुलिस ने सीमा को सील कर दिया।
- हिमाचल प्रदेश में एक यू.एस. स्थित खालिस्तानी अलगाववादी को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपित किया गया।
- उसी दिन, पंजाब में पुलिस ने कहा कि उन्होंने विस्फोटकों के साथ खालिस्तानी से संबंध रखने वाले दो लोगों को गिरफ्तार करने के बाद एक आतंकवादी हमले को टाल दिया गया।

खालिस्तान आंदोलन क्या है?

- खालिस्तान आंदोलन एक सिख अलगाववादी सशस्त्र आंदोलन है जो पंजाब क्षेत्र में खालिस्तान नामक एक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिए एक मातृभूमि बनाने की मांग कर रहा है। ऐसा राज्य पंजाब में 1709 से 1849 तक अस्तित्व में रहा।

आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या था ?

- वर्ष 1970 के दशक के दौरान अकालियों (एक राजनीतिक दल) का एक वर्ग इस क्षेत्र के लिए राजनीतिक स्वायत्तता की मांग करने लगा।
- यह वर्ष 1973 में आनंदपुर साहिब में उनके सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में परिलक्षित होता है।
- वर्ष 1980 में अकाली दल सरकार के बर्खास्त होने के बाद, अकाली दल ने पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के वितरण के सवाल पर एक आंदोलन शुरू किया।
- धार्मिक नेताओं के एक वर्ग ने स्वायत्त सिख पहचान का सवाल उठाया।
- अधिक चरम तत्वों ने भारत से अलगाव और 'खालिस्तान' के निर्माण की सिफारिश करना शुरू कर दिया।
- आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में जरनैल सिंह भिंडरावाले के रूप में एक सिख प्रचारक मिला - एक धार्मिक विद्वान जो खालसा या सिख धर्म के अधिक रूढ़िवादी रूप की वापसी की सिफारिश करते हुए पंजाब भर में घूम रहा था।

खालिस्तान आंदोलन को तेज करने वाली कौन सी घटनाएँ हैं?

- जल्द ही, आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों से उग्रवादी तत्वों के हाथों में चला गया और सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया।
- इन उग्रवादियों ने अपना मुख्यालय सिख पवित्र तीर्थ, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के अंदर बनाया और इसे एक सशस्त्र किले में बदल दिया।
- आपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा जून 1984 को अमृतसर (पंजाब, भारत) स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर को ख़ालिस्तान

समर्थक जनरैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था।

- इस ऑपरेशन में, सरकार आतंकवादियों को सफलतापूर्वक भगा सकती थी, लेकिन इसने ऐतिहासिक मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया और सिखों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई।
- जहां इस घटनाक्रम से पूरा देश स्तब्ध था, वहीं दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़क उठी थी।
- हालांकि धार्मिक पहचान लोगों के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है, राजनीति धीरे-धीरे धर्मनिरपेक्षता के साथ पीछे चली गई है।

आंदोलन की वर्तमान स्थिति क्या है?

- वर्तमान में, भारत में खालिस्तान आंदोलन एक निष्क्रिय आंदोलन है।
- पंजाब की शहरी या स्थानीय आबादी में इसका ज्यादा रुझान नहीं है।
- लेकिन इस आंदोलन को कनाडा, ब्रिटेन या अमेरिका में रहने वाले सिखों से वैचारिक समर्थन मिलता है।
- वे मनी पंप (pump money) करते हैं, संघर्ष को वैचारिक समर्थन देते हैं, पाकिस्तान की आईएसआई अभी भी आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए पैसा और प्रयास कर रही है।
- हालांकि अलग-थलग और कमजोर, सिख अलगाववाद अभी भी जगमगा रहा है। इसे सामाजिक एकता और निष्पक्ष राज्य नीति के लिए एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करना चाहिए।

प्रैक्टिस MCQ'S

Q.1) छठी अनुसूची के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों को छठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत प्रशासित किया जाता है।
2. स्वायत्त जिला परिषद के सभी सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।
3. जिला और क्षेत्रीय परिषद के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर किसी अन्य न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

गलत कथन चुनें:

a. 1 और 2
b. केवल 2
c. केवल 3
d. 1, 2 और 3

Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. एनाबॉलिक स्टेरॉयड पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लैब-निर्मित संस्करण हैं।
2. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लैब-निर्मित स्टेरॉयड हैं जो कोर्टिसोल नामक हार्मोन की क्रिया की कॉपी करते हैं।
3. जबकि एनाबॉलिक स्टेरॉयड का उपयोग मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो कॉर्टिकोस्टेरियोड सूजन और कई ऑटोइम्यून बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं।

सही कथन चुनें:

a. 1 और 2
b. 2 और 3
c. 1 और 3
d. 1, 2 और 3

Q.3) 'ई-श्रम पोर्टल' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. इसका उद्देश्य असंगठित और संगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है।
2. इसे श्रम और अधिकारिता मंत्री द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
3. इसमें पंजीकृत लाभार्थी के लिए 2 लाख के दुर्घटना बीमा का प्रावधान है।

सही कथन चुनें:

a. 1 और 2

b. 2 और 3
c. 1, 2 और 3
d. 1 और 3

Q.4) 'बसवन्ना (Basavanna)' के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत के समाज सुधारक निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं:
1. वे लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक हैं।
2. वह विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के समकालीन थे।
3. उनकी साहित्यिक कृतियों को वचनास (Vachanaas) के नाम से जाना जाता है।
सही कथन चुनें:
a. 1, 2 और 3
b. 2 और 3
c. 1 और 3
d. केवल 1

Q.5) निम्नलिखित में से कौन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का प्रावधान नहीं है?
a. राजनीतिक दलों का पंजीकरण
b. सदनों की सदस्यता के लिए अर्हताएं और निरर्हताएं
c. मतदाताओं की योग्यता
d. चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र

Q.6) 'प्रोजेक्ट 75I' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इस परियोजना के तहत, भारतीय नौसेना छह परमाणु संचालित पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने का इरादा रखती है।
2. इसे स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है।
गलत कथन चुनें:
a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.7) लोकपाल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक संवैधानिक निकाय है।
2. केवल भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही लोकपाल के अध्यक्ष बन सकते हैं।
3. लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों के लिए पद की अवधि 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक है।
गलत कथन चुनें:
a. केवल 1
b. 1, 2 और 3
c. 2 केवल
d. 1 और 2

Q.8) हाल ही में खबरों में रहा 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है?
a. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स
b. एमनेस्टी इंटरनेशनल
c. रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स
d. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार और यूनेस्को

Q.9) राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. क्षमादान देने की राष्ट्रपति की शक्ति उन मामलों में विस्तारित होती है जहां सजा या सजा कोर्ट मार्शल द्वारा होती है।
2. राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जहां दी गई सजा मौत की सजा है।
3. राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर क्षमादान की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
सही कथन चुनें:
a. 1 और 2
b. 2 और 3
c. 1 और 3
d. 1, 2 और 3

Q.10) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सीलबंद कवर न्यायशास्त्र का उपयोग करने की शक्तियां प्राप्त होती हैं।
2. किसी भी मामले में न्यायालय विरोधी पक्ष सहित किसी भी पक्ष को ऐसी जानकारी की सामग्री तक पहुंच की अनुमति नहीं दे सकता।
सही कथन चुनें:
a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.11) निम्नलिखित में से कौन 'लागत-पुश मुद्रास्फीति' की ओर जाता है?
1. वस्तुओं की जमाखोरी और अटकलें
2. सरकार द्वारा घाटे का वित्तपोषण
3. आरबीआई की बढ़ाई ब्याज दरें
सही कोड चुनें:
a. केवल 1
b. 1 और 2
c. 1, 2 और 3

d. 1 और 3

Q.12) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. नॉर्डिक देशों में नॉर्वे और फिनलैंड रूस के साथ सीमा साझा करते हैं।
2. उत्तरी सागर पूरी तरह से नॉर्डिक देशों से घिरा है।
3. भारत और स्वीडन ने संयुक्त रूप से दुनिया के सबसे भारी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक उद्योगों को निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर मदद करने के लिए एक वैश्विक पहल लीडआईटी (LeadIT) शुरू की।

सही कथन चुनें

a. 1 और 2
b. 1, 2 और 3
c. 1 और 3
d. केवल 3

Q.13) परिसीमन आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह संसद के अधिनियम द्वारा गठित एक 3 सदस्यीय स्थायी निकाय है।
2. स्वतंत्रता के बाद से चार बार परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है।
3. आयोग के आदेशों में कानून का बल (Commission's orders have the force of law) है और किसी भी अदालत द्वारा इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

सही कथन चुनें:

a. 1, 2 और 3
b. 1 और 2
c. 2 और 3
d. 1 और 3

Q.14) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारत पिछले पांच वर्षों से स्थिर कृषि व्यापार अधिशेष का अनुभव कर रहा है।
2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गैर बासमती चावल (non basmati rice) का निर्यात बासमती चावल के निर्यात से अधिक है।

गलत कथन चुनें

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.15) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम प्रणाली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 271 के तहत अपना संवैधानिक जनादेश प्राप्त करती है।
2. नियुक्ति के साथ-साथ कॉलेजियम भारत की उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के स्थानांतरण को भी संभालता है।

सही कथन चुनें:

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.16) 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. NFHS हर पांच साल में एक बार आयोजित किया जाता है।
2. NFHS-5 के अनुसार, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों ने 100% संस्थागत प्रसव होता है।
3. NFHS-5 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों और महिलाओं दोनों में मोटापे की व्यापकता बढ़ी है।

गलत कथन चुनें:

a. 1, 2 और 3
b. केवल 2
c. 1 और 3
d. 1 और 2

Q.17) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सेबी एक अर्ध-विधायी और अर्ध-न्यायिक निकाय है।
2. सेबी अध्यक्ष के पास तलाशी और जब्ती के संचालन का आदेश देने का अधिकार है।
3. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) सेबी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई और निपटान करता है।

सही कथन चुनें:

a. केवल 1
b. 1 और 3
c. 1, 2 और 3
d. केवल 3

Q.18) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239AA किससे संबंधित है?

a. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के विशेष दर्जा से
b. पुडुचेरी की विधान सभा से
c. भारत के चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से
d. सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार से

Q.19) 'IVC' के निम्नलिखित स्थलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें:
1. धोलावीरा
2. लोथल
3. रंगपुर
4. आलमगीरपुर
सही कोड चुनें:
a. 1-2-3-4
b. 4-2-1-3
c. 4-1-2-3
d. 4-3-2-1

Q.20) 'मंकीपॉक्स' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक जूनोटिक रोग है।
2. यह जीनस लेप्टोस्पाइरा के बैक्टीरिया के कारण होता है।
3. कोई मानव से मानव संचरण नहीं है।
गलत कथन चुनें:
a. 1, 2 और 3
b. केवल 2
c. 1 केवल
d. 2 और 3

Q.21) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. 'पैंगोलिन' एकमात्र ज्ञात स्तनधारी हैं जिनकी त्वचा को कवर करने वाले सुरक्षात्मक केराटिन स्केल्स (keratin scales) होते हैं।
2. भारतीय और चीनी दोनों पैंगोलिन भारत में पाए जाते हैं।
3. जबकि भारतीय पैंगोलिन की IUCN स्थिति खतरे में है, चीनी पैंगोलिन गंभीर रूप से संकटग्रस्त है।
सही कथन चुनें:
a. 1, 2 और 3
b. केवल 1
c. 1 और 2
d. केवल 3

Q.22) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. आधार अधिनियम 2016 के तहत, उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कुछ मामलों में पहचान की जानकारी के प्रकटीकरण का आदेश दे सकता है।
2. धारक की सहमति के बिना कोई भी आधार डेटा किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी के साथ साझा नहीं कर सकता है।
सही कथन चुनें:
a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.23) 'MPLADS योजना' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
2. MPLADS फंड गैर-व्यपगत फंड होते हैं।
3. राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।
गलत कथन चुनें:
a. केवल 1
b. 1 और 2
c. कोई नहीं
d. केवल 2

Q.24) 'बॉन्ड यील्ड' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. बांड की कीमतें और प्रतिफल विपरीत दिशाओं में चलते हैं।
2. लोअर यील्ड्स सरकार के लिए उधार लेने की लागत को कम करती है।
3. आरबीआई खुले बाजार के संचालन का संचालन करके बॉन्ड यील्ड को नियंत्रित करता है।
सही कथन चुनें:
a. 1 और 2
b. 1 और 3
c. 1, 2 और 3
d. 2 और 3

Q.25) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. अनुच्छेद 29 के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को संरक्षण प्रदान करता है।
2. अनुच्छेद 30 के तहत सुरक्षा नागरिकों के किसी भी वर्ग के लिए है जैसा कि अनुच्छेद 29 में है।
सही कथन चुनें:
a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.26) NFHS-5 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

1. सर्वेक्षण के अनुसार, भारत की आधी से अधिक जनसंख्या 30 से कम है।
2. NFHS -4 की तुलना में NFHS -5 में 15 से कम आबादी में गिरावट आई है।
3. एक तिहाई भारतीय परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं।

सही कोड चुनें:

a. केवल 1
b. 2 और 3
c. 1 और 2
d. 1, 2 और 3

Q.27) निम्नलिखित में से कौन से कारक रुपये की मुद्रा की विनिमय दर को प्रभावित करते हैं?

1. यूएस फेडरल बैंक द्वारा ब्याज दर में वृद्धि
2. कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि
3. विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह (Outflow of foreign currency)

सही कोड चुनें:

a. 1, 2 और 3
b. 2 और 3
c. 1 और 2
d. 2 केवल

Q.28) हाल ही में खबरों में रही भारतीय दंड संहिता की धारा 375 किससे संबंधित है?

a. राजद्रोह कानून
b. वैवाहिक बलात्कार
c. विवाहित महिला का उसके पति और ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ना
d. विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन

Q.29) विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2020 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अधिनियम लोक सेवकों को विदेशी योगदान प्राप्त करने से रोकता है।
2. अधिनियम के तहत, संगठनों को हर पांच साल में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है।
3. अधिनियम में कहा गया है कि संगठन प्रशासन के उद्देश्य के लिए प्राप्त कुल विदेशी धन के 30% से अधिक का उपयोग नहीं कर सकता है।

सही कथन चुनें:

a. 1, 2 और 3
b. 1 और 2
c. 2 और 3
d. 1 और 3

Q.30) न्यायमूर्ति जे एस वर्मा समिति का संबंध किससे है?

a. चुनावी सुधार
b. आपराधिक कानून सुधार
c. सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश
d. केंद्र-राज्य संबंध

Q.31) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारत के संविधान में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी।
2. किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की सहमति से, उच्च न्यायालय में कार्यवाही में हिंदी या अन्य राजभाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है।

सही कथन चुनें:

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.32) 'ब्रह्मोस मिसाइल' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ब्रह्मोस एक स्वदेश निर्मित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।
2. इसे जमीन, हवा और समुद्र से छोड़ा जा सकता है।
3. यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत (Fire and Forget principle) पर काम करता है।
4. यह दो चरणों वाली मिसाइल है।

सही कोड चुनें:

a. 1, 2 और 4
b. 1, 2 और 3
c. 2, 3 और 4
d. सभी

Q.33) भारत के चुनाव आयोग के कार्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है।
2. आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से पालन की निगरानी करता है।

3. उस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति जो निर्धारित समय और तरीके के नादेर अपने चुनाव खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

सही कथन चुनें:

a. 1, 2 और 3
b. 1 और 2
c. 1 और 3
d. 2 और 3

Q.34) जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mk III के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह इसरो द्वारा विकसित तीन चरणों वाला भारी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है।
2. GSLV Mk III के ऊपरी चरण को क्रायोजेनिक चरण के रूप में जाना जाता है।
3. गगनयान अंतरिक्ष यान को जीएसएलवी एमके III द्वारा जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) में रखा जाएगा।

सही कथन चुनें:

a. 1 और 3
b. केवल 2
c. 1, 2 और 3
d. 1 और 2

Q.35) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संविधान राष्ट्रपति और राज्यपाल को राज्य की सुरक्षा के हित में जांच के बिना किसी सरकारी कर्मचारी को हटाने का अधिकार देता है।
2. अनुच्छेद 311 के तहत दिए गए सुरक्षात्मक सुरक्षा उपाय सिविल सेवकों और रक्षा कर्मियों दोनों पर लागू होते हैं।

सही कोड चुनें:

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.36) 'mRNA वैक्सीन' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. mRNA वैक्सीन शरीर को कुछ वायरल प्रोटीनों का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करते हैं।
2. ये वायरल प्रोटीन वायरस बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं और शरीर के रक्षा तंत्र को ट्रिगर करते हैं।
3. आनुवंशिक रोगों के इलाज के लिए mRNA टीकों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

गलत कथन चुनें:

a. 2 केवल
b. 2 और 3
c. केवल 3
d. कोई नहीं

Q.37) आरएनए ग्रैन्यूल्स (RNA Granules) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. कोशिका के कोशिकाद्रव्य में RNA कणिकाएँ पाई जाती हैं।
2. आरएनए कणिकाओं को एक झिल्ली द्वारा ढका और नियंत्रित किया जाता है।
3. आरएनए कणिकाओं प्रोटीन उत्पादन को बंद करने की प्रक्रिया में मदद करती हैं।

सही कथन चुनें:

a. 1 और 2
b. 1 और 3
c. 2 और 3
d. 1, 2 और 3

Q.38) पुलुलन पॉलीमर (Pullulan polymer) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक जैव पदार्थ है जो कवक ऑरियोबैसिडियम पुलुलन्स द्वारा स्रावित होता है।
2. इसका उपयोग बायोमेडिसिन क्षेत्र में दवा और जीन वितरण के लिए किया गया है।

गलत कथन चुनें:

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.39) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक अर्ध-न्यायिक निकाय है।
2. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मजिस्ट्रेटों को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार है।
3. केवल राज्य प्रशासन ही एक संदिग्ध के खिलाफ ट्रिब्यूनल में जा सकता है।

सही कथन चुनें:

a. 1 और 2
b. 1, 2 और 3
c. 2 और 3
d. 1 और 3

Q.40) बैंक और आरबीआई के बीच पुनर्खरीद समझौते के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार करें

स्टेटमेंट्स (statements):

1. यह वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक) वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है।
2. भारत में यह आरबीआई की मौद्रिक और क्रेडिट नीति में प्राथमिक उपकरण है।
3. इसमें RBI इसे बैंकों को लंबी अवधि के पैसे के लिए उधार देता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a. केवल 1 और 3
b. केवल 3
c. केवल 2 और 3
d. 1 और 2 केवल

Q.41) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. चलने वाली मुद्रास्फीति वह है जो सालाना 3-10% के बीच रहती है और अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है क्योंकि यह आर्थिक विकास को बहुत तेजी से हीट (heats) करती है।
2. सरपट दौड़ते हुए मुद्रास्फीति के दौरान (During Galloping inflation) पैसा इतनी तेजी से मूल्य खो देता है कि व्यवसाय और कर्मचारी की आय लागत तथा कीमतों के साथ नहीं रह सकती है।
3. स्टैगफ्लेशन तब होता है जब आर्थिक विकास स्थिर होता है लेकिन फिर भी मूल्य मुद्रास्फीति होती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a. केवल 1 और 2
b. केवल 2 और 3
c. केवल 1 और 3
d. उपरोक्त सभी

Q.42) निम्नलिखित में से कौन सी घटना फिलिप्स कर्व (Philips curve) के आर्थिक सिद्धांत का खंडन करती है?

a. अपस्फीति
b. पुन: मुद्रास्फीति
c. मुद्रास्फीतिजनित मंदी
d. कोर मुद्रास्फीति

Q.43) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. लागत-पुश मुद्रास्फीति मजदूरी और कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण होती है जबकि प्रभावित उत्पाद की मांग स्थिर रहती है।
2. मुद्रास्फीति उपभोक्ता की क्रय शक्ति को नष्ट कर सकती है।
3. मांग-पुल मुद्रास्फीति (Demand-pull inflation) की विशेषता है "too many rupees chasing too few goods"

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a. केवल 1 और 2
b. केवल 2 और 3
c. केवल 1 और 3
d. उपरोक्त सभी

Q.44) निम्नलिखित में से कौन मांग-मुद्रास्फीति का कारण हो सकता है?

1. बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था
2. कम बेरोजगारी दर
3. बढ़ा हुआ सरकारी खर्च
4. मुद्रास्फीति की उम्मीदें
5. संपत्ति मुद्रास्फीति

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए

a. केवल 1, 2, 3 और 5
b. केवल 2, 3, 4 और 5
c. केवल 1, 3, 4 और 5
d. उपरोक्त सभी

Q.45) निम्नलिखित में से किसे "मिश्रित मुद्रास्फीति" का उन्नत रूप माना जाता है?

a. मार्क-अप मुद्रास्फीति
b. मुद्रास्फीतिजनित मंदी
c. डिस-मुद्रास्फीति
d. हाइपरइन्फ्लेशन

Q.46) 'RFID टैग' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. इन टैगों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत जानकारी होती है।
2. बारकोड की तरह, टैग रीडर की दृष्टि के अंदर होना चाहिए।
3. RFID संगठनों को बिना मैनुअल डेटा एंट्री के स्टॉक, टूल्स और उपकरण (एसेट ट्रैकिंग) आदि की पहचान और प्रबंधन करने का एक तरीका प्रदान करता है।

निम्नलिखित में से कोड का चयन करें:

a. 1,2 और 3
b. 2 और 3
c. 1 और 3
d. 1 और 2

Q. 47) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था और कुशीनगर में 'महापरिनिर्वाण' या मोक्ष प्राप्त किया था।
2. गौतम बुद्ध ने अष्टांगिका मार्ग (आष्टांग मार्ग) के दर्शन का प्रतिपादन किया।
3. बिहार में लुंबिनी गौतम बुद्ध का जन्मस्थान है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a. केवल 1 और 2
b. केवल 2
c. केवल 2 और 3
d. उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.48) 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC)' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सावधि जमा स्वीकार नहीं कर सकती है।
2. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, बैंकों के विपरीत, शेयर बाजार में पैसा निवेश कर सकती हैं, जिन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं है।
3. CRR किसी भी एनबीएफसी पर लागू नहीं होता है जबकि एसएलआर केवल जमा लेने वाली NBFC पर लागू होता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1 और 2
b. केवल 1 और 3
c. केवल 2 और 3
d. उपरोक्त सभी

Q.49) इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) हाल ही में खबरों में था। आईएल एंड एफएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा कोर निवेश कंपनी (सीआईसी-एनडी-एसआई) है।
2. यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.50) 'GST परिषद' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है।
2. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
3. निर्णय लेने में केंद्र सरकार के मत का भार कुल मतों के एक तिहाई के बराबर होगा।
सही कथन चुनें:

a. 1 और 2
b. 2 और 3
c. 1, 2 और 3
d. 1 और 3

MCQS (उत्तर कुंजी)

1	D	21	A	41	D
2	D	22	C	42	C
3	B	23	A	43	D
4	C	24	C	44	D
5	C	25	A	45	A
6	A	26	C	46	C
7	D	27	A	47	C
8	C	28	B	48	C
9	D	29	B	49	A
10	A	30	C	50	C
11	D	31	A		
12	C	32	C		
13	C	33	A		
14	A	34	D		
15	B	35	A		
16	D	36	B		
17	C	37	B		
18	A	38	C		
19	C	39	A		
20	D	40	D		

IAS BABA

UPSC 2023

TLP CONNECT

Integrated Prelims cum Mains Test Series

Early bird OFFER
10% Till July 3rd

Additional 10% off for Old Subcribers

ONLINE & OFFLINE

- 69 Prelims Tests
- 68 Mains Tests
- 1:1 Mentorship
- Babapedia (For Current Affairs)
- Discussion classes after Every Mains Test
- Approach Paper, Enriched Synopsis & Ranking

Starts July 11th

REGISTER NOW

www.iasbaba.com support@iasbaba.com +919169191888